महानगर नई दिल्ली मंगलवार 24 दिसंबर, 2019, रु. 5.00 (12 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

झामुमो-कांग्रेस-राजद गठबंधन को झारखंड में मिला बहुमत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 दिसंबर।

झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुआई में बने झामुमो-कांग्रेस-राजद गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिल गया है। मतगणना में घोषित नतीजों के मुताबिक यह गठबंधन 47 सीटें पर जीत के साथ सरकार बनाने की स्थिति में आ गया है। हेमंत सोरेन अगले मुख्यमंत्री होंगे।

झामुमो गठबंधन ने चुनाव में उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बताया था। राज्य में सत्ताधारी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। 81 सदस्यीय विधानसभा में वह 25 सीटों तक सिमट गई है। मुख्यमंत्री रघुवर दास जमशेदपुर पूर्व सीट पर सरयू राय से 15833 वोटों से हार गए।

भाजपा सरकार के तीन मंत्री भी चुनाव हार गए हैं। हार स्वीकार करते हुए रघुवर दास ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया। अगली सरकार के गठन तक वे कार्यवाहक बाकी पेज 8 पर

मुख्यमंत्री रघुवर दास और तीन मंत्री हारे।
दास ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा।
झामुमो गठबंधन के नेता हेमंत सोरेन अपनी दोनों सीटों पर जीते।
विजयी गठबंधन में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं हेमंत सोरेन

नए अध्याय की शुरुआत : हेमंत सोरेन

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 दिसंबर।

झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कांग्रेस-राजद के साथ अपनी पार्टी के गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद कहा, 'आज हमारे लिए जनता की सेवा के लिए संकल्प का दिन है। जनादेश झारखंड के इतिहास में नया अध्याय साबित होगा। यह यहां मील का पत्थर साबित होगा। हम यह पूरा प्रयास करेंगे कि लोगों की उम्मीदें टूटें नहीं।'

हेमंत सोरेन झारखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। गठबंधन ने उनका नाम इस पद के लिए प्रोजेक्ट किया है।

झामुमो नेता ने कहा कि महागठबंधन पूरे राज्य के सभी वर्गों, संप्रदायों और क्षेत्रों की आकांक्षाओं का ध्यान रखेगा। हेमंत ने अपने पिता शिबू सोरेन, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल बाकी पेज 8 पर

झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन रांची में सोमवार को अपने पिता के आवास पर साइकिल चलाते हुए।

हेमंत सोरेन और झामुमो नीत गठबंधन को झारखंड चुनाव में जीत के लिए बधाई। उन्हें राज्य की सेवा करने के लिए शुभकामनाएं। झारखंड की जनता का भी आभार।
-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

नतीजे

कुल सीटें : 81, घोषित : 81

पार्टी	नतीजे
झामुमो	30
भाजपा	25
कांग्रेस	16
राजद	1
झाविमो (पी)	3
आजसू	2
अन्य	4

हम झारखंड की जनता द्वारा दिए गए जनादेश का सम्मान करते हैं। भाजपा को पांच साल तक प्रदेश की सेवा करने का जो मौका दिया था उसके लिए हम जनता का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।
-अमित शाह, गृह मंत्री

यह मेरी हार है, पार्टी की नहीं : रघुवर दास

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 दिसंबर।

झारखंड विधानसभा चुनाव में हार स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा, 'यह मेरी हार है, पार्टी की हार नहीं। मैंने झारखंड के लिए ईमानदारी से काम किया है। मैं नतीजों का स्वागत करता हूं।' उन्होंने कहा कि भाजपा जनता का जनादेश स्वीकार करती है।

उन्होंने कहा, 'लगता है कि भाजपा विरोधी सभी वोट एकत्र हो गए और उनके एकजुट हो जाने से ही हमें हार का सामना करना पड़ा है।' एक सवाल के जवाब में रघुवर दास ने कहा, 'लोकतंत्र में जनता का आदेश शिरोधार्य होता है।'

मैंने झारखंड के लिए ईमानदारी से काम किया है।

उन्होंने कहा कि पूरा परिणाम आने के बाद ही वह मीडिया से विस्तार से बातचीत करेंगे।

उन्होंने कहा कि जिंदगी में बड़ा लक्ष्य रखना चाहिए। राज्य बाकी पेज 8 पर

निर्दलीय चुनाव लड़ा, निर्दलीय रहूंगा : सरयू राय

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 दिसंबर।

जमशेदपुर पूर्व सीट से मुख्यमंत्री रघुवर दास को 15833 वोटों से हराने वाले निर्दलीय प्रत्याशी और पूर्व मंत्री सरयू राय ने कहा कि उनका किसी पार्टी में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा, 'मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा और निर्दलीय ही रहूंगा। मैं सरकार की नीतियों का मूल्यांकन करने के बाद उनका समर्थन या विरोध करता रहूंगा।'

सरयू राय ने कहा कि रघुवर दास के खिलाफ उन्होंने जो मोर्चा खोला था, जीत उसका पहला मुकाम है। वे उसे नतीजे तक पहुंचाएंगे। भाजपा से बागी होने के बाद से सरयू राय खुलकर कह रहे हैं कि उनके पास रघुवर दास सरकार के खिलाफ एक दर्जन से ज्यादा घोटालों के दस्तावेज मौजूद बाकी पेज 8 पर

भाजपा नेतृत्व ने मेरे स्वाभिमान को चोट पहुंचाई और उसी से आहत होकर मैंने मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने का मन बनाया।

बंगाल सरकार को सीएए अभियानों पर रोक का निर्देश

कोलकाता, 23 दिसंबर (भाषा)।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) से जुड़े सभी तरह के मीडिया अभियानों पर रोक लगाने का सोमवार को निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश टीबीएन राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने अदालत के अंतिम आदेश देने तक राज्य सरकार को सीएए को लेकर चलाए जा रहे सभी तरह के अभियानों पर रोक लगाने का निर्देश दिया। अदालत ने साथ ही राज्य सरकार से याचिकाकर्ता बाकी पेज 8 पर

लखनऊ हिंसा

मुख्य आरोपी समेत दो गिरफ्तार

लखनऊ, 23 दिसंबर (भाषा)।

संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ 19 दिसंबर को लखनऊ हिंसा के मुख्य आरोपी समेत दो लोगों को सोमवार को गिरफ्तार किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी ने यहां संवाददाताओं को बताया कि लखनऊ में 19 दिसंबर को हुए हिंसक प्रदर्शन के मुख्य आरोपी नदीम और उसके सहयोगी अशफाक को गिरफ्तार कर लिया गया है।

उन्होंने बताया कि इनके एक सहयोगी वसीम को पहले ही गिरफ्तार किया गया था। उसकी निशानदेही पर नदीम और अशफाक को गिरफ्त में लिया गया है। इन दोनों ने योजनाबद्ध तरीके से शांति भंग करने की साजिश रची थी। दोनों न ने वाट्सएप के माध्यम से एनआरसी और सीएए के विरोध में लोगों को बड़ी संख्या में एकत्र होकर उग्र प्रदर्शन करने की बात फोटो और वीडियो के माध्यम से वायरल की। नैथानी ने कहा कि नदीम और अशफाक ने उग्र धरना-प्रदर्शन में शामिल होने के लिए लोगों को उकसाया।

उन्होंने दावा किया कि वे तीनों पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआइ) के लिए काम करते हैं। वसीम पीएफआइ का प्रदेश अध्यक्ष और अशफाक कोषाध्यक्ष है जबकि नदीम उसका सदस्य है। पीएफआइ एक राजनीतिक संगठन एसडीपीआई के बैनर तले मुस्लिमों को शामिल करके एनआरसी और सीएए का विरोध कर रहा है।

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने रविवार को हिंसा में पीएफआइ का हाथ होने का दावा किया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वसीम लखनऊ बाकी पेज 8 पर

योजनाबद्ध तरीके से अभियुक्तों ने शांति भंग करने की साजिश रची।
अभियुक्तों के पास से 26 तख्ती, 29 झंडे, 100 पर्चे और 36 पेपर कटिंग बरामद।

दिल्ली के किराड़ी इलाके में लगी आग, नौ की मौत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 दिसंबर।

रविवार देर रात किराड़ी इलाके में तीन मंजिला इमारत में आग लगने से छह महीने की बच्ची सहित नौ लोगों की मौत हो गई और तीन लोग गंभीर रूप से झुलस गए। मृतकों में पांच लोग एक ही परिवार के सदस्य थे। इस इमारत की एक मंजिल में कपड़े का गोदाम था। शुरुआती जांच में ऐसा संदेह है कि शार्ट सर्किट की वजह से सिलेंडर फटा और उसी से आग लगी जिसके बाद इमारत की एक दीवार ढह गई। लेकिन पुलिस अन्य पहलुओं से भी मामले की जांच कर रही है।

दिल्ली अग्निशमन सेवा विभाग के प्रमुख ने बताया कि रविवार देर रात 12 बज कर 30 मिनट पर किराड़ी में एक इमारत में आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलने के बाद दमकल की आठ गाड़ियों को बचाव दल के सदस्यों के साथ मौके पर भेजा गया। इमारत के भूतल में कपड़ों का एक गोदाम था और अन्य तीन मंजिलों पर लोग रहते थे। तड़के तीन बजकर 50 मिनट पर आग पर काबू पा लिया गया। दमकल के बचाव दल ने तीनों मंजिलों से 12 लोगों को बाहर निकालकर संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया जहां छह महीने की एक बच्ची सहित नौ लोगों को डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बाकी तीन लोगों का इलाज चल रहा है।

मरने वालों की पहचान इमारत के मालिक रामचंद्र झा (65), सुंदरिया देवी (58), संजू झा (36), गुड्डन और उदय चौधरी (33) उदय की पत्नी मुस्कान (26) और उदय के तीन बच्चों अंजलि (10), आदर्श (सात) और छह माह की बच्ची तुलसी के रूप में की गई है। उदय चौधरी किराएदार था। उदय का पूरा परिवार आग की चपेट में आ गया।

गुड्डन, रामचंद्र झा के बेटे अमरनाथ झा की सास बताई जा रही हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिन तीन बाकी पेज 8 पर

मृतकों में तीन बच्चे भी, इनमें छह महीने की एक बच्ची शामिल
शार्ट सर्किट के बाद सिलेंडर फटने से आग लगने की आशंका
मृतकों में पांच लोग एक ही परिवार के सदस्य थे
इमारत के भूतल में कपड़ों का गोदाम था और अन्य तीन मंजिलों पर लोग रहते थे

'भारतीयों के स्विस बैंक खातों का ब्योरा नहीं दे सकते'

नई दिल्ली, 23 दिसंबर (भाषा)।

वित्त मंत्रालय ने भारतीयों के स्विस बैंक में खातों का ब्योरा देने से मना कर दिया है। उसका कहना है कि यह जानकारी भारत और स्विट्जरलैंड के बीच कर संधि के 'गोपनीयता प्रावधान' के दायरे में आती है। सूचना के अधिकार (आरटीआइ) कानून के तहत पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्रालय ने विदेशों से प्राप्त काला धन का ब्योरा देने से भी मना कर दिया है।

आरटीआइ कानून के तहत पूछे गये सवाल के जवाब में मंत्रालय ने कहा, 'इस प्रकार के कर समझौतों के तहत सूचना का आदान-प्रदान गोपनीयता प्रावधान के अंतर्गत आता है। अतः आरटीआइ कानून की धारा 8 (1) और 8 (1) (एफ) के तहत विदेशी सरकारों से प्राप्त कर संबंधित सूचना के खुलासे से छूट प्राप्त है।' कानून की धारा 8 (1) (ए) उन सूचनाओं के खुलासों पर बाकी पेज 8 पर

वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह जानकारी भारत और स्विट्जरलैंड के बीच कर संधि के गोपनीयता प्रावधान के दायरे में है

सत्याग्रह

कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को राजघाट पर कांग्रेस अध्यक्ष और अपनी मां सोनिया गांधी को शाल ओढ़ाते हुए। कांग्रेस ने सीएए व एनआरसी के विरोध में सत्याग्रह किया। (खबर पेज 5)

दरअसल

2017 में देश में हुईं 2.2 लाख मौतें

अध्ययन

मरने वालों में आधे से ज्यादा पैदल व मोटरसाइकिल सवार

हादसों की सड़क पर दम तोड़ते युवा

नई दिल्ली, 23 दिसंबर (भाषा)।

भारत में 2017 में दुर्घटनाओं में 2.2 लाख मौतों के साथ ही देश में सड़क हादसा युवकों की समयपूर्व मौत के लिए सबसे बड़ा कारक बनकर उभरा है। लांसेट पब्लिक हेल्थ पत्रिका में सोमवार को प्रकाशित एक अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया है। 'द इंडिया स्टेट लेवल डिजिज बर्डेन इनिशिएटिव' नामक इस अध्ययन के अनुसार देश में सड़क हादसों में जिन लोगों की मौत हुई, उनमें आधे से अधिक पैदल यात्री और मोटरसाइकिल सवार थे। यह आंकड़ा वैश्विक औसत से अधिक था।

द इंडिया स्टेट लेवल डिजिज बर्डेन इनिशिएटिव के मुताबिक हर राज्य के लिए सड़क हादसे में जान गंवाने वालों का आंकड़ा लोगों के प्रकार (जैसे पैदलयात्री, मोटरसाइकिल सवार, साइकिल सवार आदि) के हिसाब से जारी किया गया है। सड़क हादसों में जान गंवाने वाले पैदल यात्रियों, मोटरसाइकिल सवारों, साइकिल सवारों और मोटर वाहन सवारों समेत सड़क उपयोगकर्ताओं की संख्या की लिहाज से विभिन्न राज्यों में चार से आठ गुणा का फर्क है जो इस बात को रेखांकित करता है कि हर राज्य के लिए अलग अलग सड़क सुरक्षा नियोजन की जरूरत है।

इस अध्ययन के अनुसार भारत में सड़क हादसों में होने वाली मौतों में 1990 की तुलना में अब गिरावट आई है लेकिन संषोणीय विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उसमें और कमी लाने की जरूरत है। दुनिया की जानी मानी स्वास्थ्य शोध पत्रिकाओं में से एक में प्रकाशित इस अध्ययन में भारत के विभिन्न राज्यों में सड़क हादसों में जान गंवाने वालों का उम्र और लिंग के हिसाब से विवरण दिया गया है। यह शोध बताता है कि 2017 में भारत में सड़क हादसा 15-39 साल के उम्र के लोगों की मौत की सबसे बड़ी वजह था। यह पुरुषों और महिलाओं की मौत की लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा कारण था।

इस अध्ययन की मुख्य लेखक पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रोफेसर राखी दंडोना ने कहा कि भारत में तीव्र शहरीकरण और आर्थिक वृद्धि से वाहनों की संख्या और यातायात बढ़ा है लेकिन बुनियादी ढांचे और यातायात नियमों के अनुपालन अब भी पीछे चल रहे हैं, फलस्वरूप सड़क हादसों में मौतें अधिक होती हैं।

2017 में (शोध के मुताबिक) भारत में सड़क हादसे 15-39 साल की उम्र के लोगों की मौत की सबसे बड़ी वजह थे

सड़क हादसों में विभिन्न राज्यों में चार से आठ गुणा का फर्क है जो इस बात को रेखांकित करता है कि हर राज्य के लिए अलग अलग सड़क सुरक्षा नियोजन की जरूरत है।

www.readwhere.com

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I,Ranjit Singh S/o Balwant Singh R/o 14/27 A,Tilak Nagar,New Delhi-110018,have changed my name from Ranjit Singh to Ranjeet Singh for all future purposes. 0040525185-1

I,hithertho known as ABHINAV AGGARWAL,S/o Rakesh Aggarwal,R/o-F-3/11,Ground Floor,Model Town-2 ,North-west,Delhi-110009,have changed my name and shall hareafter be known as ABBHINAV AGGARWALL for all future purposes. 0040525215-11

I,Sandeep,S/O-Chandra Shekhar,R/O-A-154, Street no-11/1,block-A,Kamal Vihar,Kamal Pur, Burari,Delhi-110084,have changed my name to Sandeep Bawari,S/O-Chandra Shekhar Bawari. 0040525215-3

I,SHRI KRISHAN GOEL,S/O,HIRA LAL GOEL,R/O D-4,VEENA ENCLAVE, NANGLOI,NEW DELHI-110041,That I hereby declare that SRI KISAN GOYAL and SHRI KRISHAN GOEL are same and one person,and in future,I shall be known as,with my correct name SHRI KRISHAN GOEL for all future,purpose and records. 0040525215-4

I,SANTOSH GOEL,W/O-SHRI KRISHAN GOEL,R/O-D-4,VEENA ENCLAVE,NANGLOI,NEW DELHI-110041,That I hereby declare that SANTOSH GOYAL and SANTOSH GOEL are same and,one person,and in future,I shall be known as with my correct name SANTOSH GOEL,for all,future purpose and records. 0040525215-5

I,No.14622847X (HAV)R KANNAN,unit 310FD,WKSP-COY-EME(7017 EME BN)resident of 80,Pottipuram, Madurai,Tamil Nadu-625708,declares that name of my minor son K GURUSETHIRAN has been recorded wrongly as K GURUKSHETHRAN in my service record whereas,correct name is K GURUSETHIRAN, amended accordingly vide-affidavit No.IN-DL99426128551263R dated:21.12.2019,before Ram Kishore Singh,Regd.No-2548,New Delhi. 0040525215-9

I,No.14622847X (HAV)R KANNAN,unit 310FD,WKSP-COY-EME(7017 EME BN)resident of 80,Pottipuram, Madurai,Tamil Nadu-625708,declares that date of birth of my wife Smt.R SUDHA has been recorded wrongly on 26.04.1980 in my service record but correct date of birth is 01.07.1980, amended accordingly vide-affidavit No.IN-DL99428065844367R dated:21.12.2019,before Ram Kishore Singh,Regd.No-2548,New Delhi. 0040525215-8

I,Mona Kumari Singh D/o Chander Shekhar Singh R/o Flat No.91, Plot–21, Pocket–6, DDA Janta Flats, Nasirpur, New Delhi-110045, state that my actual name is Mona Singh for all future purposes.Mona Kumari Singh and Mona Singh is one and same person. 0040525178-1

I,Koushal Mandal S/o Shri.Vijay Mandal R/o-S-198/156,J.J. Indra Camp-1,Shrniwaspuri, South Delhi Delhi-110065,have changed my name to Kaushal Mandal for all future purpose. 0040525215-10

I,Aalima Rifat w/o Rashid Manzoor R/O-H.No.2595, Gali. Takhat Wali Choori Walan, Jama Masjid,Delhi-110006, have changed to my name Aaleema Rashid for,all purpose. 0040525215-7

I, hitherto known as Shveta Arora W/o Sh.Vijay Kumar Arora divorcee residing at Flat.No.-C-33, Plot.No.B-15 Leiah-Apartment, CGHS, Vasundhara-Enclave, Delhi-110096.have changed my name and shall hereafter be known as Shveta Ahuja. 0040525231-3

I, hitherto known as Noshey Khan S/o Bundu Khan residing at, H.No.-786, Gali No-14/1, Nehru-Vihar, Delhi-110094. have changed my name and shall hereafter be known as Naushad 0040525231-2

I, Vinod Kumar S/O Ram Kumar Solanki R/O-Z-19, Shyam Enclave,Gopal Nagar, Najafgarh, Delhi-110043. Changed my Name to Vinod Kumar Solanki. 0040525231-6

I, Vinod Kalra alias Vinod Kumar Kalra alias Vinod Kumar S/o Late Tek Chand Kalra R/o B-198, Derawal Nagar, Model Town, Delhi-110009 have changed my name to Vinod Kalra for all purposes. 0040525175-3

I, Vijay Laxmi W/o Avtar Singh R/o KP-344 Maurya Enclave Pitampura Delhi-110034 changed my name to Vijay Laxmi Rajput. 0040525218-2

I Keshav Datt Sharma S/o Late Shri.Bhairav Dutt R/o-84, Pocket-14, sector-22, Rohini, Delhi-86. have changed my name from Keshav Datt Sharma to Keshav Dutt, for all future purposes. 0040525201-5

I Ekta Sehgal W/o Deepak Rastogi R/o-B-9/7, Krishna Nagar, Delhi-110051 have changed my name to Ekta Rastogi. 0040525231-5

I, Vanshika Chhikara D/O Anil Prakash R/O H-232, II-Floor, Ashok Vihar Phase-1, Delhi-110052. Have Changed My Name To Vanshika. 0040525231-12

I, Vanita Chopra w/o Jawahar Lal Chopra R/o H.No.50B, QU-Block, PItampura, Delhi-110088, have changed my name to Radha Chopra. 0040525218-5

I, Tamna W/o Sh.Nikhil R/o D-215-C, Gali No.8, Bhajanpura, Garhi Mandu, Delhi-110053 have changed my name to Tammana Rani for all purposes. 0040525175-2

I, Swati Bansal D/o Sham Sunder Bajaj W/o Nitin Bansal R/o-S.C.F.90, Grain Market, Sector-26, Chandigarh-160019, have changed my name to Swati Bajaj Bansal. 0040525186-1

I, Surender S/o Bhajan Lal, H.No.70, Gali No.3, Gohana-Bypass, Indian Colony, Sonipat, Haryana-131001 have changed my name to Surender Kumar. 0040525227-7

I, Subash Chander s/o Sh.Barkat Ram R/o 20A/2A, Tilak Nagar, New Delhi-110018 have changed my name to Subhash Chander permanently. 0040525197-5

I, Simple Puri/Sangeeta Gandhi/Sangeeta Kumar/ Sangeeta/Ritu Kumar D/o Inder Puri now W/o Mr.Tanuj Kumar presently residing at 704,Tower–14, Orchid Petals, Sector–49, Gurgaon (Haryana) –122018, state that my actual name is Sangeeta Kumar for all record and future purposes. Simple Puri/Sangeeta Gandhi/ Sangeeta Kumar/ Sangeeta/Ritu Kumar and Sangeeta Kumar is one and same person. 0040525178-2

I, Shobho Takwani W/o Jagdish Shahdadpuri R/o-4/2A, Sector-2, DIZ Area, Peshwa Road, New Delhi-110001 have changed my name to Shobha Shahdadpuri. 0040525227-5

I, Seema Rajput R/o B 142/3 Street no. 7 and 8 main market Bhajanpura Delhi 110053 have changed my name to Priya Verma. 0070689562-1

I, Santosh Kumar Singh s/o Rajbahadur Singh R/o-RZ-2052, Gali No.27, Tughlakabad-Extn. Delhi-110019, have changed my name to Santosh Singh permanently. 0040525197-6

I,Vivek Kumar,S/O-Shri Gyan Singh,R/O-C-40, J. J. Colony,Shakur Pur, Delhi-110034,have changed my minor daughter name from Anshi to Kumari Anjali. 0040525215-6

I, Sanjeev Kumar S/o-Subhash Chand Malhotra R/o-J-8/71, Rajouri Garden, New Delhi-110027, have changed my name to Sanjeev Malhotra for all purposes. 0040525193-1

I, Sandeep S/o Sh.Nafe Singh R/o 33, B-Block, Vinoba Enclave, Jharoda Kalan Road, Najafgarh, New Delhi-110072 have changed my name to Sandeep Singh for all purposes. 0040525175-1

I, Saakaar Attri S/o Sh.Kanth Attri R/o-A-227 Majlis-park Adarsh Nagar Delhi-110033, inform that name of my minor daughter wrongly written as Hanisha in Sukanya Samridhi Post-office Account-905121, Actual Name of my minor Daughter is Amyra Attri(5-years)for all future purposes. 0040525173-1

I, Rizwan Khan S/o Jung Mohd R/o H.No.53, Muhiddinpur Dabarsi, Jindal-Nagar, Ghaziabad have changed my name to Mohd Rizwan. 0040525201-7

I, Rakesh Kumar S/o Ram Kishan Goel R/o-A-103-104 Resettlement-Colony Khayala Delhi-110018, have changed my name to Rakesh Kumar Goel Permanently. 0040525197-7

I, Rakesh Behari S/O Rati Ram Golawala R/O Bd-7, Pitam pura, Delhi-110034. Changed My Name To Rakesh Bihari Gupta. 0040525218-7

I, Raju S/o Rampal R/o R3/205, Mohan Garden, Uttam Nagar, West Delhi-110059, have changed my name from Raju to Raj Kumar for all future purposes. 0040525203-1

I, Rajen Suguna D/o Sunder Rajen R/o:A-7, First-Floor, Gurdwara Singh Sabah Lane, Near-PaliFactory, Uttam Nagar, N.Delhi-59 Have Changed My Name to Suguna Rajen 0040525227-8

I, Priyanka Gupta D/o Ashok Gupta W/o Rohit Sharma permanent address,27, Shubh-Niketan, A-4, Paschim-Vihar, New Delhi-110063, have changed my name from Priyanka Gupta to Priyanka Sharma. 0040525201-8

I Vasheem Ahamad S/o Gayur Ahmed R/o-H.No.42C Balbir-Nagar, Kirari Suleman-Nagar, North-West Delhi-110086, have changed my name to Waseem Ahmed 0040525231-1

I Smita Maan, H.N.4204, Sector-B-5&6, Pocket-A, Vasantkunj, New Delhi-110070. Have Changed My Minor Son Name Vedant Singh To Vedant Singh Maan. 0040525197-3

I Mamta Devi Agrawal W/o Sushil Agrawal R/o House No. 219, Sector-4, Ballabgarh Dist. Faridabad-121004 (Haryana) have changed my name to Mamta Agrawal for all future purpose. 0070689563-1

I, Pratibha Devi W/O Akhilesh Chandra Pandey, Add-E-318, Irwo-Classic Apartment, Rail-Vihar, Sector-57, Gurgaon Haryana-122003. Changed My Name To Pratibha Pandey. 0040525197-1

I, Prabh Keerat S/o Kawaljeet Kaur R/o 4/186 Second-Floor Back-Side Subhash-Nagar N.Delhi-110027, have changed my name to Prabh Keerat Singh. 0040525243-1

I, Parambir Singh S/o Avtar Singh Bhandari R/o 40B Pocket-D1 Kondli-Gharoli Delhi-110096. changed my name to Parambir Singh Bhandari. 0040525218-9

I, Palak Gupta D/o Naveen Kumar Gupta R/o-F-104, Prateek Wisteria, Sector-77, Noida, UP-201301. have changed my name to Palak Goyal. 0040525201-6

I, Nitika W/o Harsh Joshi R/o 1077, S.F., RaniBagh, Shakur-Basti Delhi-110034, have changed my name to Nitika Joshi. 0040525201-2

I, Nagendra Pal Singh Rana S/O Shri Jugendra Singh, Add-D-210A Gali no.4, Ashoknagar Mandoli, Delhi-110093. changed my name to Nagendra Pal Singh. 0040525218-6

I, Mustakim S/O Abdul Hakim R/O-72/A, Basantkunj Colony, Sanjay Nagar, Sector-23, Guldhar-2, Ghaziabad, U.P-201002, Changed My Name To Mustakim Saifi. 0040525227-9

I, Malka Parveen W/o Mohammad Subhan R/o D-97, Gali No.9, Wazirabad Village, Delhi-110084 have changed my name to Malka Subhan. 0040525227-3

I, Mohan Kumar S/o-Late Sh. Bhisham Chand Sood R/o-B-6/167-168, Second Floor, Sector-7, Rohini, Delhi-86, have changed my name to Mohan Sood for all purposes. 0040525190-1

I, Mirza Halako Beg s/o Mirza Asgar Beg R/o-C-396, Gali No-13, Shri Ram-Colony, Delhi-110094, Have Changed my name to Mirza Tanjeem Beg permanently. 0040525201-9

I, Mahinder Pal Singh S/o Hukam Chand, H.No.100, Madangir Village, Pushpa-Bhawan, Delhi-110062 have changed my name to Mahender Pal Singh. 0040525227-6

I, Leshlie Gibson S/O Dominik Gibson, H.No-J-972 Vijay Nagar, Sector-9 Samrat Chowk Ghaziabad-201001. Changed My Name To Leslie Gibson. 0040525227-10

I, Krishnan Kalamani W/o Sunder Rajen R/o:A-7, First-Floor, Gurdwara Singh Sabah Lane, Near Pali-Factory, Uttamnagar, New Delhi-59 Have Changed My Name to Kalamani Rajen. 0040525218-10

I, Kamlesh Bajaj W/o Ashok Kumar R/o E-503, Signature View Apartments Mukherjee Nagar Delhi-110009, changed my name to Kamlesh Kumari. 0040525227-1

I, Kailash Chandra S/o Om Prakash Agarwal R/o-3724, 3rd-Floor Gali No.1 Kanhaiya-Nagar Tri-Nagar Delhi-110035. have changed my name to Kailash Chander Agarwal 0040525231-8

I, Jalaludin S/o Alimuddin R/o 2225, Shankar Gali, Turkman Gate, Delhi-110006 have changed my name to Jalaluddin, for all future purposes. 0040525187-1

I, Jaideep S/O Sh.Chander Shekhar, Resident Of-C5a/310c, Janakpuri, West/Delhi, Delhi-110058. Have Changed My Name From Jaideep To Jaideep Shekhar For All Purposes. 0040525197-4

I, Izhar Ahmad Siddiqui S/o Late Muid Ahmad R/o 551 Ka/340 Tha/ 3 Azad Nagar Alambagh Police Station Krishna Nagar Lucknow Inform that my son new name Ayam Siddiqui read and write in the place his old name Arsh in future my son known as Ayam Siddiqui. 0060071726-2

I, Hemant Verma S/o Babu Lal Verma R/o-Y-2, Naveen Shahdara, Delhi-110052 have changed my name to Hemant Kumar. 0040525227-2

I, Harsh Kumar S/o Inderjeet Singh R/o 1077, S.F., RaniBagh, Shakur-Basti Delhi-110034, have changed my name to Harsh Joshi. 0040525201-3

I, Harsh Joshi S/o Inderjeet Singh R/o-1077, S.F., RaniBagh, Shakur-Basti Delhi-110034, have changed my son's name Gaurav to Gaurav Joshi. 0040525201-4

I, Dippika w/o Shankar Lal Meena R/o-3A/804, DDA-HIG-Flats, Motia-Khan, Paharganj, Swami Ram Tirathnagar, Delhi-110055, have changed my name to Raj Deepika, permanently. 0040525197-8

I Sheeba/Sheeba Sayeed Khan D/O Mohd Sayeed R/O-C-82, Radhey-Shyam Park Extension, Krishan-nagar, Delhi-110051, Have Changed My Name To Sheeba Sayeed. 0040525197-2

I Shalini Sharma W/o Sanjay Bhardwaj R/o WZ-25D/2, Krishna Park, TilakNagar, Delhi-110018 have changed my name to Shalini Bhardwaj. 0040525218-4

I Praveen Gupta S/o Ram Niwas Gupta R/o F-469, Karampura Delhi-15, have changed my name to Parveen Aggarwal. 0040525201-1

व्यक्तिगत

I, Dinesh Dua D/o Ashok Kumar Dua R/o 100/28 Behind Gurudwara Subhash Nagar Rohtak Haryana 124001, have changed my minor Daughter's name from Arshiya to Arshiya Dua for all purposes. 0050160150-1

I, Deepak S/O Anil Kaushik R/O Plot no.H-227a, Kunwar Singh Nagar, Nangloi, Delhi-110041. Changed My Name To Deepak Kaushik. 0040525218-8

I, Chudasama Vijay Krishnaben, W/O Mr.Chudasama Vijay Babubhai, No.14864060n, Rank: Sep/Mt R/O-B'COY, Ihq Of Mod(Army)Tpt Unit Asc, New Delhi-110021 And Permanent Address At Vill:Sheriyaj, P.O.Sardagram, Distt:Junagadh, Gujrat-362235, Have Changed My Name Chudasama Vijay Krishnaben To Chudasama Krishnaben Vijaybhai. 0040525197-10

I, Arjun Yadhav, Son of Chander Bhan Yadav, Residing at Flat No.705, T-5, RPS Savanna, Faridabad, have changed the name of my Minor Son Tejas Yadav aged 8 yr and he shall hereafter be known as Teejas Yadhav. 0070689523-1

I, Anu Gupta W/o Prem Kumar Gupta R/o-LU-37, 3rd-Floor Pitampura Delhi-110034, changed my name to Anuradha Gupta for all purposes. 0040525218-3

I, Amrinder Sidhu S/o I, Amrinder Sidhu S/o Raman Singh Sidhu Passport.no.(J 8137646) R/o-H.No.60B, Aralias-Appts., DLF-Golf-Links, DLF-Phase-V, Gurgaon, Haryana inform you that my father's name mentioned in my passport and other relevant documents as Kanwaljit Singh is not valid.The correct name of my father is Mr.Raman Singh Sidhu and should be henceforth,reflected as so. 0040525218-1

I, Amit s/o Ganesh Dass R/o 30a block bk-1 Shalimar bagh, DELHI-110088, have changed my name to Amit Choudhary 0070689560-1

I, Alka Rana D/o Late Sh.Om Hari Singh Rana R/o House No.93, Street No.4, Shankar Nagar, Krishna Nagar, Delhi-110051 have changed the name of my minor son from Samarth Alka to Samarth Rana for all purposes. 0040525175-4

I, Mohd. Subhan S/o Mohd. Mukhtar Ahmad R/o-D-97, Gali No.9, Wazirabad Village, Delhi-110084 have changed my name to Mohammad Subhan. 0040525227-4

I hitherto known as Sitara W/o Nafis Ahamad D/o Meharban Ali at H.No.C-86, Gali No-2, Laxmi-Garden, Loni-Ghaziabad U.P.-201102. have changed my name and shall hereafter be known as Sitara Kulsum. 0040525231-4

I hitherto known as Santosh, Wife of-Raj Paul residing at C-140, Minto-Road Complex, Minto Road, Delhi-110002 have changed my name and shall hereafter be known as Santosh Paul. 0040525197-9

I Ashima D/o Rajesh Goel, H.No-133 Ugf Block-C Gali No-7 Majlis-Park Adarsh-Nagar Delhi-110033. Changed my Name to Ashima Goel. 0040525231-7

I, Subhash Chander R/o B-194, Gali No.-1, Guru Nanak Dev Colony, Bhalswa Dairy, Delhi-110042 have changed my name to Subhash Chand Saini. 0070689565-1

I, Kusum Kumari W/O Pramod Kharwar R/O B-78, Campno.4, Jwala Puri, Sunder Vihar, Delhi-110087. Changed My Name To Kusum Kharwar. 0040525231-11

खोया+पाया

I, Priyanka D/o Raju, RZ-15, Suraj Vihar, Kakrola Mor, Dwarka, Delhi-78, have lost my 10th class marksheet year 2013. Roll No.8746251 CBSE Board. Mob.No 9718548672. 0040525228-1

Public Notice

Corrigendum to public notice for lost Sale Deed published on Dec, 21, 2019 wherein Block "H" in the address of the subject property was inadvertently omitted. The correct address of the property is; House No. 625, "H" Block, Palam Vihar, Gurugram Haryana. Owner: Dharamvir Narula Mb. No. +91 9354969527

PUBLIC NOTICE

I Neelam Raj W/o Bhagat Raj have Lost My Original Conveyance deed Executed in Favour of Smt. Gayatri Devi, dated 02.11.2015 for flat No.- 44, Pocket-B, Nand Nagri, Delhi-110093 Conveyance deed Registration No.-16922 Book No.-1,Volume No.- 5697 Pages from 105 to 107 Dated: 02.11.2015

PUBLIC NOTICE

General Public is hereby informed that my clients Sh.Ramesh Kumar Sharma S/o Sh. Harbans Lal Sharma and Smt. Veena Sharma W/o Sh. Ramesh Kumar Sharma both R/o RZ-202/5B, Gali No. 3A, Sadh Nagar Palam Colony, Delhi-110045 evicted their Son Pawan Kumar Sharma and his wife Smt Ritesh from all their movable and immovable properties and had disowned, dis-herited, debarred and severed all relations from his son Pawan Kumar Sharma and his wife Smt. Ritesh. Any one dealing with Pawan Kumar Sharma and his wife Smt. Ritesh will be doing so at his own risk and cost and my clients will not be liable for the same.

SUMER SINGH GAHLOTI-ADVOCATE
Ch. No. 810, Dwarka Court Complex, New Delhi -110075

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I, BAI DEEPAK S/o BAI RAGHUNATH residing at E-80/181, Rajiv Camp, Jhilmil Colony, Krishna Market, Delhi-110095, declare that name of my father & Mother and my name wrongly written as "B RAGHUNATH" & "B REVATI" and "B DEEPAK" My 10th class & 12 class all Documents (C.B.S.E. Board Delhi) 10th class Roll No. 8611853 & 12th class Roll No., 9614867. The actual name of my father & Mother & my is "BAI RAGHUNATH" & BAI REBATI and "BAI DEEPAK", which may be amendded accordingly.

PUBLIC NOTICE

It is notified for the information of the general public that my client Smt. Ranjana W/o Late Babu Lal R/o RZ-16/B, Roshan Vihar, Najafgarh, New Delhi-110043 have severed all her relations and connections with her daughter Aarti, because she is out of control of my client and has debarred her from her all movable and immovable properties.
Any body deals with her at his/her/their own risk, cost and expenses. My client shall neither liable and responsible for their acts, deeds and things under any circumstances.

Sd/-GAUTAM KUMAR SINGH, ADVOCATE
SR IInd, B Campus, Janakpuri, N.Delhi-58

PUBLIC NOTICE

My clients (1) Deep Chandra S/o Late Mawasi Lal, his wife (2) Smt Neelam and his son (3) Vidit Kumar all R/o 663, Khasra No.14/13, Gali No.29, Chandan Vihar, Sant Nagar (West), Burari, Delhi-84 have severed all their relations with their daughter, sister namely Akshita Kushwaha as she has solemnize her marriage against the wishes of my clients. My clients No.1 and 2 have also disowned her from all their movable and immovable properties. If anybody deals with her, he/she shall do so at his/her own risk and my clients shall not be responsible for any of her acts.

Sanjay K. Jha (Advocate)
Ch.No.C-5, C.L. Joseph Block,
Tis Hazari Courts, Delhi-110054

PUBLIC NOTICE

To be known to all that my client POONAM GUPTA WIFE OF SH. MOHAN LAL GUPTA RESIDENT OF B-5/333, SECTOR-8, ROHINI, DELHI 110085 owner of ENTIRE GROUND FLOOR WITHOUT ROOF RIGHTS PART OF PROPERTY BEARING NO. 3535-1/B, AREA MEASURING 160 SQ. YDS., PLOT NO. 51, OUT OF KILLA NO. 25, MUSTATIL NO. 28 SITUATED IN THE REVENUE ESTATE OF VILLAGE SHAKURPUR, DELHI STATE, DELHI ABADI KNOWN AS RAJA PARK, SHAKUR BASTI, DELHI- 110034 have lost all the original/photocopy of chain of property documents of above said property except the Original Sale Deed dated 30.06.2008 executed by SMT. TULSI BALODI W/O SH. PREM BALODI in favour of my client SMT. POONAM GUPTA W/O SH. MOHAN LAL GUPTA. An FIR vide LR No. 23.12.2019 has lodged in P.S. Crime Branch 2026373/2019 dated Delhi for loss of documents. Any person (s) claiming any right, interest, having any objection or found in possession of original document, may write/contact with above named person at above address/phone No. 9717292002 or or Email ID aggarwalgranites@gmail.com within 15 days from the date of publication of this notice.

Sd/-
KAMAL SINGH (Advocate)
Regn. No. D-748/14

PUBLIC NOTICE

IT IS HEREBY INFORMED THAT MY CLIENT (1) SH. VARUN JUNEJA S/O LATE SH. JAGDISH JUNEJA & (2) SMT. SHILPI JUNEJA W/O SH. VARUN JUNEJA BOTH R/O HOUSE NO. 31, A.G.C.R. ENCLAVE, DELHI, ARE THE ALLOTEE OF PLOT BEARING NO. 239, IN BLOCK - D, POCKET-1, AREA MEASURING 32 SQ. MTRS., SITUATED AT SECTOR - 29, ROHINI, DELHI AND THEY HAVE MISPLACED/LOST ORIGINAL DEMAND CUM ALLOTMENT LETTER, POSSESSION SLIP, HANDING OVER POSSESSION SLIP, ISSUED BY DDA IN RESPECT OF ABOVE SAID PROPERTY & THEY HAVE LODGED A FIR/NCR VIDE LR NO. 2013892/2019 DATED 19.12.2019, WITH POLICE STATION, CRIME BRANCH, DELHI, IF ANY BODY FIND THE SAID DOCUMENT, PLEASE INFORM HIM AT THE ABOVESAID ADDRESS OR PH. NO.: 9212415687.
IF ANY OTHER CLAIMENT HAS ANY RIGHT IN THE AFORESAID PROPERTY, HE/SHE SHOULD FILE AN FIR & GIVE INTIMATION TO DY/ASST. DIRECTOR (LAB RO), DDA VIKAS SADAN, INA, NEW DELHI WITH IN 15 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE OF THIS NOTICE

RENU BALA (Advocate)
Enrol No. D-4533/2014

PUBLIC NOTICE

I, Mrs. Chumki Chopra Wife of Mr. Bhupinder Chopra R/o Apartment No. TNC Trinity Towers, DLF 5, Club Drive Road, Gurugram-122009, Haryana, have lost Original General Power of Attorney (GPA) executed by Mrs. Deepa Vig Wife of Mr. Sanjay Vig and Mr. Sanjay Vig son of Mr. Surinder Kumar Vig in favour of Mr. Sachin Gupta son of Shri K.K. Gupta for the Sale, execution and registration of sale deed of the apartment no. TNC 192, 19th Floor, DLF Trinity Towers, DLF 5, Club Drive Road, Gurugram-122009, Haryana Which was attested by Anil Kumar S, Assistant Consular Officer, High Commission of India, Singapore Vide Endorsement No. 27806 Dated 20th December, 2010 and duly stamped by Collector of Stamp, Vasant Vihar, New Delhi on 06th January, 2011 has been lost, finder may pls cont at address above.

PUBLIC NOTICE

My clients Shri Sanjeev Kumar Jha, son of Shri Bhogendra Jha and Smt. Ratna Jha, wife of Shri Sanjeev Kumar Jha, both resident of House No. I-597, Hari Nagar Extension, Part-II, Badarpur, New Delhi-110044 have debarred and disowned their son namely Ashish Jha resident of House No. I-597, Hari Nagar Extension, Part-II, Badarpur, New Delhi- 110044 & daughter-in-law Mrs. Pooja Yadav, daughter of Shri Om Prakash yadav, wife of Shri Ashish Jha, resident of House No. C-97, Hari Nagar Extension, Part-II, Badarpur, New Delhi-110044, from their all movable/ immovable properties whatsoever. Due to their behavior towards my clients, my clients have also severed all their relations with them. If anybody deals with them, they will do so at their own risk, cost and consequences. My clients, their other family members and relatives shall not be responsible/ liable for any act of above named persons.

Sd/-
MONIKA KAMBOJ (Advocate)
Ch. No. 821, Dwarka Courts,
New Delhi-75

PUBLIC NOTICE

I, Sanjay Kumar Adv. on behalf of my client Shri Ram Narayan R/o F-559, Dakshinpuri, N.D. 62, caused this notice to the general public that my client has debarred and disowned (1) Amit Kumar (son), (2) Archana (daughter-in-law) & (3) Mitansh Kumar (grandson), from all his properties, assets and benefits (movable and immovable) because of their bad and wrong acts and conducts, as their behaviour towards my client are not well and proper, now my client would have no concern with above mentioned persons, in any manners & if any person deals with them in any ways, in that case he/she/they would be doing so at his/her/their own risks and my client will not be responsible for the same.

Sd/-
SANJAY KUMAR
Advocate
D/766/2018

PUBLIC NOTICE

I declare that my clients namely Mrs. Muresha W/o Late Shakil Ahmad R/o L-259, J.J. Colony Wazirpur, Delhi -110052, wants to disown his/her son namely Mr. Irshad Ali and his wife namely Mrs. Ruby from self acquired all movable and immovable property for future all actions, and above said statements are true & correct in the best of my knowledge & belief.
Place: New Delhi
Date: 19.12.2019

Shama Rani (Advocate)
Enrolment No. D-843/1992

PUBLIC NOTICE

I declare that my clients namely Mr. Raj Kumar S/o Late Charan Singh and Mrs. Geeta W/o Shri Raj Kumar both R/o J-3/161, J.J. Colony Wazirpur, Delhi - 110052, wants to disown his/her son namely Mr. Rohit Kumar and his wife namely Mrs. Komal from self acquired movable & immovable property for future all actions, and above said statements are true & correct in the best of my knowledge & belief.
Place: New Delhi
Date: 23.12.2019

Shama Rani (Advocate)
Enrolment No. D-843/1992

PUBLIC NOTICE

All concerned are hereby informed through this Public Notice that my client Rajesh Saxena S/o Dinesh Saxena, R/o House No. 135, Post Office Najafgarh, Rewla Khan Pur, South West, Delhi-110043, has disowned and debarred his son namely Kapil Saxena and his daughter-in-law Sakshi Saxena W/o Kapil Saxena, from his entire movable and immovable property and severed all his relations with his son and his daughter-in-law as the son and daughter-in-law of my client are not according to the temperaments of my client and used to misbehaved, disobeyed and harass my client. My client shall not be held responsible for any of their acts, deed and things in whatsoever in any manner and if anyone deals with them shall be deal as per his/her own risk, cost and consequences.

MAMTA PATEL (Advocate)
Ch. No. 402, Dwarka Courts, New Delhi-110075

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री आर्य भूषण, श्री अनिल कश्यप एवं श्रीमती पूनम चतुर्वेदी ने पश्चिम विहार, नई दिल्ली में स्थित आवासीय सम्पत्ति सं. 1025, भूतल, श्रेणी–2 पॉकेट–जीएच–13 का मालिक एवं कब्जेदार होने का दावा किया है और जिसकी मालिक पहले बिक्री विलेख दिनांक 28.07.2001 के माध्यम से उनकी माताजी नामतः श्रीमती सरोजनी शर्मा थीं और उनकी माताजी की मृत्यु के बाद कथित सम्पत्ति हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के माध्यम से उनके पक्ष में चली गई और श्री आर्य भूषण, श्री अनिल कश्यप एवं श्री पूनम चतुर्वेदी के स्वामित्व अधिकार के अनुसार वे कथित सम्पत्ति को श्रीमती रितु कपूर को बेचने के लिए सहमत है और श्रीमती रितु कपूर ने एक्सिस बैंक लि. के पास वित्तीय सहायता के लिए सम्पर्क किया है इसलिए सम्पत्ति उक्त बैंक के पास गिरवी रखनी होगी। उक्त संपत्ति या उसके किसी भी भाग के संबंध में किसी भी व्यक्ति का कोई दावा होने पर, इस सूचना के दिनांक से 15 दिनों के भीतर नीचे दिए गए पते पर दस्तावेजी साक्ष्य के साथ अधोहस्ताक्षरी को लिखित रूप में सूचित करने का अनुरोध किया जाता है, ऐसा न करने पर, ऐसे व्यक्तियों के दावे को मुक्त या परित्यक्त माना जाएगा और हमारे मुवक्किल उक्त संपत्ति पर ऋण के संवितरण और उसके संबंध में इसे बंधक रखने की प्रक्रिया करेगा।

Sunil Parsad (Advocate)
Juris NextGen Law Offices
E-56, Greater Kailash Enclave Part-1
New Delhi-110048

PUBLIC NOTICE

Public at large is hereby informed that my client Shri Mahinder Kumar Batra S/o Late Shri Girdhari Lal Batra, R/o House No. 01, Road No. 44, Punjabi Bagh West, New Delhi-110026 is the sole and exclusive owner of the property bearing House No. 01, Road No. 44, Punjabi Bagh West, New Delhi-110026 having purchased the same from its previous owners. That Original Previous Sale Deeds of said property which are registered documents duly registered vide registration no. 1647 in Additional Book No. I, Vol. No.701 on Pages No. 117 to 122 dated 21/02/1962 with office of Sub-Registrar, Delhi executed in favour of previous owner Shri Girdhari Lal Sharma S/o Pt. Kishan Chand by Refugee Co-Operative Housing Society Ltd. Delhi, another previous original sale deed of said property duly registered vide Registration No. 13332 in Additional Book No. 1, Volume No. 1558, Pages 43 to 47 dated 10/11/1971 with office of Sub-Registrar, Delhi executed in favour of previous owner Shri Lalpat Rai, Subhash Chander, Vinod Kumar and Om Prakash by Shri Malava Ram Mediratta S/o Shri Mana Ram and Original Special Power of Attorney, duly registered vide document no. 1372 in Additional Book no. 4, Vol. No. 178 on Page No. 70 Dated 28/06/1966 executed by Shri Girdhari Lal Sharma in favour of Mr. Malava Ram Mediratta. However these original registered documents have been lost by my client on 17/12/2019 and my client has already reported the same to police vide LR No. 2008884 dated 18/12/2019. That in case any one finds the same he/she may kindly return the same to my above named client and any one dealing with the said property on the basis of these lost documents shall be doing it at his/her/their own risks, consequences, perils and cost and my client shall not be held liable in any manner whatsoever.

AJAY KUMAR (Advocate)
Ch. No. 149, Western Wing, Tis Hazari Courts, Delhi
Mobile No.: 9015787273

अदालती सूचना

PROCLAMATION REQUIRING ATTENDANCE OF DEFENDANT
(Order 5 Rule 20 of the Code of Civil Procedure)
In the Court of Ms. Kiran Gupta, Addl. District Judge, North Delhi
CS NO. 1034/18
Bank of Baroda
V.
Surender Bansal

To,
Mr. Surender Bansal S/o Mr. Daya Kumar Bansal D-166/34 Sector 50 Noida U.P.
Whereas you are intentionally evading service of summons it is hereby notified that if you shall not defend the case on the 12.03.2020 at 10.00 am fixed for the final disposal, it will be heard and determined ex-party.
Given under my hand and the seal of the Court this 16.12.2019.

SEAL
Sd/-
Additional District Judge-03(North)
District Courts Rohini, Delhi

भू-समुद्री सीमा पर ध्यान केंद्रित करें सुरक्षा एजंसियां : शाह

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 दिसंबर।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को सुरक्षा एजंसियों से कहा कि वे देश की भू एवं समुद्री सीमा की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने कहा कि भारत के पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य में आगामी वर्षों में ये चुनौतियां सामने होंगी। खुफिया ब्यूरो (आइबी) के 32वें 'एंडोमेंट व्याख्यान' के अवसर पर गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार आतंकवाद, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर से उग्रवाद को अगले पांच वर्षों में पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने पिछले पांच साल में आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने सहित राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों से सक्षम तरीके से निपटने और पूर्वोत्तर में प्रभावी तरीके से आतंकवाद से निपटने के लिए आइबी की प्रशंसा की। आगामी वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियां गिनाते हुए शाह ने अपनी जमीन और समुद्री सीमा की रक्षा पर विशेष बल दिया।

उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों का समाधान ढूंढने के लिए कर्मियों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है और कहा कि उन्हें ज्यादा प्रभावी बनने के लिए अपने रुख में बदलाव लाना चाहिए। शाह ने कहा कि आइबी ने आतंकवाद और नक्सलवाद के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाई है।

जम्मू कश्मीर में लश्कर का आतंकी गिरफ्तार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 दिसंबर।

जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में एक तलाश अभियान के दौरान लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि स्थानीय निवासी सद्दाम मीर प्रतिबंधित संगठन से जुड़ा हुआ था। उसे उत्तर कश्मीर के सोपोर कस्बे के एक गांव से रातभर चले अभियान के बाद गिरफ्तार किया गया।

हर्षवर्द्धन श्रृंगला नए विदेश सचिव बने

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 दिसंबर।

भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हर्षवर्द्धन श्रृंगला नए विदेश सचिव नियुक्त किए गए हैं। वह अभी अमेरिका में भारत के राजदूत के तौर पर सेवा दे रहे हैं। कार्मिक मंत्रालय ने सोमवार को एक आदेश जारी कर उनकी नियुक्ति की घोषणा की। श्रृंगला भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) के 1984 बैच के अधिकारी हैं।

आदेश के अनुसार वह 29 जनवरी को विदेश सचिव का प्रभार संभालेंगे। वह मौजूदा विदेश सचिव विजय केशव गोखले की जगह लेंगे, जिनका दो साल का कार्यकाल इसके एक दिन पहले समाप्त हो रहा है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी।

PUBLIC NOTICE

Property no. C-392 measuring 160 sq. mtr. Vikaspuri, New Delhi-110018. It is to inform if any person/s or any financial institution have any type of liability in any manner for the above said property please come forward. This is to inform the public at large and all concerned that my client has entered into the agreement with Sh. Keishing James s/o Lt. K. Luise on dated 14/10/2019 and further entered into Tripartite Agreement with Punjab National Bank and Sh. Keishing James on dated 15/10/2019, which both the agreements are irrevocable. Anybody dealing with the aforesaid property in any manner shall do so at their own risks and costs for which legal action can be taken.

(K.P.SINGH)
ADVOCATE
KG 2/359, VIKASPURI
9811278077

म्यांमा पोत के चालक दल के छह सदस्य गिरफ्तार

कोलकाता, 23 दिसंबर (भाषा)।

अंडमान अपतटीय क्षेत्र में म्यांमां के एक पोत से कम से कम 370 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद होने के बाद इसके चालक दल के छह सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। यहां स्थित मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि संदेह है कि यह मादक पदार्थ मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला मीथाम्फेटामीन है और इसे जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया है। बाजार में इसकी कीमत कई 100 करोड़ रुपये बताई जाती है।

पोर्ट ब्लेयर में तैनात भारतीय तटरक्षक बल ने शनिवार को पोत से मादक पदार्थ बरामद होने के बाद चालक दल के छह सदस्यों– ऑन्ग ऑन्ग, हते नाइंग, विन नाइंग, साइ दे जिन हतू, एनजी म्यो और थान म्वे को हिरासत में ले लिया।

Classifieds
EXPRESS EDUCATION
ALL YOU NEED TO KNOW ABOUT
IAS & HOW TO CRACK IT
FREE SEMINAR
TILAK NAGAR
Sun. 29th Dec. 2019
10 A.M. to 12 P.M.
4 P.M. to 6 P.M.
NIRVANA IAS ACADEMY
Batches Start 5th January 2020
Weekend Batches Available
www.nirvanaias.com
ROHINI: H-17/262, Near Rohini West Metro Station, (Opp. Metro Pillar No.424), Sector - 7, Rohini, New Delhi - 85
TILAK NAGAR: 30/4, Ashok Nagar, Near Tilak Nagar Metro Station, Gate No- 3, New Delhi - 18.
Ph: 011-47032447, 011-25121005, 9990471004, 9990471005
LAST BATCH FOR 2020 PRELIMS
Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service
23276901, 23282028 (M): 9212008155, 9212665841

जान बचाने के लिए उदय ने रिश्तेदारों को किया था फोन

अमलेश राजू
नई दिल्ली, 23 दिसंबर।

किराड़ी इलाके के निठारी इंदिरा एन्क्लेव में रविवार रात लगी आग से बचने के लिए अंतिम समय में पीड़ित ने बचाव के लिए अपने रिश्तेदारों को फोन किया था। पत्नी और बच्चे सहित आग की भेंट चढ़े 33 साल के किराएदार उदय चौधरी ने फोन करने के कुछ ही देर बाद दम तोड़ दिया। गली नंबर–दस के 50 गज प्लाट में बने इस इमारत में किराए पर रहे उदय की पत्नी 26 साल की मुस्कान, दस साल की बेटी अंजलि, सात साल का बेटा आदर्श और छह महीने की तुलसी उर्फ वैष्णवी की दम घुटने से मौत हो गई। मकान के मालिक रामचंद्र झा के दो बेटों में अब अमरनाथ झा हैं। एक बेटा बैजनाथ झा की मौत पिछले साल हो गई थी। बिहार के मधुबनी जिले के रहने वाले उदय चौधरी के जानकारों का कहना है कि जान गंवाने से पहले उसने अपने रिश्तेदारों को अंतिम समय में फोन भी किया था। बचाव की गुहार लगाने का यह प्रयास उसका कारगर साबित नहीं हो सका और पत्नी बच्चों सहित वह खुद आग की चपेट में आ गए। उदय भी निजी कंपनी में ही काम करते थे। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि बैजनाथ के मरने के बाद परिवार में कुछ विवाद भी शुरू हो गया था लेकिन 65 साल के बुजुर्ग इमारत के मालिक रामचंद्र झा के कारण किसी की दाल नहीं गल रही थी।

हादसे के बाद जले भवन को देखते आसपास के लोग।

रिहायशी इलाके में चल रहा था कपड़े का गोदाम

घटना के बाद एक बार फिर दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग और नगर निगम के सर्वे पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। यहां भी रिहायशी इलाके में व्यावसायिक काम हो रहा था। जिले के पुलिस अधिकारी का कहना है कि शुरुआती जांच में शार्ट सर्किट से लगी आग के बाद कपड़े के गोदाम में आग लगने की बात सामने आई है। यहां एक सिलिंडर भी था जिसमें विस्फोट हो गया और हादसा भीषण रूप धारण कर लिया। पुलिस अब आसपास के लोगों और पीड़ित परिवार के सदस्यों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। हादसे के बाद लोगों का कहना था कि रिहायशी इलाके में व्यावसायिक कार्य और फिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हो रहे सर्वे का यहां भी खुलेआम उल्लंघन हुआ। यहां अभी भी खुलेआम रिहायशी इलाके में घरेलू उद्योग धंधे चल रहे हैं। इसकी जानकारी दिल्ली सरकार के संबंधित विभाग, नगर निगम और पुलिस को है।

सोमवार सुबह घटना के बाद जांच के लिए पहुंचे दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के एसडीएम नागेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि यहां अवैध रूप से गोदाम और कारखाने चल रहे हैं। इसका सर्वे किया जा रहा है और उस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। तीन मंजिले इस इमारत में पहली मंजिल पर कपड़े के गोदाम के लिए विजय कटियार नामक एक व्यापारी को किराए पर दिया गया था जबकि ऊपर की एक मंजिल पर उदय चौधरी किराए पर रहते थे। बाकी रामचंद्र के दोनों बेटे अमरनाथ और बैजनाथ झा के परिवार रहते थे। एक साल पहले दिसंबर महीने में ही बैजनाथ झा की मौत कैंसर से हो गई थी। बैजनाथ की पत्नी संजू की मौत भी आग में हो गई। जबकि उसकी बेटी 10 साल की सौम्या गंभीर रूप से घायल है।

अग्निशमन बचाव दल ने किसी तरह सभी को नीचे उतारा

डी ब्लॉक के प्लाट नंबर–208 के इस इमारत में हादसे के बाद अब अमरनाथ, उनकी पत्नी 24 साल की पूजा और तीन साल की आराध्या के साथ भतीजी सौम्या ही बच पाई हैं। दिल्ली अग्निशमन का बचाव दल रामचंद्र, उनकी पत्नी सुदरिया देवी, संजू और अमरनाथ की सास गुड्डन को दूसरी मंजिल से जबकि उदय के पांच सदस्यों को प्रथम मंजिल से नीचे उतारा। आराध्या, सौम्या और पूजा तीसरी मंजिल पर थीं। इन तीनों का इलाज पास के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। दिल्ली अग्निशमन अधिकारी एके शर्मा के नेतृत्व में गई बचाव टीम ने तीनों मंजिलों पर बनी इमारत में रह रहे 12 लोगों को संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया जहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ विजय ने नौ को मृत घोषित कर दिया। इनमें एक की आग में झुलसने बांकी आठ की दम घुटने से मौत हुई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल में रखा है।

एसडीएम जांच के आदेश

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 दिसंबर।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किराड़ी इलाके में आग लगने की घटना में तीन बच्चों सहित नौ लोगों के मारे जाने की घटना पर शोक व्यक्त किया और कहा कि घायलों के इलाज में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी जा रही है। दिल्ली सरकार की ओर से एसडीएम जांच के आदेश दिए गए।

दिल्ली सरकार ने घटना में मारे गए लोगों के परिजन को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। केजरीवाल ने ट्वीट किया– यह बेहद दुखद खबर है। आग पर काबू पा लिया गया (लेकिन) नौ लोगों को बचाया नहीं जा सका। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। घायलों के इलाज में कोई कोर कसर नहीं रखी जा रही है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा था कि सरकार घायलों के इलाज का खर्च भी वहन करेगी और उनमें से प्रत्येक को एक–एक लाख रुपए देगी। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि हमने एसडीएम जांच के आदेश दिए हैं।

दोषियों पर हो कार्रवाई : तिवारी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 दिसंबर।

दिल्ली के किराड़ी इलाके के तीन मंजिले मकान में बने कपड़ा गोदाम में आग की घटना के बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी, सांसद हंसराज हंस, नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता, महिला मोर्चा अध्यक्ष पूनम पराशर झा और मेयर अवतार सिंह सहित कई भाजपा नेता घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ित परिवारों का ढांढस बंधाया। जबकि क्षेत्रीय सांसद हंसराज हंस इस घटना के संबंध में उपराज्यपाल से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा।

शोक प्रकट करते हुए दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि आज की इस घटना से मुझे गहरा दुख पहुंचा है। मैं अत्यंत दुखी हूं। अनाज मंडी में हुए दर्दनाक अग्निकांड से अभी तक लोग उबरे भी नहीं थे कि किराड़ी के गोदाम में आग की घटना ने दिल्ली को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना ने कई परिवारों से उनके अपनों को छीन लिया है। हम पीड़ित परिवारों की दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। भाजपा कार्यकर्ता घायलों और जरूरतमंदों को हर मुमकिन तत्काल सहायता देने के लिए तत्पर हैं। तिवारी ने कहा कि ऐसे मामलों में चाहे व्यवस्था दोषी हो या व्यक्ति उनसे सहानुभूति दिखाने की जरूरत नहीं है। उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उधर, भाजपा नेता गोपाल झा ने कहा कि इस अग्निकांड में मारे गए लोग निम्न–मध्यम वर्ग के थे लिहाजा दिल्ली सरकार को पीड़ित परिवार के सदस्यों में एक को नौकरी देनी चाहिए।

उपराज्यपाल ने साइबर अपराधों की रोकथाम के उपायों की समीक्षा की

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 दिसंबर।

उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सोमवार को राजनिवास में आयोजित बैठक में दिल्ली पुलिस के साइबर अपराध रोकथाम एवं जागरूकता तथा पहचान केंद्र की कार्य प्रगति की समीक्षा की। इस बैठक में दिल्ली सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त (विशेष शाखा), अतिरिक्त आयुक्त (साइबर शाखा), मुख्य तकनीकी सलाहकार एवं दिल्ली पुलिस के उपायुक्त (साइबर सेल) उपस्थित थे।

बैठक के दौरान दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने साइबर अपराध रोकथाम, जागरूकता एवं पहचान केन्द्र की संरचना, कार्यप्रणाली, तकनीकी सुविधाएं और साइबर जागरूकता के लिए किए गए प्रयासों तथा साइ–पैड के उपलब्धियों की विस्तृत प्रस्तुति दी। उपराज्यपाल को साइ–पैड में उपलब्ध आधुनिक साइबर सुविधाएं यथा– मेमोरी फारेंसिक लैब, नेटवर्क फारेंसिक लैब, एडवांस मोबाईल फारेंसिक लैब, मालवेयर फारेंसिक लैब, क्लाउड फारेंसिक लैब और क्रिप्टो करेंसी फारेंसिक टूल के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया। उन्हें यह भी बताया गया कि साइ–पैड द्वारा डिजिटल इको सिस्टम में सुरक्षा और समाधान के कार्य भी किया जाता है।

प्रदूषण के खिलाफ इलेक्ट्रिक वाहनों को दिल्ली में प्राथमिकता

- दिल्ली मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 को दी हरी झंडी
- 2024 तक पंजीकृत होने वाले नए वाहनों में से 25 फीसद होंगे ई–वाहन : मुख्यमंत्री

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 दिसंबर।

राजधानी में प्रदूषण के लगातार गहराते संकट से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने सूबे में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देने का निर्णय किया है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने सोमवार को दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 को पास कर दिया है। इस नीति के तहत 2024 तक दिल्ली में पंजीकृत होने वाले वाहनों में से 25 फीसद इलेक्ट्रिक होंगे।

सरकार ने दो, तीन व चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदने पर सब्सिडी देने के साथ रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क भी माफ करने का फैसला लिया है। सरकार की योजना है कि हर तीन किलोमीटर पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध हो। इसके लिए निजी क्षेत्रों को भी बड़े स्तर पर प्रोत्साहित किया जाएगा। भवन निर्माण नियमों में बदलाव कर पार्किंग स्थल पर कम से कम 20 फीसद पार्किंग में चार्जिंग की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा सरकार ने खरीदी जाने वाली नई बसों में से 50 फीसद ई–बसें खरीदने का भी लक्ष्य रखा है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली का प्रदूषण कम करने के लिए मंत्रिमंडल ने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया है। दिल्ली की इलेक्ट्रिक वाहन नीति को पास कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद आने वाले दिनों में दिल्ली को इलेक्ट्रिक वाहनों की राजधानी भी बनाने का है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण ज्यादा है, इसमें सबसे ज्यादा वाहनों से प्रदूषण होता है। 40 फीसद पीएम–2.5 वाहनों की वजह से होता है। 80 फीसद कार्बन मोना ऑक्साइड वाहनों की वजह से होता है। एक साल पहले नवंबर 2018 में इलेक्ट्रिक वाहन नीति का प्रारूप बनाया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरान कई बार पॉलिसी को लेकर चर्चा हुई। इस पर आम लोगों और विशेषज्ञों के साथ भी बात हुई है। कई विशेषज्ञ संस्थाओं ने अपना सुझाव भी दिया। इन सबके सुझाव पर विचार करके यह नई नीति बनाई गई है। सरकार का मकसद है कि 2024 तक दिल्ली में जितने नए वाहन पंजीकृत होंगे, उसमें से कम से कम एक चौथाई (25 फीसद) वाहन इलेक्ट्रिक होने चाहिए।

मेयर ने मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली। किराड़ी के निठारी क्षेत्र में लगी आग के कारणों का जल्द से जल्द पता लगा कर रिपार्ट देने का निगम अधिकारी को निर्देश दिया गया है। उत्तरी दिल्ली के मेयर अवतार सिंह ने सोमवार को रोहिणी वार्ड समिति के अध्यक्ष मनीष चौधरी, पार्षद उर्मिला चौधरी और निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ घटनास्थल का दौरा किया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात के बाद निगम अधिकारियों को आग के कारणों का जल्द से जल्द पता लगाने व रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। (जनसत्ता संवाददाता)

अवैध शराब की तस्करी में दो गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 दिसंबर।

पश्चिम जिला के के मायापुरी थाने की पुलिस टीम ने एक मामले का खुलासा करते हुए रात के अंधेरे में साढ़े 12 रात में अवैध शराब की तस्करी के मामले में एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। जिला उपायुक्त दीपक पुरोहित के अनुसार मायापुरी में पुलिस टीम लगाई गई थी। टीम मायापुरी कम्युनिटी सेंटर के पास देर रात पिकेट चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान एक चैंपियन गाड़ी संदिग्ध हालत में स्पीड में निकलती हुई नजर आई। पुलिसकर्मियों ने तुरंत उस गाड़ी को रोका और जब ड्राइवर से जब पूछताछ की तो शक और बढ़ गया। गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें से एक एक करके शराब के 140 गत्ते बरामद हुए। पुलिस टीम ने गाड़ी के ड्राइवर सनी को एक्साइज एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला की वह हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है। शराब की खेप दिल्ली में आगे देने के लिए लाया गया था।

डीयू बनाएगा अक्षयनिधि, पूर्व छात्रों से मांगा योगदान

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 दिसंबर।

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) अक्षयनिधि बनाएगा। इसके लिए डीयू के कुलपति प्रोफेसर योगेश त्यागी ने पूर्व छात्रों, उनके परिजनों और दोस्तों इसमें योगदान देने की अपील की है। उन्होंने डीयू के पूर्व छात्रों को सोमवार को लिखे गए पत्र में इसकी जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस फंड के लिए योगदान देने वालों को 100 फीसद कर में छूट मिलेगी।

कुलपति ने पूर्व छात्रों को यह जानकारी दी की डीयू को भारत सरकार की ओर से उत्कृष्ट संस्थान (आइओए) का दर्जा भी प्राप्त हुआ है। इसके तहत सरकार से डीयू को एक हजार करोड़ रुपए मिलेंगे। अगले पांच साल तक यह राशि संस्थान को दी जाएगी। इस निधि से डीयू जिन भी क्षेत्रों में पीछे है, उसे बेहतर किया जाएगा। इस एक हजार रुपए की राशि से कई नए केंद्र भी स्थापित करने की योजना है। साथ ही इस फंड को शोध में भी खर्च किया जाएगा। डीयू खुद से भी एक हजार रुपए के फंड को जुटाने का प्रयास कर रहा है। इसी के तहत अक्षयनिधि को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस नई पहल के लिए पूर्व छात्र अपने सुझाव ईमेल के माध्यम से डीयू को भेज सकते हैं। कुलपति ने पूर्व छात्रों को यह भी जानकारी दी कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ 500 विश्वविद्यालय की सूची में डीयू भी शामिल है। हमारा लक्ष्य है कि अगले दस सालों में विश्व के टॉप 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय की सूची में डीयू का नाम आए।

जिंदल पॉलि फिल्म्स लिमिटेड
[सीआईएन : L17111UP1974PLC003979]
पंजीकृत कार्यालय : 19वां के.एम., हापुड़–बुलंदशहर रोड, पी.ओ. गुलावठी, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश – 203408, फोन नंबर : 05732–228057
कार्पोरेट कार्यालय : प्लॉट नंबर 12, सेक्टर बी–1, लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070, फोन नंबर (011) 40322100, फैक्स : (011) 40322129
ई–मेल : cs_jpoly@jindalgroup.com वेबसाइट : www.jindalpoly.com

"रेकार्ड तिथि की सूचना"
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 तक के अधीन जिंदल पॉलि फिल्म्स लिमिटेड (डीमर्ज्ड कम्पनी) तथा यूनिवर्सल फोटो इमेजिंग्स लिमिटेड (परिणामी कम्पनी) (पूर्वतः जिंदल फोटो इमेजिंग लिमिटेड) तथा उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों के बीच व्यवस्था की स्कीम ("स्कीम") के अनुसरण में
एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 को आयोजित इसकी बैठक में स्कीम के अनुसरण में डीमर्ज्ड कम्पनी के उन इक्विटी शेयरधारकों के नामों की गणना हेतु मंगलवार, 31 दिसम्बर, 2019 बतौर "रेकार्ड तिथि" नियत की गई है, जो रेकार्ड तिथि को डीमर्ज्ड कम्पनी में इक्विटी शेयरधारकों द्वारा धारित पूर्ण प्रदत्त रु. 10/– (रुपए दस मात्र) के प्रत्येक 4 (चार) इक्विटी शेयरों हेतु परिणामी कम्पनी के रु. 10/– (रुपए दस मात्र) प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त के रूप में क्रेडिट किए गए, अंकित मूल्य के 1 (एक) इक्विटी शेयर के अनुपात में इक्विटी शेयर प्राप्त करने के हकदार होंगे।
ग्राह्यता : उपरिवर्णित इक्विटी शेयर डीमर्ज्ड कम्पनी के उन ग्राह्य शेयरधारकों को जारी किए जाएंगे, जिनके नाम : 1) इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में डिपॉजिटरीज द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सूची के अनुसार मंगलवार, 31 दिसम्बर, 2019 को कार्य समाप्ति के समय पर लाभार्थी स्वामियों; तथा 2) भौतिक रूप में सभी वैध शेयर अंतरणों को कार्य रूप में परिणित करने के पश्चात, जो सोमवार, 30 दिसम्बर, 2019 को अथवा पहले प्राप्त किए गए हैं, मंगलवार, 31 दिसम्बर, 2019 को सदस्यों की पंजिका में शेयरधारक के रूप में दर्ज मौजूद होंगे।
परिणामी कम्पनी के शेयरों के संबंध में सभी भावी संचार शेयरधारक(कों) का/के पूरे नाम, पता, फोलियो नंबर/डीपी आईडी तथा क्लाइंट आईडी, जो भी लागू है, उद्धृत करते हुए इसके शेयर ट्रांसफर एजेन्ट को संबोधित किए जाएंगे :
केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (पूर्वतः कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड)
यूनिट का नाम : यूनिवर्सल फोटो इमेजिंग्स लिमिटेड (पूर्वतः जिंदल फोटो इमेजिंग लिमिटेड)
सेलेनियम बिल्डिंग, टावर–बी, प्लॉट नंबर 31 एवं 32, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, सेरीलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना, भारत
फोन : +91–40–67161517, ई–मेल : suresh.d@kfintech.com
रेकार्ड तिथि की सूचना तथा स्कीम कम्पनी की वेबसाइट नामतः www.jindalpoly.com पर और स्टॉक एक्सचेन्जेज, जहां डीमर्ज्ड कम्पनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, की वेबसाइट नामतः बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) तथा नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध है।
वास्ते जिंदल पॉलि फिल्म्स लिमिटेड
हस्ता./–
अमित जैन
(कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)
स्थान : नई दिल्ली
दिनांकित : 23.12.2019

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
जहां सेवा ही जीवन – ध्येय है
अंचल दिल्ली–II, बी–38/39, तृतीय तल, औद्योगिक क्षेत्र, फेज–I, नारायणा, नई दिल्ली – 110028
परिसर की आवश्यकता
बैंक परिसर हेतु, दो–बोली प्रणाली के तहत प्रस्ताव आमंत्रित करता है, जिसका कारपेट एरिया 1200–1500 वर्ग फुट, भूतल परिसर को प्राथमिकता, पट्टे के आधार पर द्वारका सैक्टर–12, दिल्ली में शाखा कार्यालय हेतु, न्यूनतम अवधि 15 वर्ष। अन्य विवरण हेतु कृपया बैंक की वेबसाइट www.psbindia.com देखें।
आँचलिक प्रबंधक

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
अंचल दिल्ली –1
2, सिद्धार्थ एन्क्लेव, आश्रम चौक, नई दिल्ली –110014
परिसर की आवश्यकता
बैंक 15 वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए लीज के आधार पर कारपेट एरिया 1500 से 1800 वर्ग फीट, ग्राउंड फ्लोर पर परिसर के लिए, दो बोली प्रणाली (कुल किराए के भीतर ऑन–साइट एटीएम की स्थापना सहित) के तहत ग्रीन पार्क, नई दिल्ली के लिए ऑफर आमंत्रित करता है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.psbindia.com पर जाएं।
आंचलिक प्रबंधक

प्रपत्र सं. आइएनसी–26
[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन
प्रादेशिक निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (अ) के मामले में
और
टॉराडेक्स सिस्टमस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
CIN NO : U72900DL2011PTC229398
जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : 372, नर्मदा अपार्टमेंट, अलकनंदा, नई दिल्ली-110019 में स्थित है
....याचिकाकर्ता
सूचना
आम जनता को यह नोटिस दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "कर्नाटक राज्य"** में स्थानांतरित करने के लिए तारीख **04/12/2019** को आयोजित असाधारण साधारण अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ मे कंपनी के संगम ज्ञापन मे संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।
कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररुप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) मे शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनो के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक दुवारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।
कृते की और से
टॉराडेक्स सिस्टमस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./-
(विनुराज बाबू)
निदेशक
डीआईएन : 06380629
स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 23.12.2019

NOTICE
I, Reeju Ritesh and my mother Late Smt Krishna Das (w/o Dr. B. N. Das, R/O 24091, ATS Greens Paradiso, Sector Chi IV, Greater Noida) jointly booked a flat # C-1/901 in Supertech Golf Village (Golf Country) at Yamuna Expressway, U.P. Unfortunately, after her death on 30/05/2018, I have requested Supertech to delete her name from all the documents of this flat and issue a new documents in my favour only. If anybody has any objection, he/she may contact in Supertech headoffice B28/29 Sector 58, Noida within 15 days of this notice

नियुक्तियां

राइट्स लिमिटेड
RITES
(भारत सरकार का उपक्रम)
राइट्स भवन, प्लाट सं. 1, सेक्टर-29, गुड़गाँव-122001
सीआईएन : L74899DL1974GOI007227
निम्नलिखित पदों हेतु नियमित आधार पर योग्य पेशेवरों की आवश्यकता है :

वीसी सं.	पद	रिक्तियों की सं.
75/19	महाप्रबन्धक (सिविल)/मेट्रो	1
76/19	महाप्रबन्धक (सिविल)/पोर्ट्स	1
77/19	महाप्रबन्धक (सिविल)/रेलवे	1
78/19	महाप्रबन्धक (सिविल)/डिजाईन	1
79/19	उप महाप्रबन्धक (एस एंड टी)	3

पद, वेतनमान, योग्यता, आयु, तिथि एवं स्थान, चयन प्रक्रिया आदि के विवरण हेतु प्रत्याशी राइट्स वेबसाइट **www.rites.com** पर कैरियर सैक्शन के अंतर्गत पोस्ट किए गए विस्तृत विज्ञापन को देख सकते हैं।

Fullerton India फुलरटॉन इंडिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड
शाखा कार्यालय: बी-45/47, तृतीय तल, पीवीआर प्लाजा के पास, कनॉट पैलेस, नई दिल्ली- 110001
अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु विक्रय सूचना
वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये 15 दिनों की ई–नीलामी बिक्री सूचना
एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणियों तथा गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जिसका **भौतिक कब्जा फुलरटॉन इंडिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड/प्रतिभूत लेनदार** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है", "जैसा है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर **ऋणियो व जमानतदारों कुंदन मल रूप चंद ज्वैलर्स प्राईवेट लिमिटेड, करन सिंह सोनी, बिमला देवी, रूप चंद सोनी, अंजना सोनी** से बकाया राशि **रूपये 5,39,93,344.92** (पाँच करोड़ उनचालीस लाख तिरानवे हजार तीन सौ चवालीस एवं बानवे पैसे मात्र) **दिनांक 07.12.2017 तक एवं आगे के ब्याज और अन्य खर्च** वसूली होने तक फुलरटॉन इंडिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड/प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि की वसूली हेतु **दिनांक 13.01.2020 को प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे** तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) बेचा जायेगा।
आरक्षित मूल्य रू. **2,70,00,000/–** (रूपये दो करोड़ सत्तर लाख मात्र) होगी और जमा धरोहर राशि (ईएमडी) रू. **27,00,000/–** (रूपये सत्ताईस लाख मात्र) होगी। ईएमडी जमा कराने की अंतिम दिनांक **11.01.2020** है।
अचल सम्पत्ति का विवरण
सम्पत्ति के सभी अंग व हिस्से जो दुकान नं. 64, भूतल, यूनिवर्सल ट्रेड टॉवर, सेक्टर 49, सोहना रोड, गुड़गांव, हरियाणा– 122002 में स्थित जिसका क्षेत्रफल 5200 वर्गफीट है।
विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया नीचे दिए गए फुलरटॉन इंडिया क्रेडिट लिमिटेड कम्पनी प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट– **www.fullertonindia.com** का संदर्भ लें।
हस्ताक्षर/– प्राधिकृत अधिकारी
फुलरटॉन इंडिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड
मोबाईल नं. – 8826205836/9717739880
तारीख: 23-12-2019,
स्थान: दिल्ली

नेस्ले इण्डिया लिमिटेड
(CIN: L15202DL1959PLC003786)
पंजीकृत कार्यालय: 100/101, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली-110 001 ई-मेल: investor@in.nestle.com
वेबसाइट: www.nestle.in फोन: 011-23418891 फैक्स: 011-23415130
(कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यानाकर्षण हेतु)
विषय : विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण के डीमैट खाते में कम्पनी के इक्विटी शेयरों का अंतरण
यह सूचना कम्पनी अधिनियम, 2013, विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 और इनके सम्बद्ध परिपत्रों एवं संशोधनों ('आईईपीएफ नियम') के प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित की जाती है कि कम्पनी ने सम्बद्ध शेयरधारकों को उनके शेयरों का, आईईपीएफ नियमों के अनुसार, आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरण के विषय में सूचित कर दिया है, यदि ये शेयरधारक अपने ऐसे किसी लाभांश(शों) का नकदीकरण नहीं करते है जो कि अंतरण की अगली नियत तिथि 25 मार्च, 2020 तक लगातार सात वर्षों से अप्रदत्त/दावारहित रहते है। नाम तथा फोलियो नम्बर अथवा डीपी–क्लाइंट आईडी संख्या सहित ऐसे शेयरधारकों का विवरण कम्पनी की वेबसाइट www.nestle.in के Investors Section पर उपलब्ध है।
सम्बद्ध शेयरधारकों को उनके धारित शेयरों के सन्दर्भ में अप्रदत्त/दावारहित लाभांशों हेतु दावा करने के लिए कम्पनी को लिखित रूप में भेजने की सलाह दी जाती है।
यदि शेयरधारक आईईपीएफ में इसके अंतरण के बाद शेयरों/लाभांश(शों) का दावा करना चाहते हैं तो इसके लिए आईईपीएफ नियमों के अधीन निर्धारित प्रपत्र आईईपीएफ–5 के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण को ऑनलाईन से आवेदन करना होगा जो आईईपीएफ की वेबसाइट www.iepf.gov.in पर समस्त विवरणों सहित उपलब्ध है।
कृते नेस्ले इण्डिया लिमिटेड
बी. मुरली
निदेशक–कानूनी एवं कम्पनी सचिव
दिनांक : 23.12.2019
स्थान : गुरुग्राम

www.readwhere.com

दरियागंज में प्रदर्शन के दौरान हिंसा का आरोप

गिरफ्तार 15 लोगों की न्यायिक हिरासत अदालत ने बढ़ाई

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 दिसंबर।

दिल्ली की एक अदालत ने पुरानी दिल्ली के दरियागंज इलाके में हिंसा के आरोप में गिरफ्तार 15 लोगों की जमानत अर्जियों को सोमवार को खारिज कर दिया और उनकी न्यायिक हिरासत दो हफ्ते के लिए बढ़ा दी। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कपिल कुमार ने अर्जियों को खारिज करते हुए कहा कि आरोपियों को राहत देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। आरोपियों की दो दिन की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने से पहले उन्हें अदालत में पेश किया गया था जिसके बाद अदालत ने आदेश पारित किया। अदालत ने पूछा कि आरोपियों को किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है तो पुलिस ने बताया कि उन्होंने पथराव करना शुरू किया था और घायलों में एक पुलिस उपायुक्त भी शामिल हैं।

आरोपियों को जमानत देने का अनुरोध करते हुए वरिष्ठ वकील रिबैका जॉन ने कहा कि पुलिस के पास आरोपियों के खिलाफ सीसीटीवी फुटेज या अन्य सबूत नहीं है, इसलिए उन्हें जेल में नहीं रखा जाना चाहिए। जॉन ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 436 (घर आदि को नष्ट करने की मंशा से आग लगाना या विस्फोटक पदार्थ द्वारा कुचेष्टा) लागू नहीं होती है। क्या उनके पास आरोपियों के खिलाफ कोई साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज है? अदालत ने शनिवार को आरोपियों को सोमवार तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। गिरफ्तार किए गए एक व्यक्ति ने दावा किया है कि वह नाबालिग है लेकिन पुलिस का कहना है कि उसने अपनी उम्र 23 साल बताई है। शुक्रवार को दरियागंज में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बलपूर्वक हटाने की कोशिश की तो हिंसा भड़क गई थी और एक समूह ने पथराव कर दिया था। इस हंगामे में एक कार को फूंक दिया गया था और कई अन्य को क्षतिग्रस्त किया गया था।

घायल विद्यार्थियों से मिलीं जामिया की कुलपति

जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ इंडिया गेट पर प्रदर्शन करते शिक्षक। फोटो : अरुष चोपड़ा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 दिसंबर।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया की कुलपति प्रोफेसर नजमा अख्तर ने 15 दिसंबर को पुलिसिया कार्रवाई के शिकार हुए छात्र मिन्हाजुद्दीन और उनके परिवार से मुलाकात की। पुलिस की पिटाई से मिन्हाजुद्दीन ने अपनी एक आंख की रोशनी खो दी है। कुलपति ने मिहाज और उनके माता-पिता से बात कर उनकी हिम्मत बढ़ाई और कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में पूरा विश्वविद्यालय उनके साथ खड़ा है। उन्होंने ने एक बार फिर दोहराया कि इलाज का सारा खर्च जामिया प्रशासन करेगा। उन्होंने मिन्हाजुद्दीन की मां से यह भी कहा कि यहां वो उसकी मां की तरह हैं और उसके साथ खड़ी हैं।

इससे पहले आज ही बीए के विद्यार्थी एजाज के पिता सहबजाद हुसैन से भी कुलपति ने मुलाकात की और उनको भी हिम्मत दिलाई। एजाज इस समय सफदरजंग अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज चल रहा है। दोनों परिवारों को इलाज के अलावा हर संभव मदद का भरोसा कुलपति ने दिलाया। इससे पहले 19 दिसंबर को भी कुलपति ने एजाज और मिन्हाजुद्दीन के अलावा 15 दिसंबर की घटना में घायल हुए कई अन्य विद्यार्थियों से वीडियो कॉल के जरिए बात की थी और उनकी हिम्मत बढ़ाई थी। कुलपति ने घायल विद्यार्थियों से यह कहा था कि मुश्किल की इस घड़ी में वो उनके साथ हैं और उनकी हर संभव मदद की जाएगी। वो अपने आपको अकेला न समझें पूरा जामिया परिवार उनके साथ है।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बाहर डॉक्टरों ने भी जामिया छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन किया।

आइसा कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश और असम भवन पर किया प्रदर्शन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 दिसंबर।

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में दिल्ली स्थित उत्तर प्रदेश भवन पर प्रदर्शन करने पहुंचे ऑल इंडिया स्टूडेंट एशोसिएशन (आइसा) के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने तुरंत हिरासत में ले लिया। इसके बाद कुछ कार्यकर्ताओं ने असम भवन के बाहर भी प्रदर्शन किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए।

आइसा की दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कवलप्रीत कौर ने ट्वीट किया कि वह उत्तर प्रदेश भवन के बाहर एक ऑटो में थीं और इसी दौरान पुलिस ने उन्हें जबरन उठाया, मारपीट की और बस में खींचते हुए ले गए। पुलिस उन्हें कहां ले जा रही थी, इसकी जानकारी भी नहीं दी। बाद में हमें मंदिर मार्ग पुलिस थाने उतार दिया गया। सुबह 11 बजे से लेकर शाम पांच बजे तक थाने में रखा गया जिसके बाद छोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि हम शांतिपूर्ण रूप से प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान विरोध प्रदर्शन कर रही चार छात्राओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थी इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग भी की है।

इस दौरान जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और आंबेडकर विश्वविद्यालय के विद्यार्थी भी वहां पहुंचे थे। आइसा कार्यकर्ता दोपहर ढाई बजे असम भवन पहुंचे, यहां भी दिल्ली पुलिस ने इन्हें प्रदर्शन करने से पहले ही हिरासत में ले लिया। आइसा के एक कार्यकर्ता ने कहा कि हम शांतिपूर्ण रूप से प्रदर्शन करने के लिए आए थे। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने विद्यार्थियों के साथ मारपीट के आरोप को खंडन कर दिया है।

खबरों में शहर

वाजपेयी के जन्मदिवस पर होगी भजन संध्या

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 दिसंबर।

भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर बुधवार 25 दिसंबर को सवेरे 8 बजे उनकी समाधि सदैव अटल पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के सभी नेता उनको पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। वहीं दूसरी ओर लोक अभियान संस्था के माध्यम से गीत एवं भजन संध्या का आयोजन होगा। भाजपा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने बताया कि शाम को अटलजी की याद में रखे गए आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के हाल के इस कार्यक्रम में भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा मुख्य अतिथि होंगे उनके साथ कानून एवं संचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद, पर्यावरण एवं सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आदि अन्य नेता भी रहेंगे। स्वागताध्यक्ष सांसद आरके सिन्हा होंगे। दिल्ली के तीनों महापौर इस अवसर पर उपस्थित होंगे। कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायक सुरेश वाडेकर भजन गाएंगे। गोयल ने कहा 25 दिसंबर को अस्पतालों में फलों का वितरण होगा और स्वयंसेवी संस्था रक्तदान शिविर लगाएगी।

प्रतिष्ठित पंजाबियों को सम्मानित किया गया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 दिसंबर।

दुनिया भर के 75 प्रतिष्ठित पंजाबियों को अपने-अपने क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ज्वेल्स ऑफ पंजाब पुरस्कार से सम्मानित किया। पुरस्कार विजेताओं में पूर्व सेना प्रमुख जनरल जोगिंदर जसवंत सिंह, फौजा सिंह, शेफ मंजीत गिल, खालसा एंड इंटरनेशनल के रवि सिंह और कई अन्य व्यक्तियों के नाम शामिल थे। कार्यक्रम का आयोजन गुरु नानक देव की 550वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में किया गया था। पुरस्कार विजेताओं की उपलब्धियों पर आधारित कॉफी टेबल बुक ज्वेल्स ऑफ पंजाब, लीडिंग ग्लोबल पंजाब पर्सनैलिटीज के दूसरे संस्करण का विमोचन मनमोहन सिंह, पूर्व मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, पंजाब सरकार के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी और विश्व मंजाबी संगठन के अध्यक्ष विक्रमजीत सिंह साहनी ने किया। इस कॉफी टेबल बुक में सिख व पंजाबी प्रवासियों के 75 से अधिक व्यक्तियों की एक आत्मकथात्मक संकलन है। इस शृंखला का पहला संस्करण 2017 में उतारा गया था। कार्यक्रम में गुरु नानक देव के जीवनपर आधारित लघु फिल्म दका प्रीमियर भी रखा गया।

आज के कार्यक्रम

प्रदर्शनी

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर: संगीत पाठक की कलाकृतियों की प्रदर्शनी, सेंटर एनेक्स आर्ट गैलरी, 40 मैक्समूलर मार्ग, सुबह 11 बजे और दो होमलैंड नामक प्रदर्शनी, सेंटर आर्ट गैलरी, कमलादेवी कॉम्पलेक्स, 40 मैक्समूलर मार्ग, सुबह 11 बजे।

इंजीनियरिंग के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या की

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 23 दिसंबर।

गौतम बुद्ध नगर विश्व विद्यालय में रविवार देर रात इंजीनियरिंग के छात्र ने छात्रावास के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पहुंची थाना इकोटेक वन पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज परिजनों को सूचना दी है। हालांकि अभी तक आत्महत्या की वजह पुलिस कोई कारण नहीं पता कर सकी है।

मूलरूप से मिर्जापुर के रहने वाले रिषभ कुमार गौतम बुद्ध नगर विश्वविद्यालय से बीटेक द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रहा था। विश्वविद्यालय में सर्दियों की छुट्टियों के चलते अधिकांश छात्र अपने घर जा चुके हैं। पुलिस के मुताबिक गत रविवार उन्हें आत्महत्या करने की सूचना मिली। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है। घटनास्थल की तलाशी लेने पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पूछताछ करने पर पता चला है कि मृतक छात्र अधिकतर शांत रहता था।

हवाई अड्डे पर तुर्कमेनिस्तान की नौ महिलाएं गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 दिसंबर।

दिल्ली हवाई अड्डे पर चलाए गए एक बड़े अभियान में तुर्कमेनिस्तान की नौ महिलाओं को लगभग 3.83 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की तस्करी करने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि हवाईअड्डे पर कुल 105 लोगों को रोका गया, जब वे बुधवार को तुर्कमेनिस्तान जाने वाले थे। इनमें 59 महिलाएं और 46 पुरुष शामिल हैं।

सीमा शुल्क विभाग अधिकारी के मुताबिक 88 यात्रियों की व्यक्तिगत और सामान की तलाशी तथा विमान की जांच के दौरान 7,98,840 अमेरिकी डॉलर मूल्य की विदेशी मुद्रा बरामद हुई, जो 5.64 करोड़ रुपए के बराबर है। इसके बाद, 48 यात्रियों को उनके पैसे के साथ छोड़ दिया गया, क्योंकि उनके पास मिली विदेशी मुद्राएं वैध सीमा के भीतर पाई गई। इसके अलावा शेष विदेशी मुद्रा, यानी 5,41,961 अमेरिकी डॉलर, जो 3.83 करोड़ रुपए के बराबर होता है, सीमा शुल्क अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत जब्त कर ली गई। शेष 40 यात्रियों में से नौ को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें सभी महिलाएं हैं। मामले की जांच जारी है।

कैब चालक ने विदेशी का मोबाइल चुराया, पुलिस ने चेतावनी देकर छोड़ा

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 23 दिसंबर।

कुवैत नागरिक का मोबाइल चोरी करने के आरोप में थाना फेज टू पुलिस ने चालक को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से मोबाइल बरामद किया गया। जिसे पुलिस ने कुवैत नागरिक को सौंप दिया है। चेतावनी देने पर छोड़ा गया कैब चालक थाने के गेट पर पीड़ित के दुभाषिये से भिड़ गया।

तब पुलिस ने उसे शांतिभंग की धारा में गिरफ्तार किया। मूलरूप से कुवैत निवासी वल अल खतब कुछ दिनों पहले भारत घूमने आए थे। सोमवार को वे हरियाणा नंबर की ओला कैब लेकर नोएडा आए थे। खतब के साथ कुरुक्षेत्र का रहने वाले दुभाषिया (गाइड) बलविंदर सिंह भी मौजूद थे। कैब चालक ने नोएडा आने के दौरान खतब का मोबाइल चोरी कर लिया।

बलविंदर सिंह और खतब को फेज टू इलाके में छोड़कर कैब का चालक चला गया। मोबाइल नहीं मिलने पर खतब ने पुलिस को घटना की सूचना दी। थाना फेज टू पुलिस ने कैब के नंबर को ट्रेस कर चालक को थाने बुलाया। पुलिस की सख्ती करने पर आरोपी ने सेक्टर- 87 अपने घर से मोबाइल बरामद कराया। आरोपी चालक की पहचान अश्वनी मूलरूप से एटा का रहने वाला है। पुलिस ने मोबाइल कुवैती नागरिक को सौंपकर चालक को चेतावनी देकर छोड़ दिया।

मुख्य मार्ग पर टिक-टॉक वीडियो बनाते पांच युवक गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 23 दिसंबर।

गलगोटिया विश्वविद्यालय के सामने मुख्य मार्ग पर मोटरसाइकिल और कार से स्टंट कर टिकटॉक का वीडियो बनाते पांच युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने पांचों के खिलाफ शांति भंग होने का अंदेशा जताते हुए चालान किया

थाना दनकौर के एसएचओ अखिलेश प्रधान के मुताबिक विश्वविद्यावलय के सामने स्थित मुख्य मार्ग पर खेरली निवासी दीपेश, बीटा निवासी लकी, छपरौली निवासी आकाश, ग्राम पाली निवासी योगेश और दादरी निवासी रवि मोटरसाइकिल व कार से स्टंट कर टिकटॉक वीडियो बना रहे थे। जिसके चलते आने जाने वालों को परेशानी समेत हादसा होने का डर हो रहा था। लोगों के काफी समझाने पर भी जब युवक नहीं माने तो पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने भी युवकों को समझाया लेकिन नहीं मानने पर पुलिस ने पांचों के खिलाफ शांति भंग होने का अंदेशा जताते हुए चालान किया।

सुरक्षाकर्मी की संदिग्ध हालात में मौत

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 23 दिसंबर।

ग्रीन आर्च सोसायटी में रविवार रात एक सुरक्षाकर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सोसायटी के लोगों ने ठंड की वजह से मौत होने की आशंका जताई है। नोएडा में पहले ठंड से दो लोगों की मौत हो चुकी हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है।

मूलरूप से कन्नौज के रहने वाले सुरेंद्र उर्फ दीवान ग्रीन आर्च सोसायटी में सुरक्षा कर्मी की नौकरी करते थे। रविवार रात सोसायटी में सुरेंद्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। एसएचओ मनोज कुमार पाठक के मुताबिक सोसायटी में रहने वालों ने भी ठंड को मौत होने की वजह बताया है। हालांकि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में वजह का पता चल पाएगा।

बुजुर्ग महिला को कार में बैठाकर 60 हजार रुपए ठगे

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 23 दिसंबर।

सेक्टर- 17 में बुजुर्ग महिला को कार में लिफ्ट देकर तीन बदमाशों ने 60 हजार रुपए ठग लिए। आरोपियों ने महिला को पुलिस जांच का डर दिखाकर उनसे रुपए लेकर एक रूमाल में लपेटकर रख लिया। इसके बाद डीएनडी के पास उतारकर मौके से फरार हो गए। रविवार शाम को हुई घटना की रिपोर्ट सोमवार को थाना सेक्टर-20 पुलिस ने दर्ज की है।

सेक्टर- 17 के विनोद कुमार की मां मुन्नी देवी रविवार शाम दिल्ली के निजामुद्दीन जाने के लिए एक कार में सवार हुई। कार में पहले से चालक समेत तीन लोग बैठे थे। कुछ आगे जाने पर युवकों ने उनकी मां से कहा कि यह सरकारी गाड़ी है। उन्होंने बुजुर्ग समझकर कार में लिफ्ट दी है।

आगे पुलिस कार की जांच कर सकती है। लिहाजा अगर नगदी को हो तो उन्हें दे दो। बाद में वे लौटा देंगे। विनोद की मां ने विश्वास कर आरोपियों को अपने पास रखे 60 हजार रुपए रुमाल में लपेटकर दे दिए। इसके बाद आरोपियों ने उनकी मां को डीएनडी के पास कार से जबरदस्ती उतार दिया।

ब्लू लाइन पर मेट्रो रही प्रभावित, घंटों परेशान रहे यात्री

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 दिसंबर।

दिल्ली मेट्रो के करोल बाग और राजेंद्र प्लेस स्टेशनों के बीच मेट्रो ट्रेनों की आवाजाही सोमवार को तकनीकी खामियों के कारण प्रभावित हुई है। डीएमआरसी ने यह जानकारी दी।

दिल्ली के द्वारका को नोएडा और वैशाली से जोड़ने वाली ब्लू लाइन पर इन दो स्टेशनों के बीच सुबह से ही ट्रेनों की आवाजाही धीमी हो गई है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने सुबह ट्वीट किया, 'राजीव चौक से राजेंद्र प्लेस तक ट्रेनों की गति धीमी है।' छह घंटे बाद, डीएमआरसी ने कहा कि दिनभर ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित रहेगी।

डीएमआरसी ने कहा कि करोल बाग से राजेंद्र प्लेस तक धीमी गति के साथ ट्रेनें चलती रहेंगी क्योंकि इस खंड में ट्रैक के मरम्मत कार्य की आवश्यकता है, जिसे व्यस्त समय के बाद में किया जाएगा। डीएमआरसी ने एक अन्य ट्वीट में कहा, 'हमें असुविधा के लिए खेद है। कृपया अपने आवागमन के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलें।'

'जल और कचरा प्रबंधन के बिना शहरों का विकास संभव नहीं'

शहरी विकास सम्मेलन में बोले वक्ता

जल संग्रहण व्यवस्था के बगैर नहीं हो सकता है पानी के संकट का समाधान

एसटीपी शोधित पानी का आंकड़ा ऑनलाइन उपलब्ध कराएं नोएडा व ग्रेटर नोएडा

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 23 दिसंबर।

शहरों को स्मार्ट बनाने की कवायद में सोमवार को सेक्टर-18 में एक दिवसीय शहरी विकास सम्मेलन (अर्बन इनोवेशन समिट) का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सचिव यूपी सिंह, हाउसिंग एवं शहरी विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव वीके जिंदल समेत कई देशों के राजदूत समेत नोएडा व ग्रेटर नोएडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मौजूद रहे।

सम्मेलन में स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, जल संसाधन और संगठित शहरी विकास को गतिशीलता देने पर चर्चा हुई। इन मुद्दों पर कई विशेषज्ञों ने सुझाव भी दिए, जिन पर अमल करने की बात कही गई। सम्मेलन में बताया गया कि वैश्वीकरण के बढ़ते दौर में शहरी विकास पिछड़ रहा है।

स्वच्छता, जल प्रबंधन, कचरा प्रबंधन, जलीय क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने पर जमीनी स्तर पर कम ध्यान दिया जा रहा है। जबकि शहरी विकास इन भी प्रबंधनों के बगैर संभव नहीं है। इसके बगैर स्मार्ट सिटी की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। वीके जिंदल ने स्वच्छता पर अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि एक हजार महात्मा गांधी और एक लाख मोदी आ जाएं, तो भी देश अपने आप स्वच्छ नहीं हो सकता है। इसके लिए 130 करोड़ भारतवासियों को एकजुट होना होगा। इसके बाद ही साफ- सफाई की परिकल्पना की जा सकती है। हम सभी को साफ-सफाई से जुड़ा अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करना पड़ेगा। तभी स्वच्छ भारत का सपना साकार किया जा सकता है। जलीय क्षेत्र जैसे तालाब, पोखर आदि को पुनर्जीवित कर बचाया जा सकता है। यूपी सिंह ने कहा कि देश के प्रत्येक शहर में 300-400 मिलीमीटर तक बारिश होती है। जल संग्रहण के स्रोत नहीं होने से पानी नालियों के जरिए बर्बाद हो जाता है। यदि बारिश के पानी को प्राकृतिक स्रोत में एकत्रित किया जाए या निर्माण कार्य में इस पानी को एकत्रित कर इस्तेमाल किया जाए, तो उपयोग के लिए पानी किलोमीटरों दूर से नहीं मंगवाना पड़ेगा।

वर्तमान में यमुना नदी प्रदूषित होती दिख रही है। आज भी कचरा निस्तारण (डंपिंग ग्राउंड) दो जगह होता दिख रहा है, एक तो सड़क किनारे और दूसरा नदियों में। इसको रोकने के लिए योजना की जरूरत है। बारिश के पानी को एकत्रित किया जाना चाहिए। खेती ओर पीने के लिए पानी उसी मात्रा में लोगों को दिया जाना चाहिए, ताकि उसकी बर्बादी ना हो। उन्होंने नोएडा व ग्रेटर नोएडा को हर रोज एसटीपी से शोधन किए जाने वाले पानी की मात्रा, टीडीएस स्तर की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराने को कहा, ताकि शहरीकरण के इस प्रयास में और बेहतर योजना अमल में लाई जा सके।

www.readwhere.com

राजघाट पर कांग्रेस का सत्याग्रह, सरकार को संविधान की याद दिलाई

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 दिसंबर।

कांग्रेस ने सोमवार को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) के खिलाफ देशभर में छात्रों की अगुआई में हुए विरोध प्रदर्शन के समर्थन और इन प्रदर्शनों के खिलाफ पुलिसिया बल प्रयोग के खिलाफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पर धरना दिया और सरकार को संविधान की याद दिलाई।

पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुआई में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तथा पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत पार्टी के शीर्ष नेताओं ने देश की एकता के लिए सत्याग्रह' में भाग लिया और संविधान की रक्षा करने का संकल्प लिया।

सत्याग्रह की शुरुआत वंदे मातरम से हुई। फिर सोनिया, मनमोहन और राहुल ने अंग्रेजी भाषा में संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। बाद में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने हिंदी और कई अन्य नेताओं ने देश की अलग अलग भाषाओं में संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। नागरिकता संशोधन कानून और हालिया विरोध प्रदर्शनों में छात्रों पर हुए बल प्रयोग की पृष्ठभूमि में मुख्य विपक्षी दल ने सत्याग्रह का आयोजन किया। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ किसी भी प्रदर्शन में राहुल गांधी पहली बार शामिल हुए हैं। वह पिछले दिनों दक्षिण कोरिया के दौरे पर थे।

सीएए और एनआरसी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, राहुल गांधी ने पढ़ी संविधान की प्रस्तावना

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल, एके एंटनी, गुलाम नबी आजाद, केसी वेणुगोपाल, आनंद शर्मा, दिग्विजय सिंह और बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हुए। सत्याग्रह शुरू करने से पहले राहुल और प्रियंका ने युवाओं, छात्रों और अन्य लोगों से इसमें शामिल होने का आह्वान किया।

प्रियंका गांधी ने कहा कि वह और उनकी पार्टी के लोग नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आंदोलन में शहीद हुए लोगों के नाम पर संकल्प लेते हैं कि वे संविधान की रक्षा करेंगे। उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून विरोधी प्रदर्शन के दौरान मारे गए उत्तर प्रदेश के दो युवकों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बिजनौर का 22 साल का अनस कॉफी की मशीन चलाकर परिवार चलाता और 21 वर्षीय सुलेमान यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। उसकी मां ने कल मुझसे कहा कि मेरा बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। जो लोग इस आंदोलन में शहीद हुए हैं उन सबके नाम हम संकल्प लें कि हम संविधान को नष्ट नहीं होने देंगे और इसकी रक्षा करेंगे।

सीएए के समर्थन में नड्डा ने कोलकाता में निकाली रैली

कोलकाता, 23 दिसंबर (भाषा)।

भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के समर्थन में सोमवार को यहां एक विशाल रैली की।

नड्डा के साथ पश्चिम बंगाल भाजपा प्रमुख दिलीप घोष और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सहित भगवा पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी थे। मार्च मध्य कोलकाता के हिंद सिनेमा से शुरू होकर और श्याम बाजार में संपन्न हुआ।

सीएए का मुद्दा बंगाल की राजनीति में एक बड़ा ज्वलंत विषय बना हुआ है। मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि इसे राज्य में लागू नहीं किया जाएगा।

सीएए और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी क्रियान्वयन के खिलाफ राज्य में 13 से 17 दिसंबर के दौरान हिंसक प्रदर्शन और आगजनी हुई है।

द्रमुक और सहयोगियों ने की सीएए वापस लेने की मांग

चेन्नई, 23 दिसंबर (भाषा)।

संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ द्रमुक और उसके सहयोगियों ने सोमवार को चेन्नई में बड़े पैमाने पर रैली निकाली और इस कानून को वापस लेने की मांग की।

रैली में कहा, आंदोलन में गैर राजनीतिक तबकों को भी शामिल किया जाएगा

द्रमुक और सहयोगी दलों ने चेतावनी दी कि केंद्र अगर इस कानून को वापस नहीं लेता है तो समाज के गैर राजनीतिक तबकों को साथ लेकर आंदोलन को तेज किया जाएगा। द्रमुक अध्यक्ष एमके स्टालिन ने शांतिपूर्ण रैली की अगुवाई की। सीएए के विरोध में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम, एमडीएमके प्रमुख वाइको समेत गठबंधन सहयोगी दलों के अन्य नेता हाथों में तख्तियां लेकर साथ में चल रहे थे।

द्रमुक और अन्य सहयोगियों दलों के कार्यकर्ताओं ने कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच हाथों में पार्टी के झंडे, बैनर और तख्तियां लिए एगमोर से राजरथिनम स्टेडियम तक करीब ढाई किलोमीटर मार्च किया। कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे, 'सीएए वापस लो। सांप्रदायिक भावनाएं न भड़काओ।' प्रदर्शनकारियों ने कानून का समर्थन करने वाली अन्नाद्रमुक की भी कड़ी आलोचना की।

स्टालिन ने कहा, 'तमिल लोगों से अनुरोध करता हूं कि वह रैली में हिस्सा लें और अपनी भावनाएं (सीएए विरोधी) व्यक्त करें।' द्रमुक प्रमुख ने कहा कि सीएए के विरोध इस आंदोलन के साथ रुकेगा नहीं बल्कि सहयोगी दलों से बातचीत के बाद इसे आगे ले जाया जाएगा और केंद्र इस कानून को वापस नहीं लेता तो आंदोलन में गैर राजनीतिक तबकों को भी शामिल किया जाएगा।

द्रमुक का कहना है कि कानून मुसलिम विरोधी और श्रीलंका के तमिलों का विरोधी है। पुलिस ने बताया कि रैली को देखते हुए व्यापक सुरक्षा बंदोबस्त किए गए, ड्रोन तैनात किए गए और 5,000 पुलिसकर्मियों को सुरक्षा ड्यूटी में लगाया गया। एमडीएमके के नेता वाइको ने संवाददाताओं से कहा कि रैली सफल रही।

बंगलुरु में मुसलिम संगठनों की शांति रैली में हजारों लोग शामिल

बंगलुरु, 23 दिसंबर (भाषा)।

मुसलिम समुदाय के हजारों लोगों ने सोमवार को यहां संशोधित नागरिकता कानून (सीएए)और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ आयोजित शांति रैली में हिस्सा लिया। हाथों में राष्ट्रीय तिरंगा और तख्तियां लिए प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए और सीएए और एनआरसी वापस लेने की मांग की।

35 संगठनों के मंच 'ज्वाइंट एक्शन कमेटी ऑफ बेंगलुरु' के आह्वान पर निकाली गई रैली का समापन कुद्दूस साहब ईदगाह मैदान में हुआ। रैली की वजह से शहर के कई इलाकों में यातायात बुरी तरह प्रभावित रहा। पुलिस ने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए व्यापक इंतजाम किये गए थे और रैली दोपहर बाद तक कमोबेश शांतिपूर्ण रही।

मेंगलुरु से मिली खबरों के मुताबिक सोमवार सुबह शहर से कर्फ्यू हटा लिया गया और यहां शांति रही। पिछले हफ्ते सीएए के खिलाफ यहां हिंसक प्रदर्शन हुए थे और पुलिस फायरिंग में दो लोगों की मौत हो गई थी।

शहर के पुलिस आयुक्त पीएस हर्षा ने लोगों से अनुरोध किया कि वे शहर में 19 दिसंबर को हुई हिंसा के वीडियो और तस्वीरें जांच के लिए पुलिस से साझा करें। पुलिस ने कहा कि शहर में निषेधाज्ञा सोमवार आधी रात तक जारी रहेगी।

सीएए : हिंसा की जांच सीआइडी, मजिस्ट्रेट से कराएगी कर्नाटक सरकार

बंगलुरु, 23 दिसंबर (भाषा)।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार ने मेंगलुरु में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ पिछले हफ्ते हुए प्रदर्शन में हिंसा की जांच सीआइडी और मजिस्ट्रेट दोनों से कराने का फैसला किया है। हिंसा में दो लोगों की जान गई थी।

येदियुरप्पा ने कहा, 'मेंगलुरु की घटना के संदर्भ में, गृह मंत्री (बासवराज बोम्मई) और मैंने फैसला किया है कि सीआइडी और मजिस्ट्रेट जांच दोनों होनी चाहिए और इस संबंध में सोमवार या मंगलवार को आदेश जारी किए जाएंगे।' उन्होंने कहा, 'हमने इसकी (घटना की) व्यापक जांच के लिए ईमानदारी से प्रयास किए हैं। मैंने उन लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है जिन्होंने वहां अनावश्यक अफरातफरी मचाई और पुलिस थाने में घुस कर वहां रखे हथियार ले जाने के प्रयास किए।' पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने हिंसा का आरोप सत्ताधारी भाजपा पर लगाते हुए पुलिस पर इसे भड़काने की बात कही। कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश से इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की थी।

प्रधानाचार्य ने लड़की पर तेजाब फेंका

मुंबई, 23 दिसंबर (भाषा)।

मुंबई के उपनगर कंजुमार्ग में रविवार को 16 वर्षीय एक लड़की पर स्कूल के प्रधानाचार्य ने कथित तौर पर तेजाब फेंक दिया। लड़की ने इसी स्कूल से पढ़ाई की है।

पुलिस ने बताया कि इस संबंध में भानदुप स्कूल के एक प्रधानाचार्य और तीन अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें स्कूल का एक शिक्षक और दो कर्मचारी शामिल हैं। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने लड़की के पिता की शिकायत को उद्धृत करते हुए बताया कि यह घटना रविवार सुबह उस समय हुई जब किशोरी टहलने निकली थी। लड़की के पिता का कहना है कि प्रधानाचार्य और अन्य ने उसकी बेटी पर इसलिए हमला किया क्योंकि उसके (बेटी) ने एक शिक्षक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी थी। इसी को लेकर वे उससे रंजिश रखते थे।

ANDHRA BANK (A Govt. of India Undertaking)
दयानंद नगर, सामने थाना सदर मेन दिल्ली रोहतक रोड, बहादुर गढ़, झज्जर– 124507 फोन: 01276–231039

प्रतिभूति हित के प्रवर्तन हेतु सरफेसी अधिनियम, 2002 के अधिनियम 54 की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस (डिमांड नोटिस)

एतदद्वारा सूचना दी है कि निम्नलिखित उधारकर्ता बैंक से उनके द्वारा प्राप्त की गई ऋण सुविधाओं की प्रधान व ब्याज राशि की पुन अदायगी में चूककर्ता बन गए है, कथित सुविधाएं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निमाण तथा प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के तहत बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उधारकर्ताओं और गारंटियों को उनके अंतिम ज्ञात पतों पर नोटिस जारी किए गए थे। हालाँकि, कुछ मामलों में नोटिस को वापस लौटा दिया गया है और अन्य मामलों में स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए इस नोटिस के बारे में सार्वजनिक प्रकाशन के माध्यम से उधारकर्ताओं/गारंटरों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है।

उधारकर्ताओं/ सह–उधारकर्ताओं/गारंटरों/पार्टनर/बंधककर्ता का नाम	चल/अचल संपत्ति/यों का विवरण	एनपीए की तिथि / डिमांड नोटिस की तिथि	बकाया राशि
1. **संदीप सांगवान** पुत्र राजेन्द्र सांगवान, वीपीओ खारमन तहसील बहादुरगढ़ हरियाणा –124507 2. **निशा** पत्नी संदीप सांगवान, वीपीओ खारमन तहसील बहादुरगढ़ हरियाणा –124507	भूमि और भवन – निशा पत्नी संदीप सांगवान (संपत्ति के मालिक) से संबंधित संपत्ति, मकान नं. 7/277ए खेवट नं. 435/388 Mln, खतौनी नंबर 552, मस्टिल नं 64 और खसरा नं 19 (7–13), ग्राम परनाल के रेवेन्यू एस्टेट में, गली नं 8 मॉडल टाउन तहसील बहादुरगढ़ झज्जर हरियाणा –124507 पर स्थित है और सीमाएं : पूर्व में श्री बंशी धर, पश्चिम प्रवेश/गली, उत्तर नाली, दक्षिण अन्य संपत्ति।	06.11.2019 02.12.2019	रु. 5155635.00 02.12.2019 को

उपरोक्त उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं इस को नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में वर्णित राशि का भुगतान करने की सलाह दी जाती है, जिसमें असफल होने पर, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों की समाप्ति के बाद आगामी कार्यवाही की जाएगी। सभी उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं सभी को संबंधित शाखा से नोटिस की प्रति प्राप्त करने की भी सलाह दी जाती है।

दिनांक: 02.12.2019 — सहायक महाप्रबंधक और प्राधिकृत अधिकारी, आंध्रा बैंक

हिरासत से नेताओं की रिहाई की मांग की पीडीपी ने

जम्मू/श्रीनगर, 23 दिसंबर (भाषा)।

जम्मू–कश्मीर से अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को हटाए जाने के बाद पहली बार सोमवार को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बैठक श्रीनगर में आयोजित की गई।

यह बैठक घाटी के हालात का जायजा लेने और पार्टी के संस्थापक मुफ्ती मोहम्मद सईद की चौथी बरसी आयोजित करने की योजना बनाने के लिए की गई थी। एक अन्य बैठक जम्मू में आयोजित की गई और इस दौरान पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती समेत अन्य नेताओं को हिरासत से मुक्त करने की मांग की गई। पार्टी प्रवक्ता ने बताया कि जम्मू में बैठक की अध्यक्षता पार्टी के महासचिव और पूर्व विधान पार्षद सुरेंद्र चौधरी ने की। उन्होंने जम्मू–कश्मीर के नेताओं को इतने लंबे समय तक हिरासत में रखने को अन्यायपूर्ण बताया।

सीबीएसई ने जारी की सीटेट की उत्तर कुंजी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 दिसंबर।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की ओर से आठ दिसंबर को हुए केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा (सीटेट) की उत्तर कुंजी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं।

बोर्ड से मिली जानकारी के मुताबिक उम्मीदवार 25 दिसंबर रात 12 बजे तक उत्तर कुंजी देख सकेंगे। इसमें उम्मीदवारों को उत्तरों को चुनौती देने का अवसर भी दिया जाएगा। उम्मीदवारों को उत्तरों को चुनौती देने के लिए प्रति उत्तर एक हजार रुपए शुल्क देना होगा। इसका भुगतान उम्मीदवार ऑनलाइन कर सकते हैं। उम्मीदवार की ओर से चुनौती किए गए उत्तर में अगर कोई त्रुटि सामने आती है तो बोर्ड उम्मीदवार की शुल्क वापस आएगा।

सीटेट देश भर के 110 शहरों में बनाए गए 2935 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। सीटेट में कुल 28 लाख 32 हजार 119 अभ्यर्थियों ने दोनों पेपरों के लिए पंजीकरण किया था। इसमें 16 लाख 46 हजार 619 अभ्यर्थी पेपर–1 व 11 लाख 85 हजार 500 अभ्यर्थियों ने पेपर–2 की परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था।

सीटेट के पेपर–1 में भाग लेने वाले सफल उम्मीदवार कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के लिए होने वाली शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे जबकि पेपर –2 में बैठने वाले सफल अभ्यर्थी कक्षा 6 से 8 तक के लिए होने वाली शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे।

जबलपुर में हटाया गया कर्फ्यू

जबलपुर, 23 दिसंबर (भाषा)।

जिला प्रशासन ने जबलपुर शहर के कुछ इलाकों में शुक्रवार शाम से लगाया गया कर्फ्यू सोमवार को हटा लिया। संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के विरोध में प्रदर्शन के दौरान 20 दिसंबर शुक्रवार को शहर में हिंसा की घटनाएं होने के बाद प्रशासन ने कुछ हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया था।

पुलिस अधीक्षक अमित सिंह ने बताया कि गोहलपुर और हनुमान ताल थाना क्षेत्र, कोतवाली और आधारताल पुलिस थानों के कुछ इलाकों में शुक्रवार को लगाया गया कर्फ्यू सोमवार को हटा लिया गया। उन्होंने कहा कि शहर के प्रभावित इलाकों की समीक्षा के बाद इन इलाकों से कर्फ्यू हटाने का निर्णय लिया गया है।

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI
प्रधान कार्यालय, वसूली विभाग

सार्वजनिक सूचना

बैंक ने निम्नलिखित उधारकर्ताओं तथा उनके निदेशकों/गारंटीकर्ताओं/भागीदारों को 15 दिनों का कारण बताओ नोटिस, दिनांक 20.09.2019 जारी कर "इरादतन चूककर्ता" घोषित करने की प्रक्रिया आरंभ की है। उक्त नोटिस में आरबीआई के दिशा–निर्देशों के अनुसार संबंधित कारण शामिल हैं ताकि वे या तो अनुबन्धीय देय राशि की चुकौती करें या इरादतन चूककर्ता के रूप में उद्घोषणा के विरुद्ध अपना पक्ष रखें। उक्त कारण बताओ नोटिस को उपलब्धा डाक के पते पर स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया था तथा ये किसी एक या अधिक कारणों से 'डिलिवर न हुए' के रूप में हमें वापस प्राप्त हुए हैं। एन.पी.ए. उधारकर्ताओं तथा उनके निदेशकों/गारंटीकर्ताओं/भागीदारों के विवरण निम्नपलिखित हैं :–

क्र. सं.	चूककर्ता कंपनी के निदेशक/गारंटीकर्ता/भागीदार के नाम	पता
1.	**श्री अनील जिंदल** (पूर्ण निदेशक / गारंटर)	म.न. 538, सैक्टर–14, फरीदाबाद– 121007
2.	**श्री सुनील जिंदल** (पूर्ण निदेशक / गारंटर)	म.न. 538, सैक्टर–14, फरीदाबाद– 121007
3-	**श्री राजू बंसल** (पूर्ण निदेशक / गारंटर)	म.न. 122, सैक्टर–9, फरीदाबाद– 121007
4.	**मैसर्स एसआरएस रिट्रीट सर्विसेज लि. (गारंटर)**	पता 1: एसआरएस मल्टीप्लेक्स; टॉप फ्लोर, सिटी सेंटर, सेक्टर 12, फरीदाबाद पता 2: एसआरएस टॉवर, 721/722/727 7वीं मंजिल, मेट्रो स्टेशन मेवला मराजपुर के पास, जी.टी. रोड, फरीदाबाद – 121003
5.	**मैसर्स बीटीएल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (पूर्व में बीटीएल निवेश और प्रतिभूति लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) (गारंटर)**	पता 1: 202, 27 नई दिल्ली हाउस, बाराखंभा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली पता 2: एसआरएस टॉवर, तीसरी मंजिल, मेट्रो स्टेशन मेवला महराजपुर के पास, जी.टी. रोड, फरीदाबाद – 121003
6.	**एसआरएस नॉलेज एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (पूर्व में एसआरएस प्रोफेशनल सर्विसेज लिमिटेड) (गारंटर)**	पता 1: एसआरएस टॉवर, तीसरी मंजिल, मेट्रो स्टेशन के पास मेवला मराजपुर, जी.टी. रोड, फरीदाबाद – 121003 पता 2: एसआरएस मल्टीप्लेक्स, सिटी सेंटर, साइट 4, सेक्टर 12, फरीदाबाद 121 007
7-	**एसआरएस आईटी सॉल्यूशंस प्रा. लिमिटेड (गारंटर)**	पता 1: एसआरएस टॉवर, तीसरी मंजिल, मेट्रो स्टेशन के पास मेवला मराजपुर, जी.टी. रोड, फरीदाबाद – 121003 पता 2: एसआरएस मल्टीप्लेक्स, सिटी सेंटर, साइट 4, सेक्टर 12, फरीदाबाद 121 007

प्रयुक्त व्यक्तियों को सूचित करते हैं कि वे संबंधित नोटिस प्राप्तं करने के लिए हमारी शाखा से तत्काल संपर्क करें तथा इस प्रकाशन के 07 दिनों के अंदर इसका उत्तर दें। यदि 07 दिनों के भीतर हमें कोई उत्तार प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जायेगा तथा यह मान लिया जायेगा कि विधिवत रूप से नोटिस प्रस्तुत की गयी है तथा प्रतिरक्षण के रूप में उन्हें कुछ नहीं कहना है एवं इस मामले में बैंक अपनी कार्यवाही को आगे बढ़ायेगा।

सहायक महाप्रबंधक
वसूली विभाग, प्रधान कार्यालय

इण्डियन ओवरसीज बैंक
अंसारी रोड शाखा, 2/12, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली–110002
फोन नं.: 011–23259478, 011–23266272, ईमेल आईडी: iob2014@iob.in

सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप–धारा (2) के अंतर्गत ऋणधारक/मॉर्टगेजर/गारंटरों के लिए मांग सूचना
स्थान: नई दिल्ली — तिथि: 7.10.2019

क्रम सं.	ऋणधारक (नाम एवं पूरा पता) (यदि ऋणधारक ही मार्टगेजर भी है तो ब्रेकैट में दर्शाएं)
1.	श्रीमती सोनू गुप्ता, पत्नी श्री विजय गुप्ता, पता: एफ–166, दूसरा तल, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली–110092
2.	श्री विजय गुप्ता, पुत्र श्री जय प्रकाश पता: एफ–166, दूसरा तल, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली–110092

प्रिय महोदय/महोदया
संदर्भ: इंडियन ओवरसीज बैंक, अंसारी रोड शाखा में आपकी साख सुविधाएं

1. आप, हमारे बैंक के ऊपर नामित ऋणधारक ने हमारी अंसारी रोड शाखा से निम्न साख सुविधाएं प्राप्त की हैं। विशिष्ट बकाए के साथ साख सुविधाओं का विवरण इस प्रकार है:

क्रम सं.	साख का प्रकार	सीमा	ब्याज दर (अधिशेष ब्याज सहित) एवं रेस्ट्स	23.9.2019 को कुल बकाया
1.	टी एल–पुष्पक लोन	रु. 6,00,000/–	एमसीएलआर (9.70)+0.5% वर्तमान में 10.20%+2% अधिशेष ब्याज (प्रभावी ब्याज दर)	रु. 3,08,579.38 तिथि 23.9.2019 (रुपये तीन लाख आठ हजार पाँच सौ उन्यासी तथा पैसे अड़तीस मात्र)

* ऊपर वर्णित तिथि से भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों/रेस्ट्स पर आगे के ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
ये साख सुविधाएं ऋणधारक सं. 1 एवं 2 तथा यहाँ क्रम सं. 1 एवं 2 में वर्णित ऋणधारक/गारन्टर के नाम में स्थित नीचे वर्णित परिसंपत्तियों का हाइपोथेकेशन द्वारा प्रतिभूत है।
समय–समय पर आपने आपके द्वारा निष्पादित विभिन्न दस्तावेजों के माध्यम से यहां नीचे वर्णित कारोबारों को स्वीकार किया है।
2. उपरोक्त साख सुविधाओं के लिए बैंक के पक्ष में प्रतिभूतियों का विवरण इस प्रकार है:

क्रम सं.	प्रतिभूति का प्रकार (हाइपोथेकेशन/मॉर्टगेज आदि)	प्रतिभूतियों का विवरण (अवस्थिति, चार सीमाओं, चार दिशा में माप, कुल विस्तार तथा स्वामी के नाम का संपूर्ण विवरण दें)
1	हाइपोथेकेशन	व्हीकल मारुति सिएज vxi पंजी.सं.डीएल 14 सीसी 6701 का हाइपोथेकेशन

2. स्वीकृत शर्तों के अनुसार मूलधन ऋण/ ब्याज के भुगतान में ऊपर नामित ऋणधारकों द्वारा की गई चूक के ऊपरांत भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों तथा निर्देशों के अनुसार 31.5.2019 को ऊपर वर्णित ऋण खाता को गैर– प्रचालन संपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। आपकी खाता को नियमित करने के लिए हमारे द्वारा आपको बार–बार स्मरण दिलाए जाने के बावजूद आपने उस पर ब्याज सहित अधिशेष ऋणों को पुनर्भुगतान नहीं किया है। क्यूं कि क्रम सं. 1 एवं 2 के अंतर्गत आप ऊपर नामित ऋणधारक ऊपर वर्णित विभिन्न प्रतिभूतियों के द्वारा विधिवत प्रतिभूत साख सुविधाओं के संदर्भ में देयताओं को पूरा करने में विफल रहे हैं तथा आपकी खाता का गैर–प्रचालन परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकरण के उपरांत हम एतद् द्वारा आप को दी गई अपनी अग्रिमों को वापस लेते हैं तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप–धारा (2) के अंतर्गत आपको सूचित करते हैं तथा निर्देश देते हैं कि इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर ऊपर वर्णित तिथि से यथा स्वीकृत मासिक रेस्ट्स के साथ मिश्रित आगे के ब्याज एमसीएलआर (9.70) की दर से+ 0.5%, वर्तमान में 10.20%+ अधिशेष ब्याज 2% की दर से, के साथ ऊपर पैरा 1 में वर्णित रु. 23.9.2019 को 3,08,579.38 (रुपये तीन लाख आठ हजार पाँच सौ उन्यासी तथा पैसे अड़तीस मात्र) की कुल राशि का बैंक को भुगतान कर अपनी संपूर्ण देयताओं को निष्पादित करें।
4. कृपया ध्यान रहे कि कानूनी तौर पर ऋणधारक तथा गारंटर आगे के ब्याज तथा चार्जेज आदि के साथ बकाए का भुगतान करने के लिए पृथक अथवा संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। कृप्या ध्यान रहे कि संपूर्ण भुगतान तक प्रत्येक साख सुविधाओं के लिए स्वीकृत दरों तथा रेस्ट्स पर ब्याज बढ़ती रहेगी।
5. ऊपर नामित मार्टगेजर/ गारंटर सं. 2 ने ऋणधारकों द्वारा प्राप्त की गई साख सुविधाओं के पुनर्भुगतान/ गारंटी का वचन दिया है तथा साथ ही उपरोक्त साख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए यहां वर्णित संपत्तियों को मॉर्टगेज किया है। चूंकि, ऋणधारक ने पुनर्भुगतान में चूक की है, गारंटी की शर्तों के अनुसार मार्टगेजर/ गारंटर हमें ऊपर वर्णित तिथि से स्वीकृत मासिक रेस्ट्स के साथ आगे के ब्याज+2% अधिशेष ब्याज के साथ 23.9.2019 को रु. 308579.38 (रुपये तीन लाख आठ हजार पाँच सौ उन्यासी एवं पैसे अड़तीस मात्र) की ऋण/ साख सुविधाओं के अनुसार बैंक की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। कृपया अवगत हो लें कि गारंटर का दायित्व ऋणधारक के दायित्व जैसा ही व्यापक होता है।
6. आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (13) के प्रति आकृष्ट की जाती है जिसके अनुसार हमारी पूर्व लिखित सहमति प्राप्त किए बिना आप बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से उपरोक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों का अंतरण/ स्वत्व–त्याग/ स्थानांतरण नहीं कर सकते हैं। कृपया यह भी ध्यान रहे कि उक्त अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत निर्मित नियमावली में शामिल प्रावधानों का गैर–अनुपालन/ उल्लंघन एक अपराध है जिसके लिए अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत कैद एवं/ अथवा जुर्माने का प्रावधान है।
7. क्रम सं. 2 के अंतर्गत वर्णित गारंटरों ने उक्त ऋणधारकों की ऋण को प्रतिभूत करने के लिए व्यक्तिगत गारंटी दी है और इस प्रकार हम आपको सलाह देते हैं कि हमारी मांग के अनुसार बकाए का भुगतान करने के लिए ऋणधारकों पर दबाव डालें क्योंकि आपकी व्यक्तिगत गारंटी पर आधारित हमारे बकाए की वसूली के लिए हमें कानून के अनुसार साथ–साथ आपके विरुद्ध कारवाई शुरू करने का भी अधिकार प्राप्त है।
8. साथ ही, हम आप सभी को यह भी सूचित करते हैं कि यदि निर्धारित समय में खाता को नियमित नहीं किया गया/ बकाए का भुगतान नहीं किया गया तथा यदि भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा आपको जान–बूझकर चूककर्ता घोषित कर दिया गया तो बैंक को आपके नाम, पते, चूक के विवरणों, बकायों आदि के साथ वसूली के लिए बैंक को उपलब्ध सभी उपायों को शुरू करने के अतिरिक्त भा.रि.बैं. के दिशा निर्देशों के अनुसार समाचार पत्र(त्रों) में आपके फोटोग्राफ को प्रकाशित कराने का अधिकार प्राप्त है।
9. हम आपको यह भी सलाह देते हैं कि यह मांग सूचना पूर्वाग्रह–रहित है तथा इसे उक्त बकाए की वसूली के साथ ही साथ आप पर बकाया तथा आपके द्वारा देय राशि के संदर्भ में आगे पुनः मांग करने के किसी अन्य अधिकारों अथवा उपचारों के छूट के रूप में नहीं माना जाए।
10. पुनः आपका ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

प्राधिकृत अधिकारी
इंडियन ओवरसीज बैंक

IDBI BANK
पंजी. कार्या.: आईडीबीआई टावर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लैक्स, कफे पराडे, मुम्बई–400005
टेली.: (022) 22164385/66553406/3407, वेबसाईट: www.idbi.com
CIN No.: L65190MH2004GOI148838

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (तात्कालिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड) के नीचे वर्णित बांड्स के संदर्भ में प्रमाणपत्र(त्रों) के गुम/स्थानच्युत हो जाने की सूचना प्राप्त हुई है तथा उक्त बांड्स के धारक(कों) ने डुप्लिकेट बांड प्रमाणपत्र(त्रों) को जारी करने के लिये आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के पास आवेदन किया है।

गुमहुए बांड प्रमाणपत्र की सूची

क्रम सं.	यूनिट	फोलियों नं.	धारक का नाम	प्रमाणपत्र सं. से	प्रमाणपत्र सं. तक	बांड्स की सं.	विशिष्ट सं. से	विशिष्ट सं. तक
1	Series I	DDB0292757	कोशा अजय व्यास	1408359	1408361	3	346727	346729
2	Series I	DDB0367057	सुभाष जगन्नाथ सोनी	434496	434496	1	434496	434496
3	Series I	DDB0719333	विक्की गुप्ता	865033	865033	1	865033	865033
4	Series I	DDB0751488	राम विलास सिंह	902012	902012	1	902012	902012
5	Series I	DDB0139733	एस. नंदनी लक्ष्मी	167674	167674	1	167674	167674
6	Series I	DDB0896170	मधुर खुल्लर	1078633	1078633	1	1078633	1078633
7	Series I	DDB0898516	शैली गुप्ता	1080979	1080979	1	1080979	1080979
8	Series I	DDB0654459	मिथिला गडयार	785315	785315	1	785315	785315
9	Series I	DDB0174646	एस. मणिमोझी	210058	210060	3	210058	210060
10	Series I	DDB0857225	बृज भूषण अरोड़	1028763	1028763	1	1028763	1028763
11	Series I	DDB0028861	गंधर्व सदाशिव पोवार	32607	32607	1	32607	32607
12	FL02	FDD004865	माधवी किशोर शाह	230832	230832	1	30004865	30004865
13	FL02	FDD123774	प्रियंका अग्रवाल	1167974	1167974	1	30174356	30174356
14	FL03	FDB013110	आशालता मिसरा	450228	450228	1	2016833	2016833
15	FL96	DDB0103970	जसवीर पाल	111671	111671	1	111671	111671
16	FL96	DDB0485838	मंगल बालभीम अभ्रुते	2022058	2022058	1	517646	517646
17	FL96	DDB0205006	अमीता हेमन्त मेहता	227758	227758	1	227758	227758
18	FL96	EEB3343896	अमित झुरानेय	3016118	3016118	1	3016118	3016118
19	Series I	DDB0591166	संकेत	705177	705177	1	705177	705177
20	Series I	DDB0514486	शशिकान्त बसन्त जोशी	612817	612817	1	612817	612817
21	FL96	DDB0787587	नाम देव साहेबराव पिंगले	823321	823321	1	823321	823321
22	FL96	DDB0254581	आकाश डीएस प्रवीण पंघारे	280993	280993	1	280993	280993
23	FL02	FDD106263	प्रभु सिंह	786628	786628	1	30124850	30124850
24	Series I	DDB0946899	सुधीर शर्मा	1141854	1141854	1	1141854	1141854
25	Series I	DDB0411041	कमला कान्त पाण्डेय	488702	488702	1	488702	488702
26	FL96	DDB3379963	रोहित अग्रवाल	3356894	3356894	1	3356894	3356894
27	Series I	DDB0666151	विमला शर्मा	800636	800636	1	800636	800636
28	FL96	DDB0882264	रुमा चटर्जी	922953	922955	3	922953	922955
29	FL96	DDB3097724	रुमा चटर्जी	3090624	3090625	2	3090624	3090625
30	FL96	DDB1413675	राजेश डोकनिया	1469805	1469805	1	1469805	1469805
31	Series I	DDB0395012	के सत्तैआह	467268	467268	1	467268	467268
32	Series I	DDB0684114	केतन	820954	820954	1	820954	820954
33	Series I	DDB0658351	नीलिमा विश्वास वैद्य	789207	789207	1	789207	789207
34	Series I	DDB0349492	रविन्द्र चिंतामणि म्हात्रे	414463	414463	1	414463	414463
35	FL96	DDB3400854	कैलाश प्रसाद सोंकर	3377230	3377230	1	3377230	3377230
36	FL96	EEB3066828	अरुण घटी एम बाबा	3003513	3003513	1	3003513	3003513

एतद् द्वारा आम जनता को किसी भी रूप में उपरोक्त बांड प्रमाणपत्रों की खरीद अथवा व्यवसाय करने के प्रति सतर्क किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का उक्त बांड्स के सिलसिले में कोई दावा/आपत्ति हो, वे इस विज्ञापन के प्रकाशन से पन्द्रह दिनों के भीतर उपरोक्त पते पर उसके पंजीकृत कार्यालय में बैंक को अथवा नीचे दिए गए पते पर रजिस्ट्रार के कार्यालय में इसकी सूचना दें अन्यथा, बैंक डुप्लिकेट बांड प्रमाणपत्र(त्रों) को जारी करने की कार्रवाई करेगा। इस सूचा की प्रति आईडीबीआई की वेबसाईट पर लिंक 'Investor-Bondholders space-fexi Bonds-Loss of bord Notices' पर उपलब्ध है।

आईडीबीआई बांडधारकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

आईडीबीआई ने कुछ बांड ईश्यूज में समय–पूर्व विमोचन (कॉल ऑप्शन) कार्यान्वित किये हैं जिनके फोलिओ नं. के प्रेफिक्स सीरिज के नाम अर्थात सीरिज 1 (डीडी), फ्लेक्सीबांड्स 1 (एफआरआरबी/ पीआरआरबी, एफईईबी/ पीईईबी, एफडीडीवी/ पीडीडीवी, एफआरएमबी/ पीआरएमडी), फ्लेक्सी बांड्स 2 (एफडीडी), फ्लेक्सी बांड्स 3 (एफडीबी) एवं फ्लेक्सी बांड्स 7 (डीडीबी 7) के समक्ष ब्रैक्ट्स में दर्शाये गये हैं। बार–बार के स्मरण–पत्रों तथा सार्वजनिक सूचनाओं के बावजूद धारकों द्वारा कुछ बांड्स दावा–रहित रहे हैं, जो अधिक विवरणों के लिए संबंधित रजिस्ट्रारों से सम्पर्क कर सकते हैं।

डैटामेटिक्स बिजनेस सॉल्यूशन्स लिमिटेड
(फ्लेक्सी बांड 6 के लिए)
प्लॉट नं. बी–5, पार्ट बी क्रॉस लेन, एमआईडीसी, अंधेरी (ई), मुम्बई–400093, टेली.: 022–66712200/ 2206
फैक्स: 022–66712209, * ई–मेल: idbiflexi@dfssl.com

केफिन टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड
यूनिट–आईडीबीआई बांड कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31–32, गाद्दीबावली, फाइनांसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद–500032
टेली.: 040–67161600/040– 67161598
* फैक्स: 040–23001153

स्थान: मुम्बई
तिथि: 24.12.2019

www.readwhere.com

जनसत्ता

नतीजों के संदेश

झारखंड में विधानसभा चुनावों के नतीजे अप्रत्याशित तो नहीं हैं, लेकिन मौजूदा दौर में चल रही राजनीतिक उथल-पुथल के बीच जाहिर है कि इसे एक महत्त्वपूर्ण संदेश के रूप में देखा जाएगा। राज्य में पिछले पांच साल से सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है और उसे उम्मीद से भी कम सीटें मिलीं। जबकि चुनावों से पहले प्रचार के दौरान भाजपा के लगभग सभी बड़े नेताओं ने राज्य में एक बार फिर पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनने का दावा किया था। लेकिन नतीजे में जो तस्वीर उभरी है, उससे साफ है कि झारखंड के मतदाताओं की आम राय भाजपा की सत्ता के खिलाफ रही। सन 2014 में जहां गठबंधन के भीतर पार्टी को इक्यासी में से अकेले सैंतीस सीटें मिली थीं, वहीं इस बार वह महज पच्चीस सीटों के आसपास सिमट गई। जबकि कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन ने आसानी से सरकार बनाने के लिए पर्याप्त बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। लोकसभा चुनावों में भाजपा को जहां इक्यावन फीसद वोट मिले थे, वहीं इस चुनाव में वह घट कर तैंतीस फीसद रह गया। सवाल है कि तमाम दावों के बावजूद आखिर ऐसा क्या हुआ कि राज्य में भाजपा की सत्ता को वहां के मतदाताओं ने खारिज कर दिया!

गौरतलब है कि बीते एक साल के दौरान यह पांचवा राज्य है, जहां भाजपा सत्ता से बाहर हो गई। जाहिर है, जिस दौर में भाजपा की ओर से देश भर में एकछत्र राज के दावे किए जा रहे थे, क्षेत्रीय पार्टियों के महत्त्व को कम करके आंका जा रहा था, उसमें उसे मुख्य चुनौती क्षेत्रीय पार्टियों से ही मिलती दिख रही है। महाराष्ट्र में जहां मुख्य रूप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के साथ की वजह से उसे सत्ता गंवानी पड़ी, वहीं अब झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के महागठबंधन ने उसके सामने चुनौती पेश की। ऐसा लगता है कि यह केवल सत्ता के लिए राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का मसला नहीं है। पिछले कुछ सालों के दौरान जिस तरह विकास के लिए काम करने का दम भरते हुए भी ऐसे विवादों को मुख्य मुद्दे के रूप में पेश किया गया, जिनका आम जरूरतों से कोई सरोकार नहीं था और जो अप्रत्यक्ष रूप से सहज जीवन को बाधित करते थे, उस पर शायद लोगों ने गौर किया। आखिर रोजगार, घटती आय, अर्थव्यवस्था की बदहाली, छिनती जमीन और शिक्षा आदि सवालों को कब तक परदे के पीछे ढक कर रखा जा सकता था? आर्थिक मंदी के असर से राज्य में बड़ी तादाद में कारखाने बंद हुए और भारी पैमाने पर लोगों का रोजगार छिन गया। सरकारी नौकरियों में बहाली या तो रुक गई थी या फिर बेहद दयनीय अवस्था में चली गई। रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े ऐसे तमाम मुद्दों ने धीरे-धीरे ही सही, आम जनता के बीच जगह बनाई और उसका असर जनमत पर पड़ा और वह सत्ता विरोधी लहर में बदला।

जनतांत्रिक राजनीति की दुनिया में कई बार कुछ सामान्य और सहज घटनाक्रमों का विश्लेषण भी विशेष अर्थों में किया जाता है। झारखंड विधानसभा चुनावों के नतीजों को इसी संदर्भ में देखा जा सकता है। संसद और विधानसभा में सीटों की संख्या के लिहाज से अपेक्षया छोटा माने जाने वाले झारखंड के नतीजे शायद इतने महत्त्वपूर्ण नहीं माने जाते, अगर देश में कुछ खास मसलों पर बड़ी उथल-पुथल नहीं मची होती। लेकिन हाल में नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर तैयार कराने के सवाल पर उठे राजनीतिक तूफान ने साधारण लोगों तक को आंदोलित किया है, उसमें इन नतीजों को एक खास संदेश के तौर पर देखा जा रहा है।

आग और सवाल

ठीक एक पखवाड़े पहले दिल्ली के अनाजमंडी इलाके में हुए भयानक अग्निकांड की त्रासद यादें अभी शांत भी नहीं पड़ी थीं कि सोमवार तड़के महानगर के किराड़ी इलाके में एक रिहायशी इमारत में लगी आग ने नौ लोगों की जिंदगी छीन ली। अनाजमंडी इलाके में हुए अग्निकांड में तैंतालीस लोगों मारे गए थे। इस घटना के बाद लगा था कि अब तो सरकार और लोगों दोनों की आंखें खुली होंगी और भविष्य में ऐसे बड़े हादसों से बचाव के लिए इंतजामों पर ध्यान दिया जाएगा। पर किराड़ी का हादसा बता रहा है कि लोगों की जान सस्ती है और जिस हालात में हम रह रहे हैं, उसमें ऐसे हादसों से कोई नहीं बचा सकता। हालांकि दमकल विभाग ने ढाई घंटे में आग पर काबू पा लिया गया, वरना संभव है कि यह अग्निकांड और भी कितनी जिंदगियां लील लेता। किराड़ी इलाके में जिस इमारत में आग लगी, उसके भूतल पर कपड़े का गोदाम था और बाकी तीन मंजिलों पर लोग रहते थे। शुरुआती जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। भले ये बिजली के कारण लगने वाली आग हो, लेकिन सच्चाई यह है कि यह भी अब तक के सारे अग्निकांडों की तरह ही लापरवाही की आग है।

राजधानी दिल्ली में शायद ही कोई महीना ऐसा गुजरता हो जब कहीं किसी इलाके में आग लगने की घटना न होती हो। अग्निकांडों की इन बढ़ती घटनाओं से ऐसा लगता है कि इस समस्या को अब एक सामान्य स्थिति का दर्जा दे दिया गया है और इसीलिए लापरवाही कायम है। आग लग गई, बुझा दी गई, मारे गए लोगों को मुआवजा देकर शांत करा दिया, और फिर सब कुछ पहले की तरह पटरी पर लौट आया। आग में जली इमारतें दोबारा से खड़ा हो जाती हैं, कारोबार पहले की तरह चलने लगते हैं, मारे गए लोग भी जल्द ही भुला दिए जाते हैं, लेकिन सवाल वहीं के वहीं रह जाते हैं, वे लपटों में नहीं झुलस पाते, बल्कि ज्यादा गंभीरता के साथ खड़े होते हैं और जवाब मांगते हैं। पर जवाब दे कौन? आधे से ज्यादा दिल्ली की बसावट ऐसी है कि आग लगने पर मौके पर पहुंचने में दमकलकर्मियों तक के हाथ-पांव फूल जाते हैं। पुरानी दिल्ली तो बसी ही छोटी-छोटी और तंग गलियों में है और यही संकरे इलाके बड़े व्यावयायिक केंद्रों में तब्दील हो गए हैं। घरों में ही फैक्ट्रियां चल रही हैं, गोदाम बने हुए हैं, लेकिन आग जैसे हादसों से निपटने का कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं है। गली, चौराहों पर बिजली के तारों का जंजाल हादसों का सबसे बड़ा कारण है। आखिर ये सब किसे देखना है? लेकिन सरकार को लगता है सरकार ने सबको मरने के लिए छोड़ दिया है। यही कारण है कि कभी जूता और पटाखा फैक्ट्री में आग लगती है तो कभी कागज का गोदाम धधक उठता है।

हर अग्निकांड की जांच में सबसे पहले यही निकल कर आता है कि संकरे और भीड़भाड़ वाले इलाकों में चलने वाले उद्योग जानलेवा बने हुए हैं। ज्यादातर हादसे शॉर्ट सर्किट के कारण हो रहे हैं, खुले और लटके तार चौबीसों घंटे मौत को न्योता देते रहते हैं। पर न बिजली विभाग, उद्योग विभाग को इसकी फिक्र है, न ही उद्योग चलाने वालों को। बार-बार यही सवाल उठता है कि आखिर रिहायशी इलाकों में गोदाम, फैक्ट्रियां आदि चल कैसे रहे हैं? इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकारी तंत्र की मिलीभगत से ही रिहायशी इलाके व्यावसायिक गतिविधियों का केंद्र बने हुए हैं। सरकार का निगरानी तंत्र तो है, लेकिन लापरवाह है। यदि ऐसा नहीं है तो स्पष्ट है कि सरकार ऐसे कारोबारियों पर मेहरबान है। इसीलिए दिल्ली आग के ढेर पर बैठी है।

कल्पमेधा

युद्ध एक ऐसा धंधा है, जिसमें मनुष्य सम्मान से नहीं रह सकता।

– मैकियावेली

साइबर अपराध रोकने की चुनौती

अरविंद कुमार सिंह

साइबर अपराधियों के बढ़ते हौसले की मुख्य वजह यह है कि देश में साइबर अपराधों को रोकने और अपराधियों को दंडित करने के लिए कठोर तथा प्रभावी कानूनों का अभाव है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में अभी भी साइबर अपराध गैर जमानती नहीं है। इसके लिए अधिकतम सजा तीन साल है।

देश के इकसठ फीसद कारोबारी और अन्य श्रेणी के संस्थानों का विकास साइबर हमले से बुरी तरह प्रभावित है। इस वजह से इन संस्थानों को भारी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। यह खुलासा एक आइटी विश्लेषक कंपनी ने किया है। यह स्थिति इस बात को रेखांकित करने के लिए पर्याप्त है कि देश के पनच्यानवे फीसद कारोबारी और संस्थान डिजिटलीकरण की राह पर तो चल दिए हैं, लेकिन साइबर हमले से निपटने के लिए पुख्ता सुरक्षा तंत्र विकसित नहीं कर पाए हैं। आंकड़े बताते हैं कि पिछले दो वर्षों के दौरान छियालीस फीसद संगठनों ने साइबर हमले झेले हैं। बीस फीसद संगठनों ने तो बीते एक वर्ष में कभी भी साइबर हमले से बचने का मूल्यांकन नहीं करवाया। सत्तर फीसद संगठनों ने साइबर सुरक्षा को लेकर बचाव का रास्ता अख्तियार किया। सिर्फ अठारह फीसद कंपनियों ने ही डिजिटलीकरण के शुरुआती चरण में साइबर सुरक्षा की व्यवस्था की।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों पर गौर करें तो देश में साइबर अपराध बीते दो वर्ष में दोगुना हो चुका है। वर्ष 2015 में साइबर अपराध के 11592 मामले दर्ज हुए थे, जबकि 2017 में यह संख्या 21796 पहुंच चुकी है। यानी तकरीबन अट्ठासी फीसद की वृद्धि हुई है। इनमें बड़ी संख्या संस्थानों और संगठनों पर हुए साइबर हमलों, वेबसाइट हैकिंग और अवैध लेन-देन की है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) साइबर हमले को नाकाम करने के लिए मौजूदा फ्रेमवर्क को मजबूत बनाने और साइबर सुरक्षा को अभेद्य बनाने की दीर्घकालीन रणनीति तैयार करने की बात कह चुका है। लेकिन साइबर हमले कम होने के बजाय बढ़े रहे हैं। इससे संस्थानों, संगठनों व विशेषकर बैंकों को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ी है। पिछले साल अमेरिकी कंपनी एफआइएस द्वारा वैश्विक स्तर पर किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि देश के अठारह से छत्तीस वर्ष के आयु वर्ग के युवा उपभोक्ता बैंकों की कार्यप्रणाली से नाखुश हैं। उसका कारण यह है कि भारतीय बैंक अपने ग्राहकों की अपेक्षाओं की कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि बैंकों के समक्ष कई तरह की चुनौतियां हैं, जिनमें एक सबसे बड़ी चुनौती साइबर अपराध रोकने की है। लेकिन बैंक इसमें नाकाम रहे हैं। सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले तीन वित्त वर्ष में बैंकों से जुड़े साइबर अपराध के 43204 मामले सामने आए हैं जिसमें अपराधियों ने 232.32 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। वित्त वर्ष 2014-15 में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग से जुड़े साइबर अपराध के 13,083 मामले सामने आए जिनमें 80.64 करोड़ रुपए की चपत लगी। इसी तरह वित्त वर्ष 2015-16 में मामलों की संख्या बढ़ कर 16,468 तक पहुंच गई। पिछले वित्त वर्ष में कुल 13,653 मामले सामने आए जिनमें 72.68 करोड़ रुपए की चपत लगी।

साइबर अपराधियों के निशाने पर सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड रहे हैं। एक अध्ययन के मुताबिक देश में आइटी एक्ट के तहत पंजीकृत साइबर अपराधों के मामले में 2011 से अब तक तकरीबन तीन सौ फीसद तक की वृद्धि हो चुकी है। इस अध्ययन में कहा गया है कि अगर साइबर अपराध पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो साइबर हमलावर न्यूक्लियर प्लांट, रेलवे, परिवहन और अस्पतालों जैसी महत्त्वपूर्ण जगहों पर हमले कर सकते हैं जिससे कई गंभीर समस्याएं खड़ी हो सकती है और जनजीवन व सारे काम ठप पड़ सकते हैं। कुछ साल पहले भारत सहित दुनिया के ज्यादातर देशों में हैकरों ने साइबर हमला बोल कई देशों की सरकारों की नींद उड़ा दी थी।

पिछले एक दशक में भारत में साइबर अपराध अट्ठासी गुना बढ़े हैं। साइबर अपराधों के मामले में गिरफ्तारी में भी दस गुना बढ़ोत्तरी हुई है। साइबर अपराध के मामले में अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरे नंबर पर है। आज भारत की बड़ी आबादी डिजिटल जिंदगी जी रही है। अधिकांश लोग बैंक खाते से लेकर निजी गोपनीय जानकारी तक कंप्यूटर और मोबाइल फोन में रखने लगे हैं। इंटरनेट उपयोग करने के मामले में दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है। इंटरनेट पर जिस तेजी से निर्भरता बढ़ी है, उतने ही ज्यादा खतरे भी बढ़े हैं। यही वजह है कि हैकिंग की वारदातें भी तेजी से बढ़ रही हैं। भारत की ही बात करें तो यहां ऐसी अनेक देशी-विदेशी कंपनियां हैं जो इंटरनेट आधारित

कारोबार और सेवाएं प्रदान कर रही हैं। उचित होगा कि भारत सरकार ऐसी कंपनियों पर निगरानी रखने के लिए ऐसा निगरानी तंत्र विकसित करे जो इन कंपनियों पर कड़ी नजर रखे। उचित यह भी होगा कि जिन कंपनियों की कार्यप्रणाली संदिग्ध नजर आए उन पर शिकंजा कस कानूनी कार्रवाई की जाए। ऐसी कंपनियों के लाइसेंस निरस्त किया जाएं जो साइबर सुरक्षा से संबंधित नियमों का पालन करने में कोताही बरत रही हैं। इसके अलावा देश में अनेक ऐसी विदेशी कंपनियां सेवाएं दे रही हैं जिनका सर्वर भारत में नहीं है। ऐसी कंपनियों को निगरानी की जद में रखना एक बड़ी चुनौती है।

ऐसा नहीं है कि भारत में साइबर अपराध रोकने के लिए कानून नहीं हैं। भारत में साइबर अपराध को तीन मुख्य अधिनियमों के अंतर्गत रखा गया है। ये अधिनियम हैं-सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और राज्य स्तरीय कानून। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत आने वाले प्रमुख मामलों में कंप्यूटर स्रोत और दस्तावेजों से छेड़छाड़, कंप्यूटर सिस्टम की हैंकिंग, आंकड़ों में हेराफेरी, अश्लील सामग्री का प्रकाशन, गोपनीयता को भंग करना जैसे कई अपराध शामिल हैं। भारत में साइबर अपराध के मामलों में सूचना तकनीक कानून, 2000 और सूचना तकनीक संशोधन कानून, 2008 लागू होते हैं। किंतु इसी श्रेणी के कई मामलों में भारतीय दंड संहिता, कॉपीराइट कानून 1957, कंपनी कानून, सरकारी गोपनीयता कानून और जरूरत पड़ने पर आतंकवाद निरोधक कानून के तहत भी कार्रवाई हो सकती है।

साइबर अपराध के बदलते तरीकों और घटनाओं ने भीषण समस्या का रूप ले लिया है। जुर्म की दुनिया में अपराधी हमेशा कानून को गुमराह करने के लिए नए-नए तरीके ईजाद करते रहते हैं। हैकिंग के जरिए रक्षा-सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारियों में सेंध लगाने की घटनाएं कई बाक सामने आ चुकी हैं। सीबीआइ दफ्तर जैसे संस्थान भी साइबर हमले की चपेट में आ चुके हैं। साइबर अपराधियों के बढ़ते हौसले की मुख्य वजह यह है कि देश में साइबर अपराधों को रोकने और अपराधियों को दंडित करने के लिए कठोर तथा प्रभावी कानूनों का अभाव है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में अभी भी साइबर अपराध गैर जमानती नहीं है। इसके लिए अधिकतम सजा तीन साल है। उचित होगा कि सरकार साइबर अपराध से जुड़े कानूनों में फेरबदल कर इसे कठोर बनाए और सजा की मियाद बढ़ाए। देश में साइबर अपराध से निपटने के लिए साइबर थानों की संख्या में वृद्धि करना बहुत जरूरी है। ज्यादातर शहरों में तो साइबर अपराध की शिकायत भी सामान्य थानों में कराई जाती है और पुलिस इस काम को कर पाने में सक्षम नहीं होती। देश में साइबर थानों की संख्या पचास से भी कम है। सरकार को साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कानून तो बनाना ही होंगे, आमजन को भी साइबर सुरक्षा से जुड़े उपायों का पालन करना होगा। मसलन हार्डड्राइव को सुरक्षित रखने के अलावा सिग्नल या वाट्सअप से संदेश भेजने पर जोर देना चाहिए। ईमेल पर दोहरी सुरक्षा कैसे हो इसका उपाय ढूंढ़ना चाहिए। असुरक्षित वेबसाइट पर जाने से बचना चाहिए। लेकिन देखा जा रहा है कि तमाम हिदायतों के बावजूद साइबर सुरक्षा संबंधी उपायों का पालन नहीं हो रहा है।

इंद्रधनुषी सौंदर्य

रुचि गर्ग

कई विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त करने वाली एक अनुभवी शिक्षिका ने अपनी कक्षा के बच्चों से उनका पसंदीदा रंग पूछा। बच्चों द्वारा बताए गए रंग को उन्होंने सभी बच्चों में समान मात्रा में बांट दिया और उनके प्रयोग से कक्षा को एक रंगोली बनाने को कहा। कक्षा में कुल चालीस बच्चे हैं, जिनमें से बीस बच्चों ने पीला रंग चुना और बाकी सभी बच्चों ने अलग-अलग रंग चुना। मसलन, हरा रंग पांच बच्चों के पास, लाल रंग चार बच्चों के पास। इसी प्रकार अलग-अलग रंग बच्चों ने चुने। पीला रंग पसंद करने वाले बच्चों ने अपनी रंगोली अलग से बनाने की मांग रखी। शिक्षिका के काफी समझाने पर भी जब वे नहीं माने तो शिक्षिका ने पीला रंग पसंद करने वाले बच्चों को समूह अ और अलग-अलग रंग पसंद करने वाले बाकी बच्चों को समूह इ में बांट दिया और उन्हें उनकी रंगोली बनाने के लिए एक घंटे का समय दिया। दोनों समूहों ने अपनी रंगोली बनाना शुरू किया। पीला रंग पसंद करने वाले बच्चों के समूह अ ने खुद को और भी छोटे-छोटे समूह में बांट लिया और चार अलग रंगोलियां बनाईं। उन्हें इस काम में बीस-पच्चीस मिनट लगे।

दूसरी ओर, बाकी सभी रंगों वाले समूह इ के बच्चों ने शुरुआत के बीस-पच्चीस मिनट केवल चर्चा में ही लगा दिए कि किस रंग का कहां और कितनी मात्रा में प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद उन्होंने रंगोली का एक खाका तैयार किया और उसमें रंग भरना शुरू कर दिया। एक घंटा पूरा हो गया, लेकिन अभी उनका काम पूरा नहीं हुआ था। शिक्षिका ने एक घंटे के बाद दोनों समूहों को कार्य रोकने को कहा और बारी-बारी से उनसे चर्चा करने लगी। शिक्षिका ने समूह अ द्वारा बनाई गई चार रंगोलियां देखी और उनका अनुभव जानना चाहा। उस समूह के अधिकतर बच्चे समय से पहले कार्य पूरा कर लेने और चार रंगोलियां बनाने पर काफी खुशी जाहिर कर रहे थे। हालांकि इसी समूह के कुछ बच्चों को रंगों की कमी का एहसास भी था। पिर शिक्षिका ने समूह इ से उनके अनुभव पूछे। समूह के अधिकतर बच्चों को पीला रंग न होने की कमी महसूस हुई, क्योंकि अगर पीला रंग होता तो उनकी रंगोली और अच्छी बनती।

फिर शिक्षिका ने दोनों समूहों को एक दूसरे की रंगोली देखने को कहा। जब समूह अ ने समूह इ की रंग-बिरंगी रंगोली देखी तो उनकी आंखें चमक गईं, क्योंकि वह रंगोली अपना संदेश ज्यादा बेहतर और स्पष्ट तरीके से दे पा रही थी। दूसरी तरफ समूह अ द्वारा बनाई गई रंगोलियां भले ही चार थीं, मगर अलग-अलग टुकड़ों में थीं। सामूहिक रूप से उनके द्वारा किए गए कार्य का कोई अर्थ समझ नहीं आ रहा था। शिक्षिका ने इसके बाद बच्चों को अगले सप्ताह स्कूल में होने वाली रंगोली प्रतियोगिता के बारे में बताया, जिसमें हर कक्षा को अपनी एक रंगोली बनानी होगी। शिक्षिका ने बच्चों से कहा कि हमारी कक्षा से भी एक ही रंगोली जाएगी और यह आपको चुनना है कि वह कौन-सी रंगोली होगी। आप चाहें तो मिल कर भी एक रंगोली बना सकते हैं, लेकिन आपके पसंदीदा रंग वही होंगे। रंगोली का डिजाइन अलग हो सकता है, लेकिन उससे कोई संदेश स्कूल को जरूर मिलना चाहिए।

दुनिया मेरे आगे

मुझे याद है कि बचपन में जब भी हमें 'मेरा देश महान' पर निबंध लिखने को कहा जाता था तो उसकी पहली लाइन होती थी कि 'भारत विविधताओं का देश है।' साधारण उदाहरण से समझा जाए तो उपर्युक्त कक्षा में बच्चों ने अपने-अपने पसंदीदा रंग चुने, यानी वे बच्चे जिनकी अपनी-अपनी पसंद है। जो हरा, नीला, काला आदि रंग है, वही हमारे देश में अलग-अलग समुदायों, धर्मों, जाति आदि को प्रदर्शित करते हैं। हम आगे बढ़ते हुए यह भी लिखते थे कि 'हमारे देश का संविधान विश्व में सबसे बड़ा है, क्योंकि अलग-अलग देशों के संविधान से चुन कर हमने अपने देश का संविधान बनाया है।'

मैंने जिन अनुभवी शिक्षिका की बात की, वे हमारे देश के संविधान की भांति हैं जो समझती हैं कि सबको एक साथ बांध कर खूबसूरती से कैसे पेश किया जा सकता है। कक्षा में शिक्षिका द्वारा बच्चों को रंगोली बनाने का दिया गया काम देश के सामने रोज आने वाली चुनौतियों, जैसे रोजगार, शिक्षा आदि के मुद्दे को सुलझाने से संबंधित है। पूरा स्कूल एक विश्व की तरह है, जिसमें विभिन्न कक्षाएं अलग-अलग देशों को प्रदर्शित करती हैं और हमारी कक्षा, जो हमारे देश की तरह है। स्कूल में की जाने वाली यह गतिविधि प्रतिस्पर्धा में कितनी खरी उतरती है, यह निर्भर करता है उस कक्षा के बच्चों पर, जो मिल कर काम करें। एक नागरिक होने के नाते यह सोचने का फर्ज हमारा है कि हम क्या चाहते हैं क्या हम आपस में एक दूसरे से ही प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं कि कौन-सा समुदाय, कौन-सी भाषा या कौन-सी जाति बेहतर है और कमजोर देशों के साथ खड़ा होना चाहते हैं? या फिर हम एक देश की तरह अपनी अनमोल और खूबसूरत संस्कृति को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं!

मौसम का मिजाज

भारत का राजनीतिक मौसम कैसा भी हो, उसकी चिंता इतनी गहरी नहीं कही जा सकती, जितनी चिंता वैश्विक पर्यावरणीय परिवर्तनो को लेकर की जानी चाहिए। इधर भारत में जहां पिछले डेढ़ दो दशक में पर्यावरणीय परिवर्तनों ने मौसम चक्र को सीधे तौर पर प्रभावित करना शुरू कर दिया है, वहीं विश्व के अन्य प्रमुख हिस्से भी इस पर्यावरणीय दुश्चक्र में घिरते नजर आने लगे हैं।

नवंबर, दिसंबर और जनवरी- ये तीन महीने निर्विवाद रूप से शीतकालीन मौसम के लिए पहचाने जाते हैं। इनमें से भी दिसंबर मध्य से लेकर जनवरी माह के प्रथम सप्ताह तक का दौर तीखी और चुभोने वाली ठंड का दौर होता है। विश्व के कई भागों में इस दौरान हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ती है। बर्फ और तेज ठंड के लिए रूस विशेष रूप से प्रसिद्ध है। दिसंबर मध्य से लेकर अंत तक जिस रूस में सामान्य रूप से पारा माइनस 6 से 7 डिग्री तक चला जाता है। वहां इस वर्ष 18 दिसंबर को 6 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चौंकाने वाला और कुछ अर्थों में चेतावनी देता लगता है। ये सारे परिवर्तन पर्यावरणीय असंतुलन के परिणाम ही हैं, जिन्हें मानव द्वारा ही महज कुछ एक दशक में तैयार किया गया है।

अपने यहां भारत में भी सारे ही मौसम करीब एक से सवा माह के अंतराल से आगे बढ़ चुके हैं। ऐसा पिछले कुछ वर्षों के मौसम चक्र से स्पष्ट मालूम होता है। यह मौसम परिवर्तन असमान रूप से असामान्य परिणाम के साथ नजर आए हैं। इनमें सूखा और अतिवृष्टि, दोनों ही के परिणाम से भारत रूबरू हुआ है। पर्यावरणीय असंतुलन या कहे बिगड़े मौसम चक्रों का क्रम कैसे फिर से सही क्रम में आएगा? संभवतः यह पर्यावरणविदों, मौसम वैज्ञानिकों के लिए भी अबूझ पहेली ही होगा।

बहरहाल, लगातार बिगड़ते मौसम चक्र देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर सकते हैं। इस आशंका को भी निर्मूल नहीं कहा जा सकता। विगत एक दशक में मौसम चक्रों में आ रहे असामान्य परिवर्तन हम सबके लिए खतरे की घंटी ही है। जिसे सुन कर समय पर संभलना और उससे बचाव के उपाय धरातल पर धारण करना हमारे और भावी पीढ़ियों के लिए बेहद जरूरी और वर्तमान समय की सबसे जरूरी मांग नजर आता है।

● *अंबरीश भावसार, झाबुआ, मप्र*

संदेह की दीवार

देश में नागरिकता संशोधन विधेयक के लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद हर जगह इसका व्यापक विरोध हो रहा है। कारण केवल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए उन अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना है, जो प्रताड़ित होकर यहां आए हैं। इसमें मुसलमान शामिल नहीं किए गए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या मुसलिम समुदाय के प्रति यह किस तरह का बर्ताव है? विरोध इसका नहीं कि तीन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जा रही है, बल्कि इसका है कि उन्हीं स्थितियों में आए मुसलमानों को नागरिकता क्यों नहीं? क्या वे लोग उन देशों में सताए नहीं गए? फिर वे अपना देश छोड़ कर क्यों आए?

सवाल है कि प्रताड़ना या पिर सताने की परिभाषा क्या एक ही है? आखिर ऐसा क्यों हुआ कि पहले जो यह विरोध केवल पूर्वी भारत में सीमित था, लेकिन धीरे-धीरे यह पूरे भारत मे फैल गया। मुसलमानों के बीच यह धारणा बनी है कि उनके बीच से बहुत सारे लोगों को इस कानून के जरिए नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। इससे बचने के लिए अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। लोगों को भय है कि सीएए में जिन लोगों को नागरिकता नहीं मिल पाएगी, वे लोग भविष्य में आने वाली एनआरसी के तहत बाहर कर दिए जाएंगे।

सन 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के विश्व धर्म सम्मलेन में कहा था कि 'मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूं जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए लोगों को अपने यहां शरण दी है।' लेकिन आज विवेकानंद के उस कथन पर संदेह की दीवार खड़ी करने की कोशिश की जा रही है।

● *निरंजय सिंह, इविवि, प्रयागराज*

कमीशन का खेल

पिछले दिनों कहीं लिखा पढ़ा कि 'प्याज ज्यादा होता है, तो किसान रोता है और कम पैदा होता है तो आम लोग रोते हैं।' मेरे विचार से वास्तविकता यह है कि प्याज कम पैदा हो या ज्यादा, हर हालत में रोता किसान और आम आदमी ही है। इस देश में सदा 'दलाल' हंसता है, क्योंकि इनके नुमाइंदे ही सत्ता में हैं। सत्ताधारी आमतौर पर दलालों को बचाते हैं। उदाहरण के लिए अभी डेढ़ सौ रुपए किलो से पार प्याज की कीमत होने पर भी किसान को मात्र आठ रुपए प्रतिकिलो के भाव से ही भुगतान होने की खबर आई। मतलब प्रतिकिलो 142 रुपए दलाल की जेब में गया। यह भी खुला खेल है कि यह सब खेल सिर्फ जमाखोरी से उपजी समस्या है। प्याज को कहीं दूसरे देश में ले जाकर नहीं छिपाया गया है, बल्कि उसे इसी देश में कहीं छिपा कर, जमाखोरी कर उसका कृत्रिम अभाव बाजार के दलालों और सत्ता द्वारा मिल कर जानबूझ कर पैदा किया गया। यह एक बड़ी समस्या है। चूंकि इन कमीशनखोरों को संरक्षण मिला होता है, इसलिए उन पर कठोर कार्रवाई भी नहीं की जाती। इसलिए हर हालात में इस देश में मरेंगे किसान और आम आदमी ही। यही कटु सत्य है, चाहे कोई कुछ भी कहे

● *निर्मल कुमार शर्मा, गाजियाबाद*

पुस्तक की जगह

आधुनिकता दौर में मल्टीमीडिया का जमाना है। आज हर एक व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है, लेकिन हम सब पुस्तकों से दूर होते जा रहे हैं। पुस्तक पढ़ने से मनुष्य के अंदर ज्ञानमीमांसात्मक प्रवृत्तियों का विकास होता है। इससे मनुष्य में तथ्यों का विश्लेषण कर एक समालोचनात्मक नजरिया पनपता है, जो देश, दुनिया, सामाजिक सभ्यता और संस्कृति को समझने में मदद करता है। इसलिए छात्र-छात्राओं में पुस्तक के प्रति आकर्षण पैदा करना चाहिए। विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पुस्तकालयों का निर्माण अनिवार्य रूप से होना चाहिए जो 15-20 घंटे खुला रहे, ताकि हरेक विद्यार्थी अपने समयानुसार उसका सदुपयोग कर सकें। अगर और भी शुरुआती या बचपन के दौर में पुस्तकों के प्रति आकर्षण पैदा करना हो तो ग्रामीण पुस्तकालयों का निर्माण भी किया जाना चाहिए, जिससे गावों में पढ़ने-लिखने के साथ ही साथ लोगों में महान विभूतियों के जीवन के आदर्श मूल्यों को आत्मसात करने की प्रवृत्ति मजबूत होगी।

● *सत्यम मिश्र, जौनपुर*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

www.readwhere.com

जरा हट के

अमेरिकी गायक निक जोनस अपने दोनों भाइयों जो जोनस और केविन जोनस के साथ वाइ 100 जिंगल बेल कार्यक्रम में प्रस्तुति देते हुए।

बोल

स्वतंत्रता के समय जीवन प्रत्याशा 39 वर्ष थी जो आज 73 वर्ष है। भारत में यह 71 वर्ष है जबकि पाकिस्तान में यह 69 वर्ष है। हम कई अन्य देशों से मानवीय सूचकांक में काफी आगे हैं।

-हसन महमूद, बांग्लादेश के सूचना मंत्री

विवाद

महाभियोग डेमोक्रेट सांसदों के शक्ति के अप्रत्याशित एवं असंवैधानिक दुरुपयोग को दर्शाता है। अमेरिकी विधायी इतिहास की लगभग ढाई शताब्दी में कभी ऐसा नहीं हुआ।

-डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति

सम-सामयिक

एनपीआर : जनसांख्यिकी के साथ होंगे बायोमीट्रिक ब्योरे

जनसत्ता संवाद

नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक पंजी पर मचे घमासान के बीच केंद्र सरकार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को एक बार फिर धरातल पर उतारने में जुटी है। सरकार जल्द ही एनपीआर के नवीनीकरण को हरी झंडी देने की तैयारी कर रही है। पश्चिम बंगाल और केरल सरकार ने एनपीआर का भी विरोध किया है।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के तहत एक अप्रैल, 2020 से 30 सितंबर, 2020 तक नागरिकों का डेटाबेस तैयार करने के लिए देशभर में घर-घर जाकर जनगणना की तैयारी है। देश के सामान्य निवासियों की व्यापक पहचान का डेटाबेस बनाना एनपीआर का मुख्य लक्ष्य है। इस डेटा में जनसांख्यिकी के साथ बायोमीट्रिक जानकारी भी होगी।

एनपीआर और एनआरसी में अंतर है। एनआरसी का आधिकारिक उद्देश्य देश में अवैध नागरिकों की पहचान का है। वहीं, छह महीने या उससे अधिक समय से स्थानीय क्षेत्र में रहने वाले किसी भी निवासी को एनआरपी में पंजीकरण करना जरूरी होता है। बाहरी व्यक्ति भी अगर देश के किसी हिस्से में छह महीने से रह रहा है तो उसे भी एनपीआर में दर्ज होना है। एनपीआर के जरिए लोगों का बायोमीट्रिक डेटा तैयार कर सरकारी योजनाओं की पहुंच असली लाभार्थियों तक पहुंचाने का भी मकसद है।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में 2010 में एनपीआर बनाने की पहल शुरू हुई थी। तब 2011 में जनगणना के पहले इस पर काम शुरू हुआ था। अब फिर 2021 में जनगणना होनी है। ऐसे में एनपीआर पर भी काम शुरू हो रहा है। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी की तरह ही कई राज्यों ने एनपीआर को भी लाल झंडी दिखाने का फैसला कर लिया है। पश्चिम बंगाल, राजस्थान और केरल सरकार ने कह दिया है कि वे इसके खिलाफ हैं।

एनपीआर में तीन प्रक्रिया होगी। पहले चरण यानी अगले साल एक अप्रैल 2020 लेकर से 30 सितंबर के बीच केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी घर-घर जाकर आंकड़े जुटाएंगे। दूसरा चरण 9 फरवरी से 28 फरवरी 2021 के बीच पूरा होगा। तीसरे चरण में संशोधन की प्रक्रिया एक मार्च से पांच मार्च के बीच होगी।

आजादी के बाद 1951 में पहली जनगणना हुई थी। 10 साल में होने वाली जनगणना अब तक सात बार हो चुकी है। अभी 2011 में की गई जनगणना के आंकड़े उपलब्ध हैं। इन आंकड़ों को फिर साल 2015 में अपडेट किया गया था और 2021 की जनगणना पर काम जारी है। बायोमेट्रिक डाटा में नागरिक का अंगूठे का निशान और अन्य जानकारी शामिल होगी।

भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त विवेक जोशी के मुताबिक, असम को छोड़कर देश के अन्य सभी हिस्सों में एनपीआर पर काम शुरू किया जाएगा। इस संबंध में आधिकारिक वेबसाइट पर भी जानकारी दी गई है। एनपीआर के जरिए सरकार देश के हर नागरिक की जानकारी रख सकेगी। इसके तहत हर भारतीय नागरिक का बायोमेट्रिक रिकॉर्ड लिया जाएगा और उनकी वंशावली भी दर्ज की जाएगी। वैसे निवासी जो छह महीने या उससे ज्यादा समय से किसी क्षेत्र में रह रहा है, उसके लिए एनपीआर में पंजीकरण कराना अनिवार्य हो जाएगा। एनपीआर को सरकार राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला, उप जिला व स्थानीय स्तर पर तैयार करेगी। अब सरकार ने ये फैसला लिया है कि 2021 जनगणना के दौरान असम को छोड़कर अन्य सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के लिए इन आंकड़ों को फिर से अपडेट किया जाएगा।

क्या हैं उद्देश्य

सरकारी योजनाओं के तहत लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे और व्यक्ति की पहचान की जा सके। एनपीआर के द्वारा देश की सुरक्षा में सुधार किया जा सके और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में मदद मिल सके।

शोध

शीशम की पत्तियों से जुड़ सकती हैं हड्डियां

जनसत्ता संवाद

केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान (सीडीआरआइ), लखनऊ के वैज्ञानिकों ने शीशम (डलबर्जिया सिस्सू) की पत्तियों के अर्क पर आधारित फॉर्मूला विकसित किया है जो हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार में काफी प्रभावी है। यही नहीं इससे टूटी हड्डियों को भी जोड़ा जा सकता है।

अब तक फ्रैक्चर होने या हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर किया जाता था वहीं केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान (सीडीआरआइ), लखनऊ के शोधकर्ताओं ने शीशम के पत्तियों के अर्क से हड्डियों के जुड़ने का फॉर्मूला विकसित कर लिया है।

हाल ही में ऑस्टियोपोरोसिस जैसे हड्डी रोगों के उपचार के साथ-साथ टूटी हड्डियों को तेजी से जोड़ने में मददगार तकनीक के विकास के लिए केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान (सीडीआरआइ), लखनऊ के शोधकर्ताओं को स्टेम इंपैक्ट पुरस्कार प्रदान किया गया है।

सीडीआरआइ के वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार जैविक रूप से सक्रिय शीशम (डलबर्जिया सिस्सू) की पत्तियों के अर्क पर आधारित फॉर्मूला विकसित करने के लिए दिया गया है जो हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार में प्रभावी पाया गया है। अब तक सिंथेटिक केमिस्ट्री में कई शोधों के बावजूद टूटी हड्डियों को जोड़ने की प्रभावी दवा नहीं खोजी जा सकी है। इस लिहाज से सीडीआरआइ की यह खोज बेहद महत्त्वपूर्ण है।

इस अध्ययन से जुड़े सीडीआरआइ के शोधकर्ता डॉ राकेश मौर्य के अनुसार 'शीशम की पत्तियों में पाए जाने वाले हड्डी के गठन से संबंधित गुणों के कारण इस शोध में उसका चयन किया गया है। शीशम की पत्तियों में फ्लैवोनॉयड और ग्लाइकोसाइड पाए जाते हैं जिन्हें उनके हड्डियों के गठन से जुड़े गुणों के लिए जाना जाता है। इस शोध से स्पष्ट हुआ है कि शीशम की पत्तियों के अर्क में ऐसे जैविक रूप से सक्रिय तत्व हैं जो हड्डियों को जोड़ने और हड्डी रोगों के उपचार में उपयोगी हो सकते हैं।'

सीडीआरआइ के एक अन्य वैज्ञानिक डॉ संजीव यादव ने बताया कि 'यह एक ऐसा फॉर्मूला है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में हर्बल मेडिकामेंट कहते हैं। इस फॉर्मूले को कैप्सूल के रूप में पेश किया गया है। आमतौर पर हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर किया जाता है, जिसमें डेढ़ से दो महीने लग जाते हैं। जबकि इस फॉर्मूले के उपयोग से 14 दिन में टूटी हड्डी जुड़ सकती है। क्लिनिकल ट्रायल में इसे हड्डियों को जल्दी जोड़ने और ऑस्टियोपोरोसिस के उपचार में प्रभावी पाया गया है।'

सीडीआरआइ के वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार जैविक रूप से सक्रिय शीशम (डलबर्जिया सिस्सू) की पत्तियों के अर्क पर आधारित फॉर्मूला विकसित करने के लिए दिया गया है जो हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार में प्रभावी पाया गया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि ऑस्टियोपोरोसिस के उपचार में उपयोग होने वाले एनाबॉलिक एजेंट्स में से टेरिपैराटाइड को ही अब तक अधिक प्रभावी पाया गया है। इसलिए, नए एनाबॉलिक एजेंट विकसित करने की जरूरत है जो हड्डियों के टूटने के खतरे को कम करने और ऑस्टियोपोरोसिस के उपचार में उपयोगी हो सकते हैं। एनाबॉलिक प्रक्रिया को अंगों और ऊतकों का निर्माण करने के लिए जाना जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस के कारण बढ़ती उम्र में हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और उनके टूटने का खतरा बढ़ जाता है। महिलाओं में रजोनिवृति के बाद एस्ट्रोजन की कमी से हड्डियों के टूटने का खतरा अधिक होता है। यही कारण है कि अध्ययन के दौरान चूहों पर शीशम की पत्तियों के अर्क का परीक्षण करने से पहले उन्हें रजोनिवृत्ति जैसी स्थिति से ग्रस्त किया गया। तीन महीने तक प्रतिदिन अलग-अलग मात्राओं में इन चूहों को शीशम की पत्तियों का अर्क दिया गया। शोधकर्ताओं का कहना है कि शरीर के प्रति किलोग्राम वजन के अनुपात में 250 मिलीग्राम शीशम पत्तियों के अर्क की मात्रा के सकारात्मक असर देखे गए हैं।

वैज्ञानिकों ने अर्क के विषाक्ता का परीक्षण विभिन्न वैज्ञानिक विधियों से किया है। हड्डियों के आकार एवं उनके गठन की दर का मूल्यांकन करने पर पादप अर्क से प्रेरित हड्डियों के गठन के बारे में पता चला है, जिससे इसके एनाबॉलिक प्रभाव का पता चलता है, जो अंगों और ऊतकों के निर्माण के लिए आवश्यक है। शोधकर्ताओं का कहना है कि परीक्षण के दौरान चूहों पर एस्ट्रोजेनिक का दुष्प्रभाव नहीं देखा गया, जो शीशम की पत्तियों के अर्क के सुरक्षित ओरल मेडिकेशन को दर्शाता है।

विश्व परिक्रमा

अमेरिका ने ईरान को चेताया

रविवार, 15 दिसंबर : इराक के बगदाद अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के पास एक परिसर पर हुए दो रॉकेट हमलों के बाद अमेरिका ने शुक्रवार को ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसने अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाया तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे।

सूचकांक में कई देशों से आगे है बांग्लादेश

सोमवार, 16 दिसंबर : बांग्लादेश के सूचना मंत्री हसन महमूद ने रविवार को कहा कि जब बांग्लादेश की तुलना उस देश से होती है जिससे वह 1971 में अलग हुआ तो बांग्लादेश मानवीय, सामाजिक और आर्थिक सूचकांकों पर काफी आगे है।

जिनपिंग ने पुलिस और लैम की प्रशंसा की

मंगलवार, 17 दिसंबर : चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सोमवार को हांगकांग की नेता कैरी लैम और वहां की पुलिस की लोकतंत्र समर्थकों पर कार्रवाई के लिए प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि बेजिंग देश की संप्रभुत्ता की रक्षा के लिए कृत संकल्प है। हांगकांग में जून से बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं।

शी जिनपिंग

स्त्री-पुरुष असमानता में भारत 112वें नंबर पर

बुधवार, 18 दिसंबर : महिलाओं की स्वास्थ्य व उत्तरजीविता और आर्थिक भागीदारी क्षेत्र में स्थिति खराब होने के बीच स्त्री-पुरुष असमानता पर तैयार रिपोर्ट में भारत 112वें स्थान पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य और आर्थिक भागीदारी इन दो क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी के मामले में भारत सबसे नीचे स्थान पाने वाले पांच देशों में शामिल है।

ट्रंप ने पेलोसी से महाभियोग प्रक्रिया रोकने को कहा

गुरुवार, 19 दिसंबर : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैंसी पेलोसी को एक पत्र लिख कर उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया रोकने को कहा है। यह सुनवाई बुधवार को एक चर्चा के साथ शुरू होने वाली है।

ट्रंप के खिलाफ पास हुआ महाभियोग प्रस्ताव

शुक्रवार, 20 दिसंबर : अमेरिका के इतिहास में महाभियोग का सामना करने वाले डोनाल्ड ट्रंप तीसरे राष्ट्रपति होंगे। प्रतिनिधि सभा ने उन पर सत्ता का दुरुपयोग करने और कांग्रेस की जांच में अवरोध डालने का आरोप औपचारिक रूप से लगा दिया है। सत्ता के दुरुपयोग के आरोप के पक्ष में 230 मत और विपक्ष में 197 मत पड़े।

हाफिज सईद के खिलाफ लाहौर में सुनवाई शुरू

शनिवार, 21 दिसंबर : मुंबई आतंकी हमले के मुख्य षड़यंत्रकारी हाफिज सईद के खिलाफ बहुप्रतीक्षित सुनवाई यहां शुक्रवार को शुरू हुई और आतंकवाद निरोधक अदालत में एक गवाह ने उसके खिलाफ गवाही दी। इस अदालत ने उसे आतंकी वित्तपोषण के एक अन्य मामले में भी दोषी पाया है।

जानें-समझें

सबकी सुध लेने की चुनौती

नागरिकता कानून बनाम भारत की शरणार्थी नीति

दीपक रस्तोगी

नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता पंजी को लेकर चल रही बहस के जरिए शरणार्थियों का मुद्दा चर्चा में है। इस कानून को लेकर संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन और देश की धर्मनिरपेक्ष प्रतिबद्धता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। यह मुद्दा तसवीर का एक पहलू है। दूसरे पहलू में संयुक्त राष्ट्र के वे आंकड़े हैं, जिनमें बताया गया है कि दुनिया भर में भटकने वाले शरणार्थियों में 10 हजार भारतीय हैं और अन्य 52 हजार ऐसे हैं, जिन्होंने विभिन्न देशों में शरण के लिए आवेदन दे रखा है। भारत आने वाले शरणार्थियों में चीन, श्रीलंका और म्यांमा के लोगों की संख्या ज्यादा है। जबकि, नागरिकता संशोधन कानून में इन तीन देशों का जिक्र ही नहीं किया गया है।

शरणार्थियों के आंकड़े

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय के नवीनतम अनुमानों (2017) के अनुसार, भारत में दो लाख शरणार्थी हैं, जो इसे 25वां सबसे बड़ा मेजबान देश बनाते हैं। ये सभी तिब्बत, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार में नागरिक संघर्ष और युद्ध के शिकार होकर यहां आए हैं। संरा शरणार्थी कार्यालय की रिपोर्ट है कि भारत में 10,90,00 तिब्बती शरणार्थी, 65,700 श्रीलंकाई, 14,300 रोहिंग्या, 10,400 अफगानी, 746 सोमाली और 918 अन्य हैं। इसके अलावा संयुक्त संसदीय समिति की जनवरी 2019 में आई रिपोर्ट है, जिसमें रॉ और आइबी के हवाले से बताया गया है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए 31,313 धर्मीय शरणार्थी हैं। ये ऐसे लोग हैं, जो अपने देश में धार्मिक आधार पर प्रताड़ना का शिकार हुए और इसी आधार पर भारत ने उन्हें लंबी अवधि का वीजा दिया। इन 31,313 शरणार्थियों में 25,447 हिंदू हैं। दूसरे नंबर पर सिख हैं, जिनकी संख्या 5807 है। ईसाई 55, पारसी और बौद्ध दो-दो हैं।

हर शरणार्थी को सीधी छूट

भारत में ऐसे शरणार्थियों को शरण देने का लंबा इतिहास है, जिन्होंने कहीं और अत्याचार झेले हैं। नागरिकता संशोधन कानून का जोरदार विरोध हो रहा है, क्योंकि मुसलमानों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। देश के मौजूदा नियमों के अनुसार, पड़ोसी देशों (म्यांमार को छोड़कर) के शरणार्थी सरकार से सीधे सुरक्षा की मांग कर सकते हैं और उन्हें विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (एफआरआरओ) दस्तावेज जारी करते हैं। गैर-पड़ोसी देश और म्यांमा के शरणार्थी यूएनएचसीआर (संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त) प्रावधानों के तहत आते हैं। सरकार अभी म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों सहित सभी शरणार्थियों को यूएनएचसीआर पहचान पत्र के साथ दीर्घकालिक वीजा के लिए आवेदन करने की अनुमति देती है, और हर मामले की अलग से छानबीन के बाद वीजा जारी करती है।

राजनैतिक आश्रय याचक और शरणार्थी

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय ने राजनैतिक शरण मांगने वाले (आश्रय याचक) को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया है जो एक शरणार्थी के रूप में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की मांग करता है। कोई व्यक्ति इस आधार पर राजनैतिक शरण के लिए आवेदन कर सकता है कि यदि वह अपने मूल देश में लौटता/लौटती है तो नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता, राजनैतिक धारणा या किसी विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता के कारण उसे अपने उत्पीड़न की आशंका है। ऐसे लोगों को इन प्रावधानों के तहत शरणार्थी की मान्यता दी जा सकती है- संरा 1951 सम्मेलन, 1967 प्रोटोकॉल, 1969 में बनी अफ्रीकी एकता संस्था, संरा शरणार्थी कार्यालय के विधान के अनुसार मान्यता प्राप्त लोग, पूरक सुरक्षा या अस्थायी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति और 2007 से शरणार्थियों जैसी स्थिति में रह रहे लोग।

आश्रय याचकों के लिए भारत में कानून

भारत में दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सबसे अधिक शरणार्थी आबादी है, लेकिन यहां अभी तक आश्रय याचकों के लिए एक समान कानून नहीं बनाया जा सका है। भारत ने 1951 के शरणार्थी दर्जे के संबंध में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन समझौते पर या मेजबान राज्य द्वारा आवश्यक रूप से शरणार्थियों को अधिकार और सेवाएं देने से संबंधित प्रोटोकॉल पर अभी तक दस्तखत नहीं किए हैं। बावजूद इसके, भारत इस नियम से बंधा हुआ है, क्योंकि यह प्रावधान 1984 के यंत्रणा विरोधी संधि में शामिल है, जिसका भारत भी एक हस्ताक्षरकर्ता है।

भारत में अधिकारियों द्वारा विभिन्न कानूनों, जैसे - पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम- 1920, विदेशी कानून, 1946 इत्यादि को ध्यान में रखकर शरणार्थियों और आश्रय याचकों के प्रवेश के संबंध में विचार किया जाता है। ये कानून शरणार्थियों को अन्य विदेशियों के समतुल्य मानते हैं और इस बात का विचार नहीं करते कि मानवीय आधार पर उन्हें विशेष दर्जा मिलना चाहिए। दिसंबर 2015 में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आश्रय विधेयक, 2015 पेश किया, जो भारत के शरणार्थियों को संगठित और सुव्यवस्थित करने के लिए कानूनी ढांचे की स्थापना करेगा। यह विधेयक अभी विचाराधीन है।

क्या है जानकारों की राय

फाइल फोटो

दिल्ली के मजनूं का टीला स्थित रिफ्यूजी कॉलोनी में पाकिस्तानी शरणार्थी परिवार अपनी नवजात 'नागरिकता' के साथ

नागरिकता संशोधन कानून हमारे संविधान की मूल भावना पर ही कुठाराघात करता है। शरणार्थी बंदोबस्त पर काम करने वाले समाज विज्ञानी और विशेषज्ञ सरकार के तर्कों से सहमत नहीं।

-अधीर रंजन चौधरी, लोकसभा में कांग्रेस के नेता

नया कानून न सिर्फ भारतीय संविधान में कहे गए समानता के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, बल्कि यह संविधान की बुनियादी संरचना के रूप में प्रस्तावित धर्मनिरपेक्षता के विचार का भी हनन करता है।

-सूर्य देव, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सलाहकार

एनआरसी के चश्मे से नए कानून को देखें। असम में एनआरसी की विफलता से ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है। एनआरसी से बहिष्कृत 19 लाख लोगों में से बहुत-से वास्तविक भारतीय हैं।

-गौरव गोगोई, कांग्रेस सांसद एवं नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता

व्यक्तित्व

सेतुरमण पंचनाथन : नेशनल साइंस फाउंडेशन के निदेशक

जनसत्ता संवाद

भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक सेतुरमण पंचनाथन को अमेरिका की प्रतिष्ठित 'नेशनल साइंस फाउंडेशन' (एनएसएफ) का निदेशक चुना गया है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी मंजूरी दी। भारतीय-अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक सेतुरमण पंचनाथन एनएसएफ निदेशक फ्रांस कोडोर्वा का स्थान लेंगे, जिनका निदेशक के रूप में छह साल का कार्यकाल 2020 में समाप्त होगा।

'नेशनल साइंस फाउंडेशन' एक अमेरिकी सरकारी एजंसी है जो विज्ञान और इंजीनियरिंग के सभी गैर-चिकित्सा क्षेत्रों में मौलिक अनुसंधान और शिक्षाओं को समर्थन देती है। चिकित्सा के क्षेत्र में इसी तरह का ही एक संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (एनआइए) है। विज्ञान एवं तकनीकि नीति के लिए व्हाइट हाउस कार्यालय के निदेशक केल्विन ड्रोएगेमीयर ने कहा, 'डॉ. सेतुरमण पंचनाथन ने अनुसंधान, नवाचार, अकादमिक प्रशासन और नीतिगत अनुभव के साथ नई जिम्मेदारी संभाली है। उन्होंने राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड के सदस्य के रूप में कई उपलब्धियां और सम्मान प्राप्त किए हैं। डॉ. पंचनाथन की प्रतिबद्धता, रचनात्मकता और गहरी अंतरदृष्टि से एनएसएफ को निरंतर शोध कार्य में मदद मिलेगी।' अपनी नियुक्ति पर पंचनाथन ने कहा, 'मैं विनम्र और सम्मानित महसूस कर रहा हूं, एनएसएफ निदेशक के रूप में चुना जाना मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है।'

पंचनाथन ने 1981 में मद्रास विश्वविद्यालय से भौतिक शास्त्र में स्नातक किया। 1984 में बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान (आइआइएस) से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। फिर 1986 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद 1989 में कनाडा स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा से इलेक्ट्रिकल एंड कम्प्यूटर इंजीनियरिंग में पीएचडी की। सेतुरमण पंचानथन 1997 तक ओटावा में एक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत रहे और विश्वविद्यालय के दृश्य कम्प्यूटिंग और संचार प्रयोगशाला की स्थापना की। 1997 में ही एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी (एएसयू) में शामिल हुए और 2006 में स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेटिक्स के संस्थापक निदेशक बने। 2014 में पंचनाथन को राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड (एनएसबी) में रणनीतिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने नवाचार और उद्यमिता पर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। वह एसोसिएशन ऑफ रिसर्च ऑन पब्लिक एंड लैंड-ग्रांट यूनिवर्सिटीज के चेयरमैन और ग्लोबल फेडरेशन ऑफ कॉम्पिटीटिव काउंसिल्स के एक्सट्रीम इनोवेशन टास्कफोर्स के सह अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्हें 2018 में एरिजोना के गवर्नर डग डौसी के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्तमान में वे एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में कार्यकारी उपाध्यक्ष और मुख्य अनुसंधान एवं नवोन्मेष अधिकारी हैं। वे इसी यूनिवर्सिटी के 'सेंटर फॉर कॉग्निटिव यूबिकिटस कंप्यूटिंग' के संस्थापक निदेशक भी हैं।

'नॉन कांटेक्ट वारफेयर' से दुश्मनों पर बढ़त में मदद मिलेगी : सेना प्रमुख

नई दिल्ली, 23 दिसंबर (भाषा)।

थलसेना प्रमुख जनरल विपिन रावत ने सोमवार को कहा कि सेना को आधुनिकतम तकनीक अपनाने में आगे रहना चाहिए और भविष्य में 'नॉन कांटैक्ट वारफेयर' से दुश्मनों पर बढ़त बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने यहां एक रक्षा सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि आविष्कार के लिए अब आवश्यकता की जरूरत नहीं है और आविष्कार से तकनीक अद्यतन हो रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना को तकनीक अपनाने में अग्रणी रहना होगा। जनरल रावत ने कहा, 'भविष्य के युद्धों में 'नॉन कांटैक्ट वारफेयर' का महत्व बढ़ने जा रहा है। इसका यह मतलब नहीं है कि जमीन पर लड़ने वाले सैनिक, जो हाथों में राइफल लिए होते हैं, अब प्रासंगिक नहीं रहेंगे। उनकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी।'

'नॉन कांटैक्ट वारफेयर' में देशों के सैनिक एक-दूसरे से नहीं लड़ते हैं। यह साइबर हमले, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी तकनीक से जुड़ी लड़ाई होती है... जिसके जरिए अर्थव्यवस्था आदि को नुकसान पहुंचाया जाता है।

ज्यादा आक्रामकता से भाजपा को झारखंड में झटका

मनोज मिश्र
नई दिल्ली, 23 दिसंबर।

जिस मुख्यमंत्री रघुवर दास को भाजपा ने झारखंड विधानसभा चुनाव में फ्री हैंड दे दिया था, वे अपनी परंपरागत जमशेदपुर (पूर्व) सीट नहीं बचा पाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरह पांच साल मुख्यमंत्री रहे रघुवर दास को पार्टी नेतृत्व ने दूसरे दलों के नेताओं को पार्टी में लाने और उन्हें टिकट देने की जिम्मेदारी दी थी। इसी चक्कर में झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवारों की सूची आते ही पार्टी के 18 बड़े नेता पार्टी टिकट न मिलने पर दूसरे दल में शामिल होकर उम्मीदवार बन गए हैं। इनमें जिन विधायकों के टिकट कटे, उनमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी, शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम और पांच बार के विधायक राधाकृष्ण किशोर, दिग्गज नेता सरजू राय (जमशेदपुर पश्चिम), पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रवीन्द्र राय (धनवार) शामिल हैं। सरजू राय ने बगावत करके मुख्यमंत्री के खिलाफ ही चुनाव लड़कर उन्हें पराजित कर दिया। भाजपा नेतृत्व चाहे इसे स्थानीय सरकार के खिलाफ जनादेश बताए लेकिन वास्तव में अतिविश्वास में भाजपा ने साल भर में अपने शासन वाले पांच राज्य गवां दिए। हरियाणा में भी जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने में कामयाब हुए।

माना जा रहा है कि झारखंड की हार के अंदेशे के चलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दर्जन भर सभाएं इस छोटे राज्य में हुईं और जो सीटें आईं, उसमें बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री आदि आला नेताओं की चुनावी सभाओं की थी। प्रधानमंत्री के अलावा भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, ज्यादातर केंद्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भोजपुरी कलाकार व भाजपा नेता मनोज तिवारी, रविकिशन, निरहुआ से लेकर सपना चौधरी तक चुनाव प्रचार में लगे। इस चुनाव के चलते इस बार संसद का शीतकालीन सत्र उपेक्षित रहा।

चुनाव के नतीजों से साफ हो गया कि भाजपा को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक पंजी(एनआरसी) के चलते भी एक वर्ग का समर्थन नहीं मिला। बिहार से लगे झारखंड के संथाल परगना के इलाकों में भाजपा को ज्यादा सफलता मिली लेकिन छोटानागपुर के खांटी आदिवासी इलाकों में उसे ज्यादा सफलता नहीं मिली। शहरों में भाजपा जीती है लेकिन छोटे शहरें में पराजित हुई है। आदिवासी इलाकों में विपक्षी दलों ने सीएए के बहाने एनआरसी को मुद्दा बनाया, वह कारगर हुआ झारखंड तो भाजपा का शुरू से ही मजबूत प्रदेश रहा है और लगातार कुछ अपवादों के अलावा भाजपा की सरकार की ही सरकार बनती रही है। आदिवासी बहुल राज्य होने के चलते वहां आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने की परंपरा रही है। 2014 में भाजपा ने पहली बार गैर आदिवासी और मूल रूप भाजपा परिवार से न आने वाले रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाया। वे 1995 से भाजपा के गढ़ माने जाने वाले जमशेदपुर (पूर्व) से विधायक थे। उन्हें जनसंघ (भाजपा की पहले की पार्टी) के दिग्गज दीना नाथ पांडेय के स्थान पर उम्मीदवार बनाया गया था। पिछले चुनाव में भाजपा को 81 सदस्यों वाले विधानसभा में 37 सीटें मिली थीं। भाजपा ने आल झारखंड स्टूडेंट यूनियन (आजसू) के पांच सदस्यों के साथ सरकार बनाई और बाद में बाबूलाल मरांडी के छह विधायकों को भाजपा में शामिल कराकर पूर्ण बहुमत की सरकार पांच साल चलाई। शायद इसी से प्रसन्न होकर भाजपा नेतृत्व ने उन्हें फिर से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया और टिकट बांटने की आजादी दे दी।

पहले तो आजसू और लोजपा आदि भाजपा के सहयोगी दलों ने बगावत की। लोजपा झारखंड में ज्यादा प्रभावी नहीं है लेकिन आजसू की नाराजगी उसे मंहगी पड़ी। आजसू की सीटें भी घटी हैं लेकिन भाजपा की सीटें तो हर इलाके में कम हुई है। भाजपा में ज्यादा नाराजगी उन बाहरी लोगों को टिकट देने से है जिनमें कई दागदार थे, उनमें से ज्यादातर पराजित हुए हैं। रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाए रखने के साथ-साथ टिकट बंटने में पूरी आजादी देने से आदिवासी राजनीति करने वाले नेताओं ने तो उनके खिलाफ माहौल बनाया ही, पार्टी के अनेक दिग्गज एकजुट होकर उनका विरोध करने लगे। पार्टी के आला नेताओं ने चुनाव प्रचार में हालात संभालने का प्रयास किया लेकिन तब तक हालात काफी बिगड़ चुके थे। पिछले बार की 37 सीटों के मुकाबले इस बार भाजपा को कम सीटें मिली हैं। वहीं कमजोर विपक्ष भी इस बार बहुमत से सरकार बना रहा है। गुरु जी के नाम से मशहूर शिबू सोरेन बिहार से अलग होने के बाद से झारखंड के सबसे असरदार नेता थे। अब पार्टी उनके पुत्र हेमंत सोरेन के पास है।

एनआरसी पर मोदी की टिप्पणियों से हैरान हूं : पवार

मुंबई, 23 दिसंबर (भाषा)।

राकांपा प्रमुख शरद पवार ने सोमवार को कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस टिप्पणी कि उनकी सरकार ने राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के मुद्दे पर कभी चर्चा नहीं की है, को लेकर हतप्रभ हैं।

पवार ने कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के दोनों सदनों में अपने संयुक्त संबोधन में देशभर में एनआरसी लागू करने की सरकार की योजना के बारे में बात की थी। उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में इस संबंध में टिप्पणी भी की थी। मोदी ने रविवार को स्पष्ट किया था कि राष्ट्रव्यापी एनआरसी के विवादास्पद मुद्दे पर उनकी सरकार ने मंत्रिमंडल या संसद में चर्चा नहीं की है। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनआरसी की कवायद अब तक केवल असम में ही चलाई गई है। पवार ने कहा कि वे मोदी की टिप्पणियों से हैरान हैं। उन्होंने कहा, 'जब एक बड़ी नीति लाई जाती है, तो सरकार के स्तर पर एक चर्चा होती है। इस तरह की नीति उसके बिना देश के सामने नहीं आएगी।'

देश बचाने के लिए एकजुट हों : ममता

कोलकाता, 23 दिसंबर (भाषा)।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार से भारत में लोकतंत्र खतरे में है।

बनर्जी ने विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं को पत्र लिखकर उनसे एकजुट रहने और 'देश बचाने' के लिए योजना बनाने का अनुरोध किया। उन्होंने संशोधित नागरिकता कानून और प्रस्तावित एनआरसी के खिलाफ देश में प्रदर्शनों के बाद उपजी मौजूदा स्थिति को 'गंभीर' बताया और सभी गैर-भाजपा दलों से एक साथ आने और केन्द्र सरकार के 'दमनकारी शासन' के खिलाफ खड़े होने का आग्रह किया।

सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि पत्र कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राकांपा प्रमुख शरद पवार, नेशनल कांफ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला समेत आदि के पास भेजे गए हैं। बनर्जी ने पत्र में कहा, 'आज, मैं अपने मन में गंभीर चिंताओं के साथ आपको यह पत्र लिख रही हूं। इस देश के नागरिक जाति और पंथ की परवाह किए बिना, विशेषकर महिला और बच्चे, किसान, श्रमिक और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के सदस्य संशोधित नागरिकता कानून और प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी एनआरसी को लेकर भय और दहशत की चपेट में हैं। स्थिति बहुत गंभीर है।' उन्होंने कहा, 'आज, पहले से कहीं ज्यादा, हमें एकजुट तरीके से इस दमनकारी शासन के खिलाफ खड़े होने की जरूरत हैं। मैं ईमानदारी से अपने सभी वरिष्ठ नेताओं और सभी राजनीतिक संगठनों से अनुरोध करती हूं कि वे इसके खिलाफ एकजुट तरीके से खड़े हों। आइए हम केंद्र द्वारा इन नापाक प्रयासों के खिलाफ शांतिपूर्ण और सार्थक विरोध करें और भारतीय लोकतांत्रिक की आत्मा को बचाएं।'

झारखंड में जीत से खिले कांग्रेसी, जमकर आतिशबाजी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 दिसंबर।

झारखंड की सत्ता में वापसी की खबर से कांग्रेस में जश्न का माहौल है। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) और राजद के साथ गठजोड़ कर सूबे की सत्ता से भाजपा को सत्ता से बेदखल करने में कामयाब रही कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि झारखंड का जनादेश भाजपा की खराब आर्थिक नीति, तानाशाही और असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की नीति के खिलाफ है।

झारखंड विधानसभा चुनाव के रुझानों में कांग्रेस-झामुमो-राजद गठबंधन को बहुमत मिलने के स्पष्ट संकेत के बाद सोमवार को कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी और नारेबाजी की और लड्डू बांटे। झारखंड के चुनाव परिणाम को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस-झामुमो-राजद गठबंधन की जीत के स्पष्ट संकेतों पर खुशी जताते हुए दावा किया कि आने वाले चुनावों में भी भाजपा की हार होगी क्योंकि उसने सिर्फ बांटने और असल मुद्दों से ध्यान हटाने की राजनीति की है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि जिस तरह से महाराष्ट्र और हरियाणा के लोगों ने भाजपा को सबक सिखाया है, झारखंड की जनता भी उसी रास्ते पर गई है। मुझे विश्वास है कि परिणाम कांग्रेस के गठबंधन के पक्ष में होगा।

आजाद ने दावा किया कि आने वाले समय में जो भी चुनाव होंगे, उनके नतीजे भाजपा के खिलाफ होंगे। इसकी वजह है। पिछले छह वर्षों में भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री ने खुद देश के लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया है और विवादित मुद्दों के जरिए लोगों का ध्यान असल मुद्दों से हटा दिया है। जितने भी वादे उन्होंने किए थे, वो पूरे नहीं किए।

छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि यह चुनाव परिणाम इस बात का प्रमाण है कि भाजपा की सरकार ने झारखंड के लोगों के उम्मीदों के अनुरूप काम नहीं किया। लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है, रोजगार की दिक्कतें हैं लेकिन इनको दूर करने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। पूर्व सांसद व महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव ने कहा कि यह बात भाजपा के तमाम नेताओं को समझनी होगी कि इस देश में संविधान से ऊपर कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि देश तानाशाही रवैए से नहीं चलेगा, संविधान द्वारा बताए रास्ते से ही चलेगा। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता ने भाजपा को यह संदेश साफ रूप से दे दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव प्रणव झा ने झारखंड के नतीजों को लेकर कहा कि यह तय था क्योंकि भाजपा सरकार ने झारखंड और वहां की जनता के साथ अन्याय किया था। आदिवासियों की जमीन छीन ली गई। लोगों ने इस सरकार को हटाने का मन बना लिया था।

झारखंड की हार से 2017 के मुकाबले आधी रह गई भाजपा की हिस्सेदारी

नई दिल्ली, 23 दिसंबर (भाषा)।

भाजपा के हाथ से निकलते राज्यों में झारखंड के भी शामिल होने के बाद केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी की हिस्सेदारी अब देश के मात्र 35 फीसद हिस्से पर रह गई है जबकि 2017 में पूरी हिंदी भाषी पट्टी पर शासन के साथ 71 फीसद हिस्से पर उसका नियंत्रण था। अप्रैल-मई में हुए लोकसभा चुनावों में बड़ी जीत के बावजूद कई राज्यों में भाजपा की हार से पार्टी के बड़े नेता आगामी विधानसभाओं चुनावों के लिए अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने को मजबूर हो सकते हैं। आने वाले समय में दिल्ली और बिहार में चुनाव होने हैं। आंकड़ों का विश्लेषण बताता है कि जिन राज्यों में भाजपा की उसके अपने दम पर या सहयोगियों के साथ सरकार है, वहां आबादी करीब 43 फीसद है जबकि दो साल पहले 69 फीसदी से अधिक आबादी वाले राज्यों में भाजपा की सरकार थी। पार्टी के लिए यह चिंता की बात है कि 2018 से राज्यों के चुनाव में उसका ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। वह इस अवधि में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सत्ता खो चुकी है। लोकसभा चुनाव में उसकी जबरदस्त जीत भी राज्यों में लाभ दिलाने में कामयाब नहीं रही।

राजनीतिक जानकारों की मानें तो भाजपा को विधानसभा चुनावों में रणनीति बदलनी होगी। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में विपक्षी दलों ने पिछली बार के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन किया। भाजपा दोनों ही राज्यों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर तो उभरी लेकिन पहले की तुलना में उसे कई सीटें गंवानी पड़ीं। पार्टी ने हरियाणा में जननायक जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाकर सरकार बना ली लेकिन महाराष्ट्र में प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस-राकांपा के सामने भाजपा का सपना टूट गया जिसने उसकी पुरानी सहयोगी शिवसेना के साथ हाथ मिलाकर सरकार बना ली। झारखंड की स्थापना के बाद से पहली बार भाजपा सबसे बड़ी पार्टी भी नहीं बन पाई है। इससे पहले वह हमेशा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है।

'भारतीयों के स्विस बैंक खातों का ब्योरा नहीं दे सकते'

पेज 1 का बाकी

पाबंदी लगाता है जिससे भारत की संप्रभुता और एकता, सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, अन्य देशों से संबंध प्रभावित होते हैं। दूसरे प्रावधान के तहत भरोसे के तहत अन्य देशों से प्राप्त सूचना के खुलासे से छूट है।

आरटीआइ के तहत मंत्रालय से स्विट्जरलैंड से वहां के बैंकों में भारतीय खातों के बारे में मिली जानकारी के संदर्भ में ब्योरा मांगा गया था। मंत्रालय से दूसरे देशों से उसे काले धन के बारे में मिली सूचना के बारे में भी जानकारी मांगी गई थी। भारत को सूचना के स्वतः आदान-प्रदान के समझौते के तहत सितंबर में स्विट्जरलैंड से स्विस बैंक खाते का ब्योरा मिला था। भारत उन 75 देशों में शामिल है जिसके साथ स्विट्जरलैंड के 'संघीय कर प्रशासन' (एफटीए) ने सूचना के स्वतः आदान-प्रदान पर वैश्विक मानकों की रूपरेखा के तहत वित्तीय खातों के बारे में सूचना का आदान-प्रदान किया है।

यह मेरी हार है, पार्टी की नहीं : रघुवर दास

पेज 1 का बाकी

की 81 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में 65 से ज्यादा सीटें जीतने के लक्ष्य पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, 'भाजपा हमेशा बड़ा लक्ष्य लेकर चलती है। पार्टी हार के कारणों का विश्लेषण करेगी।' पार्टी की करारी शिकस्त के साथ रघुवर दास अपनी जमशेदपुर पूर्वी सीट भी नहीं बचा पाए। झारखंड में अब तक संयोग रहा है कि कोई भी मुख्यमंत्री अपनी सीट नहीं बचा सका। बीते 19 साल में यह राज्य अब तक छह मुख्यमंत्री देख चुका है। जमशेदपुर पूर्वी सीट से भाजपा के बागी नेता सरयू राय ने मुख्यमंत्री रघुबर दास को हरा दिया। हालांकि, रघुवर दास झारखंड के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने, जिन्होंने अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा किया है।

वर्ष 2000 में झारखंड नया राज्य बना था। तब भाजपा ने राज्य की पहली सरकार बनाई थी और बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बने थे। अगले चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद मुख्यमंत्री बने अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा और हेमंत सोरेन भी बाद में अपनी सीट बचाने में सफल नहीं हुए। हेमंत सोरेन 2014 के विधानसभा चुनाव में दुमका में हार के बावजूद बरहेट सीट बचा ले गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर उनकी वापसी नहीं हुई थी। झारखंड 19 साल में छह मुख्यमंत्री देख चुका है। 28 अगस्त 2008 को मधु कोड़ा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन ने कुर्सी संभाली। उस वक्त वह विधायक नहीं थे। तमाड़ सीट के उपचुनाव में वह हार गए और सोरेन को पद छोड़ना पड़ा था।

2014 विधानसभा चुनाव की बात करें तो राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी धनवार और गिरिडीह दो सीटों से चुनाव लड़े, लेकिन दोनों जगह हार गए। उस चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी चाइबासा की मझगांव सीट से हार गए। अर्जुन मुंडा भी 2014 में खरसावां सीट पर हार गए थे।

इस सप्ताहांत उत्तर भारत में रहेगा जमा देने वाली शीत लहर का प्रकोप

नई दिल्ली, 23 दिसंबर (भाषा)।

कंपकंपा देने वाली सर्दी से जूझ रहे उत्तर भारत में लोगों को इस सप्ताह के आखिरी दो दिनों में और भी भीषण सर्दी का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। जलजमाव के स्तर तक पहुंचा देने वाली कड़ाके की सर्दी, क्रिसमस और नए साल के इस दौर में खलल डाल सकती है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों और उत्तरी राजस्थान में 28 और 29 दिसंबर को पारा चार डिग्री सेल्सियस तक गिरने का पूर्वानुमान व्यक्त करते हुए इन दो दिनों में शीत लहर (कोल्ड वेव) चलने की संभावना जताई है। बताते चलें कि सर्दी के इस मौसम में मानकों के मुताबिक शीत लहर की स्थिति पहली बार उत्पन्न होगी।

मौसम विभाग की उत्तर क्षेत्रीय पूर्वानुमान इकाई के प्रमुख वैज्ञानिक डा. कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि उत्तर के मैदानी इलाकों में आगामी शनिवार और रविवार को शीत लहर की स्थिति देखने को मिलेगी। उन्होंने बताया कि इन इलाकों में सप्ताहांत के दौरान न्यूनतम तापमान चार डिग्री और अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है।

डा. श्रीवास्तव ने कहा कि हिमालय क्षेत्र में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इस सप्ताह भी बर्फबारी बरकरार रह सकती है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत के उत्तरी इलाकों की ओर आने वाली ठंडी हवाएं, सर्दी में इजाफा कर रही है। इसकी वजह से मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब सहित समूचे उत्तर और उत्तर पश्चिमी इलाकों में 28 दिसंबर से रात के तापमान में दो से चार डिग्री तक की गिरावट आने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि पिछले एक सप्ताह से शीत दिवस (कोल्ड डे) की स्थिति बरकरार है। मौसम के मानकों के अनुसार कोल्ड डे में दिन के तापमान में गिरावट और रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी होती है लेकिन कोल्ड वेव के दौरान दिन और रात, दोनों समय तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है और यह जलजमाव के स्तर (न्यूनतम तापमान चार डिग्री सेल्सियस) तक पहुंच जाती है।

बंगाल सरकार को सीएए अभियानों पर रोक का निर्देश

पेज 1 का बाकी

के उस दावे पर भी विस्तृत जवाब मांगा कि सार्वजनिक पैसों के इस्तेमाल से सीएए के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है।

पीठ मामले में अगली सुनवाई नौ जनवरी को करेगी। अदालत मीडिया के विभिन्न रूपों में सीएए के खिलाफ राज्य के अभियान, कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने जैसे मुद्दों पर सुनवाई कर रही है। महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने अदालत में तर्क दिया कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है और इंटरनेट सेवाओं पर लगी रोक हटा ली गई है।

पीठ ने रेलवे को भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचने से रोकने के लिए उठाए गए कदमों और हिंसक प्रदर्शनों के दौरान हुए नुकसान की कीमत के बारे में विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है।

नए अध्याय की शुरुआत : हेमंत सोरेन

पेज 1 का बाकी

गांधी, प्रियंका गांधी और लालू यादव का धन्यवाद व्यक्त किया और कहा कि आज के परिणाम सभी के परिश्रम का परिणाम हैं। उन्होंने कहा, 'अभी हम गठबंधन के सभी सदस्यों के साथ बैठेंगे और सरकार बनाने के लिए व शासन के लिए रणनीति तैयार करेंगे।'

हेमंत सोरेन दुमका और बरहेट दोनों सीटों से चुनाव जीते हैं। हेमंत सोरेन ही चुनावों में गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्र पद का चेहरा थे और यह बात राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी कही थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कांग्रेस से शिवसेना में शामिल हुईं प्रियंका चतुर्वेदी समेत कई ने उन्हें बधाई दी।

मवेशी चोरी के संदेह में हत्या

अगरतला, 23 दिसंबर (भाषा)।

त्रिपुरा के सिपाहिजला जिले में मवेशी चोरी के संदेह में भीड़ ने एक व्यक्ति (29) की बुरी तरह पिटाई की, जिसके बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। सोनमूरा के उपसंभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) सौविक डे ने बताया कि भारत-बांग्लादेश सीमा के पास सोनमूरा के गोरुरबंद इलाके में रविवार को सुबह मतीन मिया को दो गायों के साथ पकड़ा गया था। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के एक समूह ने उसे दो गायों के साथ पकड़ा और शोर मचाया, जिसके बाद अन्य ग्रामीणों ने उनके साथ मिलकर उसे बुरी तरह पीटा। अधिकारी ने बताया कि उसे मेलाघर अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी मौत हो गई। डे ने बताया कि मतीन के पिता शफीक मिया ने दो लोगों के खिलाफ सोनमूरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है जिसमें उसके बेटे की हत्या का आरोप लगाया गया है।

पुलिस ने इसके आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की है। उन्होंने बताया कि तपन भौमिक नामक एक व्यक्ति ने उनके घर से मवेशी चोरी का आरोप लगाते हुए एक प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसके आधार पर भी एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच चल रही हैं और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह को श्रद्धांजलि दी

नई दिल्ली, 23 दिसंबर (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री एवं किसान नेता चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और वंचितों को सशक्त बनाने में उनके योगदान को याद किया।

चौधरी चरण सिंह का जन्म 1902 में उत्तर प्रदेश के हापुड़ में हुआ था। वे जुलाई 1979 से जनवरी 1980 तक देश के प्रधानमंत्री थे।

मोदी ने ट्वीट किया, 'बात जब मेहनती किसानों के अधिकारों की रक्षा की आती थी तो उनका निश्चय दृढ़ था। चौधरी चरण सिंह जी ने वंचितों को सशक्त बनाने के लिए अथक परिश्रम किया।'

निर्दलीय चुनाव लड़ा, निर्दलीय रहूंगा : सरयू राय

पेज 1 का बाकी

हैं। सरयू राय चुनाव प्रचार के दौरान भी लगातार दोहराते रहे, 'तीन को जेल भिजवाया अब चौथे की बारी है।' बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, जगन्नाथ मिश्र और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के खिलाफ दस्तावेज सरयू राय ने ही सार्वजनिक किए थे। झारखंड में वर्ष 2005-06 में ही सरयू राय और रघुवर दास के बीच खटास शुरू हो गई थी। 2005 में रघुवर दास नगर विकास मंत्री थे। रांची में जल निकासी के काम के लिए सिंगापुर की कंपनी मेनहार्ट को ठेका दिया गया। मामला विधानसभा में सरयू राय की समिति के सामने आया। सरयू राय ने जांच की और कंपनी की नियुक्ति को गलत पाया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट अर्जुन मुंडा सरकार और विधानसभा को दी। भाजपा संगठन को भी उसकी एक प्रति भेजी थी। तब से दोनों के बीच खींचतान चलती रही। 2014 में राज्य में भाजपा सरकार में दोनों की तनातनी सड़कों पर आ गई। टिकट मिलने में आनाकानी के बाद सरयू राय ने निर्दलीय चुनाव लड़ा।

उन्होंने कहा, 'भाजपा नेतृत्व ने मेरे स्वाभिमान को चोट पहुंचाई और उसी से आहत होकर मैंने मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने का मन बनाया।'

झामुमो-कांग्रेस-राजद गठबंधन को झारखंड में मिला बहुमत

पेज 1 का बाकी

मुख्यमंत्री बने रहेंगे। झारखंड विधानसभा के लिए 30 नवंबर से 20 दिसंबर तक पांच चरणों में चुनाव कराए गए थे। इसमें भाजपा ने कम से कम 65 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था और 'अबकी बार 65 पार' का नारा दिया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। पार्टी को 30 सीटें मिली हैं। विधानसभा में भी वह सबसे बड़े दल के रूप में उभरा है।

महागठबंधन में झामुमो को 30 सीटें, कांग्रेस को 16 सीटें और राजद को एक सीट पर जीत मिली है। अन्य दलों में भाजपा की सहयोगी रही ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (आजसू) को सिर्फ दो सीटें मिली हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की झारखंड विकास मोर्चा को भी सिर्फ तीन सीटें मिली हैं। अन्य दलों में भाकपा (माले लिबरेशन) एक, राष्ट्रवादी कांग्रेस एक और दो पर निर्दलीय जीते हैं। इसमें एक सीट जमशेदपुर पूर्व की है, जहां मुख्यमंत्री रघुवर दास को उनके पूर्व सहयोगी सरयू राय ने हराया है।

इस वर्ष मई में आए लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद भाजपा की किसी राज्य विधानसभा चुनाव में यह पहली स्पष्ट हार है। नतीजों में खास बात यह भी रही कि जहां महागठबंधन करके कांग्रेस-झामुमो और राजद ने अपने वोट जोड़ने में सफलता हासिल की, वहीं वर्ष 2014 के विधानसभा और हाल के लोकसभा चुनावों में गठबंधन सहयोगी रहे भाजपा और आजसू अलग होकर घाटे में रहे। पिछले विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 37 सीटें जीती थीं। उसे 12 सीटों का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद कहा कि आजसू से गठबंधन न होना नुकसान कर गया।

आजसू ने पिछली विधानसभा में सिर्फ आठ सीटें लड़कर पांच जीती थी। इस बार उसे 53 सीटें लड़कर महज दो पर जीत मिली है। आजसू के अलग होकर लड़ने से सत्तारूढ़ गठबंधन को कम से कम 12 विधानसभा सीटों का नुकसान हुआ है। वोटों की गिनती में देखा गया कि इन सीटों पर दोनों पार्टियों के मत जोड़ देने से उनके उम्मीदवार की जीत तय थी।

राज्य में मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत चार मंत्री चुनाव हारे हैं। खाद्य आपूर्ति मंत्री रहे सरयू राय ने टिकट नहीं मिलने पर बगावत की और निर्दलीय चुनाव लड़ा। उन्होंने जमशेदपुर पूर्व सीट से मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराया। इस सीट से दास को 2014 में 70 हजार से ज्यादा के अंतर से जीत मिली थी। दुमका में हेमंत सोरेन ने रघुवर सरकार की मंत्री डॉ लुईस मरांडी को हराया है। कोडरमा में राष्ट्रीय जनता दल के अमिताभ कुमार शिक्षा मंत्री डॉ नीरा यादव से हार गए हैं। श्रम मंत्री राज पलिवार मधुपुर विधानसभा सीट पर झामुमो के हाजी हुसैन अंसारी से हारे हैं। जल संसाधन मंत्री और आजसू नेता राम चंद्र सहिस को पूर्वी सिंहभूम के जुगसलाई सीट से झामुमो के मंगल कालिंदी ने हराया है। दूसरे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के मुचीराम बाउरी रहे। रामचंद्र सहिस 10 साल तक यहां के विधायक रहे। दूसरी ओर, रांची के विधायक और नगर विकास एवं आवास मंत्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह अपनी निकटतम प्रतिलंली झामुमो की महुआ माजी से जीत गए हैं। देवघर जिला के सारठ विधानसभा सीट से कृषि मंत्री रणधीर कुमार सिंह जीते हैं। दूसरे स्थान पर झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक (जेवीएम पी) के उदय शंकर सिंह रहे। खेल मंत्री अमर कुमार बाउरी और ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा भी अपनी सीटें बचाने में कामयाब रहे। चंदनकियारी से अमर कुमार बाउरी ने आजसू के उमाकांत रजक को हराया। नीलकंठ सिंह मुंडा खूंटी विधानसभा सीट पर झामुमो के सुशील पाहन से जीत गए।

मुख्य आरोपी समेत दो गिरफ्तार

पेज 1 का बाकी

के इंदिरा नगर का रहने वाला है जबकि नदीम और अशफाक बाराबंकी जिले के निवासी हैं।

नैथानी ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 26 तख्ती, 29 झंडे, 100 पर्चे और 36 पेपर कटिंग बरामद की गई हैं जिनमें सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। इसके अलावा उनके कब्जे से अयोध्या विवाद, आतंकवाद समेत कई संदेहास्पद विषयों पर साहित्य भी बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि सीएए के खिलाफ प्रदर्शनों के विभिन्न मामलों में अब तक 39 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इनमें से छह मुकदमे 19 तारीख को राजधानी में हुए उपद्रव से पहले के हैं।

दिल्ली के किराड़ी इलाके में लगी आग, नौ की मौत

पेज 1 का बाकी

लोगों को अग्निकांड में बचा लिया गया उनकी पहचान पूजा (24) और उसकी बेटियों आराध्या (तीन) और सौम्या (10) के रूप में की गई है। आग से बचने के लिए ये तीनों बगल की इमारत में कूद गए थे। पूजा अमरनाथ झा की पत्नी हैं। घटना के समय अमरनाथ झा हरिद्वार में था। अमरनाथ झा रामचंद्र झा का बेटा है। रामचंद्र झा की मौत इस अग्निकांड में हो गई।

शुरुआती जांच में दिल्ली अग्निशमन विभाग को इमारत में कोई अग्नि सुरक्षा उपकरण नहीं मिला।

www.readwhere.com

खबर कोना

बेजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपुल में सोमवार को हाथ मिलाते जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग।

तालिबान के हमले में एक अमेरिकी सैनिक की मौत

काबुल, 23 दिसंबर (एएफपी)।

तालिबान ने अमेरिकी काफिले पर हुए हमले की जिम्मेदारी सोमवार को ली। इस हमले में एक अमेरिकी जवान की मौत हो गई और कई घायल हो गए। अमेरिका और तालिबान के बीच जारी बातचीत पर इस घटना का गंभीर असर पड़ सकता है। इससे पहले, सितंबर में काबुल में तालिबान के हमले में एक अमेरिकी सैनिक की मौत हो गई थी जिसके बाद इस मामले पर बातचीत थम गई थी। इसके बाद दोहा में बातचीत शुरू हुई लेकिन इस महीने की शुरुआत में काबुल के उत्तर में बगराम हवाईअड्डे पर बम हमले की घटना के बाद फिर थम गई। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने कहा कि उसके हमलावरों ने देर रात कुंदुज के चार दरा जिले में अमेरिकी वाहन को उड़ा दिया।

जयशंकर ने हसन रूहानी से मुलाकात की

तेहरान, 23 दिसंबर (भाषा)।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी से मुलाकात की और उन्हें संयुक्त आयोग की बैठक के नतीजों व द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति से अवगत कराया। एक दिन पहले दोनों देश रणनीतिक महत्त्व के चाबहार बंदरगाह पर कार्य में तेजी लाने के लिए सहमत हुए थे। जयशंकर दो दिवसीय यात्रा पर ईरान में हैं। उन्होंने ईरानी समकक्ष जवाद जरीफ के साथ रविवार को 19वें संयुक्त आयोग बैठक की सह-अध्यक्षता की।

समुद्री डाकुओं की कैद से 18 भारतीय छुड़ाए

नाइजीरिया के समुद्री तट के पास से हुए थे अपहृत

नई दिल्ली, 23 दिसंबर (भाषा)।

नाइजीरिया के समुद्री तट के पास वाणिज्यिक पोत से समुद्री डाकुओं द्वारा तीन दिसंबर को अपहृत किए गए 18 भारतीयों को छुड़ा लिया गया है। नाइजीरिया में भारतीय मिशन ने रविवार को यह जानकारी दी।

समुद्री डाकुओं के समूह ने बोन्नी द्वीप के पास हांगकांग के झंडे वाले पोत से भारतीय नागरिकों का अपहरण कर लिया था। नाइजीरिया में भारतीय मिशन ने ट्वीट किया, 'नाइजीरियाई नौसेना और पोत परिवहन कंपनी ने तीन दिसंबर को एमटी नेव कॉन्स्टेलेशन से बंधक बनाए गए 18 भारतीय नागरिकों को छुड़ाए जाने की पुष्टि की है।' उन्हें सुरक्षित छुड़ाने में योगदान देने वालों का शुक्रिया।' मिशन ने भारतीयों के अपहरण का मामला नाइजीरियाई सरकार के सामने उठाया था। क्षेत्र में समुद्री गतिविधियों पर नजर रखने वाली वैश्विक एजंसी 'एआरएक्स मैरीटाइम' के अनुसार पोत पर समुद्री डाकुओं ने तीन दिसंबर को कब्जा कर लिया था।

नाइजीरिया में भारतीय मिशन ने ट्वीट किया, 'नाइजीरियाई नौसेना और पोत परिवहन कंपनी ने तीन दिसंबर को एमटी नेव कॉन्स्टेलेशन से बंधक बनाए गए 18 भारतीय नागरिकों को छुड़ाए जाने की पुष्टि की है।

खशोगी की हत्या के मामले में पांच लोगों को मृत्युदंड

रियाद, 23 दिसंबर (एएफपी)।

सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के मामले में पांच लोगों को मृत्युदंड सुनाया गया है, लेकिन इस संबंध में आरोपी दो जानी–मानी हस्तियों को दोषमुक्त करार दिया गया है।

'वाशिंगटन पोस्ट' के स्तंभकार खशोगी की पिछले वर्ष अक्तूबर में हत्या कर दी गई थी जिसके बारे में रियाद ने कहा था कि कुछ 'बदमाश तत्त्वों' ने अभियान के तहत उनकी हत्या कर दी थी। इसके बाद सऊदी अरब कूटनीतिक संकट में फंस गया था और युवराज मोहम्मद बिन सलमान की छवि खराब हुई। तुर्की के अधिकारियों के मुताबिक इंस्ताबुल में सऊदी अरब के वाणिज्य दूतावास के अंदर 59 वर्षीय पत्रकार की 15 लोगों के एक दल ने हत्या की और उनके शव को टुकड़ों में काट डाला। सऊदी अरब के उप लोक अभियोजक शालान अल- शालान ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'हमने पाया कि खशोगी की हत्या सोच-समझकर नहीं की गई।' अभियोजक ने बयान में कहा, 'अदालत ने हत्या में प्रत्यक्ष रूप से शामिल पांच लोगों को मृत्युदंड सुनाया।' सऊदी अभियोजकों ने कहा था कि खुफिया विभाग के उप प्रमुख अहमद अल असिरी की देखरेख में इस्तांबुल के वाणिज्य दूतावास में अक्तूबर, 2018 में 'वाशिंगटन पोस्ट' के स्तंभकार की हत्या की गई और उन्हें रॉयल कोर्ट के शीर्ष मीडिया अधिकारी सऊद अल-कहतानी ने सलाह दी थी। कहतानी की जांच हुई लेकिन साक्ष्यों के अभाव में वह दोषी नहीं पाए गए। असिरी की भी जांच हुई और वह आरोपित भी हुए, लेकिन इसी आधार पर उन्हें भी बरी कर दिया गया। पश्चिमी सूत्रों के मुताबिक दोनों सहयोगी शहजादे मोहम्मद के करीबी थे और हत्या को लेकर उन्हें औपचारिक रूप से बर्खास्त कर दिया गया था लेकिन अदालत की सुनवाई में केवल असिरी पेश हुए।

पुराने पासपोर्ट नहीं लाने के कारण जेएफके हवाईअड्डे पर फंसे 16 भारतीय-अमेरिकी

वाशिंगटन, 23 दिसंबर (भाषा)।

अमेरिका से नई दिल्ली आ रहे वैध ओसीआइ कार्ड धारक कम से कम 16 भारतीय-अमेरिकियों को रविवार को जॉन एफ केनेडी हवाईअड्डे पर कुछ समय के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा। अधिकारियों ने बताया कि पुराने रद्द पासपोर्ट साथ लेकर नहीं चलने के कारण एअर इंडिया उनके बोर्डिंग पास नहीं बना रहा था। नए अस्थायी नियमों के मुताबिक इन यात्रियों को अपने साथ पुराने रद्द पासपोर्ट रखने थे जिसका नंबर उनके भारतीय विदेशी नागरिक (ओसीआइ) कार्ड पर अंकित था। इन यात्रियों को इस नए नियम की जानकारी नहीं थी।

इस महीने की शुरुआत में इस प्रावधान से 30 जून, 2020 तक छूट दी गई थी लेकिन उक्त ओसीआइ कार्डधारकों को भारत जाने के लिए उनका पुराना पासपोर्ट साथ लाने को क–हा गया था। हालांकि अधिकारियों ने बताया कि इन नए नियमों के बारे में ज्यादातर ओसीआइ कार्डधारकों को नहीं पता है। इन सभी भारतीय-अमेरिकियों के पास वैध ओसीआइ कार्ड था लेकिन उनके पास उनके पुराने पासपोर्ट नहीं थे।

जेएफके हवाईअड्डे पर एअर इंडिया का काउंटर बंद होने में आधे घंटे से भी कम का समय बचा था जब ये 16 यात्री सामुदायिक कार्यकर्ता प्रेम भंडारी के पास पहुंचे। भंडारी ने बताया, 'ये सभी 16 भारतीय-अमेरिकी आज हवाईअड्डे पर ही फंसे रह जाते और उन्हें अतिरिक्त पैसा चुका कर फिर से टिकट बुक करने के लिए कहा जाता या घर भेज दिया जाता लेकिन अमेरिका में भारत के राजदूत हर्षवर्धन श्रृंगला, न्यूयॉर्क महावाणिज्य दूत संदीप चक्रवर्ती और एअर इंडिया (उत्तरी अमेरिका) के प्रमुख कमल रोल के उच्च स्तरीय हस्तक्षेप के बाद उन्हें यात्रा की अनुमति दे दी गई।' चक्रवर्ती के जेकेएफ हवाईअड्डे पर एअर इंडिया को एक ई-मेल लिखने के बाद इन यात्रियों को उड़ान भरने से चंद मिनट पहले विमान में सवार होने की इजाजत दी गई।

वाशिंगटन में सीएए के खिलाफ गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन

वाशिंगटन, 23 दिसंबर (भाषा)।

भारतीय मूल के अमेरिकियों ने वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास के सामने लगी महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने बड़ी संख्या में एकत्र होकर संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक पंजिका (एनआरसी) के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया।

बहुलवाद के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संस्थान (एनजीओ) से जुड़े भारतीय-अमेरिकी माइक घोस ने एकत्र लोगों से कहा, 'हम यहां केवल एक मकसद के लिए जमा हुए हैं और मकसद है धार्मिक स्वतंत्रता व नागरिक अधिकार, और उससे ज्यादा कुछ नहीं।' अमेरिकी-भारतीय मुसलिमों और इसी तरह के कई संस्थानों की तरफ से मिलकर आयोजित किए गए प्रदर्शन में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों ने भारत की एकता के पक्ष में नारे लगाए और पोस्टर दिखाए। उन्होंने आरोप लगाया कि देश एक ऐसी दिशा में आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रकृति धर्मनिरपेक्ष नहीं है और जो संविधान के स्वभाव के विपरीत है। प्रदर्शनकारियों ने प्रस्ताव भी पारित किया जिसमें भारत सरकार से सीएए और एनआरसी दोनों को वापस लेने का अनुरोध किया गया है। घोस ने कहा, 'हम बस इतना चाहते हैं कि (भारतीय सरकार) हाल में लागू कुछ कानूनों को निरस्त कर दे ताकि हम सब एक भारत, एक राष्ट्र और एक जैसे इंसान रहे हैं और साथ काम कर सकें, जी सकें और इस बात से बेफिक्र रहें कि कौन क्या है।' आयोजकों के मुताबिक गांधी प्रतिमा के सामने चले करीब दो घंटे के प्रदर्शन में 200 से अधिक लोग शामिल हुए।

'जयशंकर से मिलने वाले अमेरिकी सांसदों की सूची में मंजूरी के बगैर डाला गया जयपाल का नाम'

वाशिंगटन, 23 दिसंबर (भाषा)।

- पिछले हफ्ते दिए साक्षात्कार में भारतीय- अमेरिकी भरत बरई ने आरोप लगाया कि जयपाल संभवतः जयशंकर के साथ तीखी बहस करना चाहती थीं और बाद में मीडिया के पास जाकर दुष्प्रचार करतीं।
- चेन्नई में जन्मीं 54 वर्ष की जयपाल उन चंद अमेरिकी सांसदों में से एक हैं जो जम्मू-कश्मीर पर भारत सरकार के फैसले के खिलाफ आवाज उठाती रही हैं। वह अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में चुनी गईं पहली भारतीय-अमेरिकी हैं।
- कई सूत्रों ने संकेत दिया कि जयपाल के अलावा, सूची में दो अन्य सांसदों के नाम भी जोड़े गए जिन्होंने हाल के कुछ दिनों में कश्मीर, धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के मुद्दों पर भारत को लेकर आक्रामक रुख अपनाया।

अमेरिकी संसद की विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष इलियट एंगेल पिछले हफ्ते यहां विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करने वाले सांसदों की सूची में भारतीय-अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल और अन्य दो के नाम शामिल किए जाने से अवगत नहीं थे। जयशंकर ने 'टू प्लस टू' वार्ता के लिए वाशिंगटन के अपने दौरे पर जयपाल से मुलाकात करने से इनकार कर दिया था। जयपाल ने अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को भारत सरकार द्वारा निरस्त किए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटाने की भारत से अपील करते हुए अमेरिकी कांग्रेस में प्रस्ताव पेश किया था।

सूत्रों ने बताया कि जयशंकर की न्यूयॉर्क से डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद एंगेल नीत समिति से 18 दिसंबर को होने वाली मुलाकात रद्द कर दी गई थी। समझा जाता है कि उन्हें इस सूची में अन्य लोगों के नाम जुड़ने की जानकारी तब मिली, जब यहां स्थित भारतीय दूतावास ने शुरुआत में जिन नामों पर सहमति बनी थी, उनमें हुए परिवर्तनों पर आपत्ति जताई। उन्होंने बताया कि लेकिन 18 दिसंबर की सुबह, जब एंगेल को इसके बारे में पता चला, तब तक बहुत देर हो गई थी और उनके लिए कोई भी ऐसा कदम उठाना अनुचित होता जो उनके ही साथी सांसदों के खिलाफ जाता।

सूत्रों ने बताया कि भारतीय दूतावास, अमेरिकी संसद की विदेश मामलों की समिति के सदस्य नहीं होने के बावजूद अतिरिक्त नामों को जोड़ने के तरीकों पर उसे भरोसे में नहीं लिए जाने से नाराज हो गया था और उसने बैठक रद्द कर दी।

पिछले हफ्ते यहां हुई चर्चा की जानकारी रखने वाले कई सूत्रों ने संकेत दिया कि जयपाल के अलावा, सूची में दो अन्य सांसदों के नाम भी जोड़े गए जिन्होंने हाल के कुछ दिनों में कश्मीर, धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के मुद्दों पर भारत को लेकर आक्रामक रुख अपनाया। अपने अमेरिकी दौरे से पहले, जयशंकर ने अमेरिकी संसद की विदेश मामलों की समिति और विदेश संबंधों की सीनेट समिति के नेतृत्व के साथ बैठक का अनुरोध किया था।

सीनेट समिति के साथ जयशंकर की बैठक तय कार्यक्रम के अनुसार हुई। सूत्रों ने बताया कि बैठक उसी समय होनी थी जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ अपने ओवल कार्यालय में मुलाकात करने की सहमति दी थी। सूत्रों ने बताया कि शुरुआत में यह महज शिष्टाचार मुलाकात और तस्वीरें खिंचवाने का कार्यक्रम भर था। लेकिन ट्रंप ने अपने तय कार्यक्रम से ज्यादा समय लिया और दौरे पर आए भारतीय नेताओं के साथ 40 मिनट से ज्यादा समय बिताया। इस स्थिति में विदेशी मामलों पर अमेरिकी संसद की समिति के नेतृत्व के साथ बैठक किसी भी सूरत में नहीं हो पाती।

सदन की समिति को भेजे गए अपने पत्र में, भारतीय दूतावास ने कहा कि विदेश मंत्री ने केवल विदेश मामलों की समिति के नेतृत्व के साथ बैठक की इच्छा जताई थी और इसी पर सहमति बनी थी। खबरों के मुताबिक दूतावास ने कम से कम एक और संभवतः तीन गैर सदस्यों को सूची में शामिल किए जाने का आधार पूछा था और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर बैठक रद्द कर दी थी।

पिछले हफ्ते दिए साक्षात्कार में भारतीय-अमेरिकी भरत बरई ने आरोप लगाया कि जयपाल संभवतः जयशंकर के साथ तीखी बहस करना चाहती थीं और बाद में मीडिया के पास जाकर दुष्प्रचार करतीं। बरई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घनिष्ठ मित्र समझा जाता है। चेन्नई में जन्मीं 54 वर्ष की जयपाल उन चंद अमेरिकी सांसदों में से एक हैं जो जम्मू-कश्मीर पर भारत सरकार के फैसले के खिलाफ आवाज उठाती रही हैं। वह अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में चुनी गईं पहली भारतीय-अमेरिकी हैं।

ट्रंप के फोन के डेढ़ घंटे बाद यूक्रेन को अमेरिकी मदद पर लगाई गई थी रोक

वाशिंगटन, 23 दिसंबर (एएफपी)।

अमेरिका में बजट का काम देखने वाले अधिकारी ने पेंटागन को कीव को दी जाने वाली सैन्य सहायता रोकने के लिए कहा था। इस अधिकारी के यह आदेश देने से करीब 90 मिनट पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के उनके समकक्ष वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच फोन पर कथित विवादित बातचीत हुई थी। यह खुलासा सामने आए ईमेल में हुआ है। यह ईमेल सेंटर फॉर पब्लिक इंटीग्रिटी की ओर से प्रकाशित कई ईमेल का हिस्सा है।

ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी जो बिडेन की जांच करवाने का कीव पर दबाव बनाने के लिए उसे दी जाने वाली 40 करोड़ डॉलर की सहायता रोक ली थी। पेंटागन के अधिकारियों को भेजे ईमेल में ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट ऐंड बजट के अधिकारी माइकल डफी ने इस सहायता को रोकने के लिए कहा था। यह ईमेल सुबह 11 बजकर चार मिनट पर भेजा गया था। इसके ठीक डेढ़ घंटे पहले, 25 जुलाई को ट्रंप ने जेलेन्स्की को कथित विवादित फोन कॉल किया था।

इसमें डफी ने कहा था 'अनुरोध की संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए मैं चाहता हूं कि इस जानकारी को गोपनीय रखा जाए।' हालांकि दो दिसंबर को रिपब्लिकन सदस्यों ने इस कदम का यह कहते हुए बचाव किया था कि विदेशी सहायता में विलंब होना कोई नई बात नहीं है। रिपब्लिकन सीनेटर रॉन जॉनसन ने कहा कि सामने आए नए ईमेल से इस विषय में कोई नई जानकारी सामने नहीं आती है। उन्होंने कहा, 'राष्ट्रपति का विचार यह था कि अमेरिका के करदाताओं का मेहनत से कमाया धन ऐसे देश को दिया जाना चाहिए या नहीं जहां भ्रष्टाचार के साबित हो चुके मामले हैं।'

पृथ्वी एसेट रीकन्सट्रक्शन एंड सिक्युरिटाईजेशन कम्पनी लिमिटेड

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालयः डी. नं. 1-55, राजा प्रासादुम, 4 था तल, विंग-I, मस्जिद बांदा रोड, कोण्डापुर, हैदराबाद-500084
टेलीः 040-41413333, फैक्सः 040-41413301, ईमेलः co@paras.org.in, वेबः www.paras.org.in

मै. साईबर मीडिया (इंडिया) लिमिटेड के प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री के लिये मुहरबंद निविदा-सह ई-नीलामी आमंत्रण सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 (1) के अंतर्गत सूचना

एतदद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि मै. साईबर मीडिया (इंडिया) लि. से उस पर आगे के ब्याज तथा लागतों के साथ 30.11.2019 को रु. 25,15,21,994/- (रुपये पच्चीस करोड़ पन्द्रह लाख इक्कीस हजार नौ सौ चौड़ानवे मात्र) की राशि के मै. पृथ्वी एसेट रीकन्सट्रक्शन एंड सिक्युरिटाईजेशन कम्पनी लिमिटेड के बकाये की वसूली के लिये यहां नीचे वर्णित तिथि तथा स्थान पर "जैसा है जहां है तथा जो भी वहां है आधार" पर निविदा-सह-ई-नीलामी द्वारा सरफैसी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्न प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री की जायेगी।

अचल प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति का विवरण	
आरक्षित मूल्यः रु. 15,35,00,000/-	ईएमडीः रु. 1,53,50,000/-
मै. साईबर मीडिया (इंडिया) लिमिटेड के स्वामित्तव में प्लॉट नं. बी-35, सेक्टर 32, इंस्टीच्यूशनल एरिया, गुड़गांव में 40612 वर्ग फीट के निर्मित एरिया के साथ सभी प्लॉट माप 1079 वर्ग मीटर तथा उस पर निर्मित भवन, चौहद्दीः पूर्वः रोड, पश्चिमः रोड, उत्तरः आर्को, दक्षिणः बी-34, सेक्टर-32	

सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समयः 18.01.2020 को 11.00 बजे पूर्वा. से 2.00 बजे अप. तक निविदा, ईएमडी तथा केवाईसी दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि, समय तथा पताः24.01.2020 को 2.00 बजे अप. या पूर्व अधोलिखित पता परः के.वी. रामकृष्ण प्रसाद, प्राधिकृत अधिकारी, तथा उपाध्यक्ष, मै. पृथ्वी एसेट रीकन्स्ट्रक्शन एंड सिक्युरिटाईजेशन कम्पनी लिमिटेड, डोर नं. 1-55, 4था तल, 'राजा प्रासादमु' मस्जिद बांदा रोड, कोण्डापुर, हैदराबाद-500084
ई-नीलामी तिथि एवं समयः27.01.2020 को 11.30 बजे पूर्वा. से 12.30 अप. तक प्रति 5 मिनट के स्वतः असीमित विस्तारों के साथ https://sarfaesi.auctiontiger.net बोली वृद्धि राशि रु. 1,00,000/- के गुणकों में होगी। सहयोग के लिये सम्पर्क विवरणः telangana@auctiontiger.net

बिक्री के नियम एवं शर्तें

1. उपरोक्त सम्पत्ति आरक्षित मूल्य से कम में नहीं बेची जायेगी।
2. सफल बोलीदाता को तत्काल 25% निविदा राशि (पूव-प्रदत्त ईएमडी सहित) का भुगतान करना होगा।
3. शेष 75% बिक्री मूल्य का भुगतान बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 वें (पन्द्रहवें दिन) या उससे पूर्व किया जायेगा।
4. प्राधिकृत अधिकारी को बिना कारण बताये किसी/या सभी निविदा के किसी भी चरण में निरस्त/स्थगित/निलम्बित/रद्द करने का अधिकार है। निर्धारित तिथि को निविदा खुलने के बाद प्राधिकृत अधिकारी की एकाकी इच्छा पर योग्य निविदाकारों के बीच इन्टर-से-बिडिंग हो सकती है तथा उच्चतम् बोलीदाता के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जायेगी। किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिये कृपया ई-मेल आईडीः ramakrishnaprasadkv@paras.org.in देखें, फोन नं. 040-41413333 पर सम्पर्क करें।
5. इच्छुक पार्टी वेबसाईट अर्थात् https://sarfaesi.auctiontiger.net पर उपलब्ध नियमों एवं शर्तों के भाग के निर्माण करने वाले "अन्य नियमों एवं शर्तों" में निर्दिष्ट प्रक्रिया में अपनी बोली जमा कर सकते हैं तथा साथ ही मै. पृथ्वी एसेटरीकन्स्ट्रक्शन एंड सिक्युरिटाईजेशन कम्पनी लिमिटेड की वेबसाईट (www.paras.org.in) पर उसे जमा कर सकते हैं। ईएमडी के बिना बोली निरस्त कर दी जायेगी।
6. सफल बोलदाता जारी की जाने वाली बिक्री प्रमाणपत्र के लिये स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण तथा अन्य चार्जेज का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होंगे। किसी चार्ज, लिएन, अधिभार, सम्पत्ति कर अथर्वी बिक्री के अधीन सम्पत्तियों के संदर्भ में सरकार अथवा किसी भी व्यक्ति के किसी भी बकाये के लिये पीएआरएएस उत्तरदायी नहीं होगा।
7. इच्छुक बोलीदाता अपनी बोलीजमा करने से पूर्व किसी प्राधिकरण/व्यक्ति द्वारा सम्पत्तियों पर किसी अधिभारों, दावे, प्रभारों, एटैचमेन्ट्स, निषेधात्मक आदेशों के संदर्भ में अपनी गोपनीय जांच कर स्वयं को सम्पत्ति के टाइटल, विस्तार, गणक्ता तथा मात्रा के विषय में संतुष्ट कर लें। इच्छुक बोलदाताओं द्वारा बोली जमा कर देने के बाद बिक्री के लिये रखी गई सम्पत्तियों के संदर्भ में किसी प्रकार के दावे पर विचार नहीं किया जायेगा। पुनः इच्छुक बोलीदाता सम्पत्ति/यों की पंजीयन-क्षमता के विषय में स्वयं को संतुष्ट कर लें क्योंकि संबंधित एसआरओं में सम्पत्ति के पंजीकरण के संदर्भ में किसी निषेध की जानकारी पीएआरएएस को नहीं है।
8. कृपया ध्यान रहे कि शेष बोली राशि जमा करने से पूर्व सफल बोलीदाता टीडीएस के लिये बोली राशि के 1% की दर से कटौती करें क्योंकि बिक्री की जाने वाली परिसम्पत्ति का क्रय मूल्य रु. 50 लाख से अधिक है तथा उसे आये कर विभाग में जमा करें तथा टीडीएस राशि जमा करने का प्रमाण हमारे पास प्रस्तुत करें।
9. ऊपर वर्णित तिथि पर बिक्री के आयोजन तथा अन्य विवरणों के विषय में यह मै. साईबर मीडिया (इंडिया) लि. के ऋणधारक/गारन्टरों के लिये भी सूचना है।
10. यदि किसी भी कारण से ऊपर निर्दिष्ट नीलामी विफल होती है तो पीएआरएएस को सरफैसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत निजी संधि द्वारा इस सूचना के माध्यम से नीलामी के अंतर्गत प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री करने का भी अधिकार है।
11. यह ध्यान रहे कि सम्पत्ति का उपयोग हुडा द्वारा जारी आवंटन पत्र तिथि 28.06.1995 के नियमों एवं शर्तों के अनुसार की किया जायेगा।

तिथिः 23.12.2019
स्थानः हैदराबाद
प्राधिकृत अधिकारी

SyndicateBank
7, सेठी भवन, राजेन्द्रा प्लेस, ईस्ट पटेल नगर शाखा, नई दिल्ली-110008
फोन : 011-25727717, फैक्स : 011-25752545

प्रारूप-एम
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)*
[अधनियम के तहत परिशिष्ट-IV, नियम 8(1)]*

प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में सिंडीकेट बैंक के अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने कर्जदार तथा साथ ही सम्पत्ति/आश्वस्ति के स्वामी से कथित सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर रु. 4,26,837.68/- (रुपये चार लाख छब्बीस हजार आठ सौ सैंतीस एवं अड़सठ पैसे मात्र) का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए 30.09.2019 को एक माँग सूचना निर्गत की थी।

सम्पत्ति के स्वामी स्व. श्री सन्तोष कुमार सक्सेना एवं अन्य द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण सम्पत्ति के स्वामी तथा जनसामान्य को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों पर 21 दिसम्बर, 2019 को कब्जा कर लिया है।

व्यक्तिगत रूप से सम्पत्ति के स्वामी और जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का लेन-देन रु. 4,26,837.68/- और उस पर भावी ब्याज, लागतों आदि के लिए सिंडीकेट बैंक, ईस्ट पटेल नगर शाखा के अभियोग का विषय होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सीमाएँ :
खसरा नं. 3139, खेवट नं. 159, खाता नं. 260, 261, रेलवे लाइन पार, बरही वाले गोंडा अन्दरुन नगर पालिका, बहादुरगढ़, झज्झर जिला, हरियाणा

तिथि : 21.12.2019 — अधिकृत प्राधिकारी
स्थान : नई दिल्ली — सिण्डीकेट बैंक

SyndicateBank
7, सेठी भवन, राजेन्द्रा प्लेस, ईस्ट पटेल नगर शाखा, नई दिल्ली-110008
फोन : 011-25727717, फैक्स : 011-25752545

प्रारूप-एम
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)*
[अधनियम के तहत परिशिष्ट-IV, नियम 8(1)]*

प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में सिंडीकेट बैंक के अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने कर्जदार तथा साथ ही सम्पत्ति/आश्वस्ति के स्वामी से कथित सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर रु. 16,87,263.35/- (रुपये सोलह लाख सत्तासी हजार दो सौ तिरसठ एवं पैंतीस पैसे मात्र) का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए 30.09.2019 को एक माँग सूचना निर्गत की थी।

सम्पत्ति के स्वामी श्री सुलेह सिंह पुत्र श्री चरण सिंह एवं अन्य द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण सम्पत्ति के स्वामी तथा जनसामान्य को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों पर 21 दिसम्बर, 2019 को कब्जा कर लिया है।

व्यक्तिगत रूप से सम्पत्ति के स्वामी और जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का लेन-देन रु. 16,87,263.35/- और उस पर भावी ब्याज, लागतों आदि के लिए सिंडीकेट बैंक, ईस्ट पटेल नगर शाखा के अभियोग का विषय होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सीमाएँ:
खसरा नं. 2764, 2767 एवं 2768, लाइन पार, न्यू पटेल पार्क, बहादुरगढ़, हरियाणा

तिथिः 19.12.2019 — अधिकृत प्राधिकारी
स्थानः नई दिल्ली — सिण्डीकेट बैंक

SyndicateBank
7, सेठी भवन, राजेन्द्रा प्लेस, ईस्ट पटेल नगर शाखा, नई दिल्ली-110008
फोन : 011-25727717, फैक्स : 011-25752545

प्रारूप-एम
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)*
[अधनियम के तहत परिशिष्ट-IV, नियम 8(1)]*

प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में सिंडीकेट बैंक के अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने कर्जदार तथा साथ ही सम्पत्ति/आश्वस्ति के स्वामी से कथित सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर रु. 24,88,979.76/- (रुपये चौबीस लाख अट्ठासी हजार नौ सौ उन्यासी एवं छिहत्तर पैसे मात्र) का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए 03.10.2019 को एक माँग सूचना निर्गत की थी।

सम्पत्ति के स्वामी श्री रामकुमार मीणा पुत्र श्री बतस्यराम मीणा एवं अन्य द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण सम्पत्ति के स्वामी तथा जनसामान्य को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों पर 19 दिसम्बर, 2019 को कब्जा कर लिया है।

व्यक्तिगत रूप से सम्पत्ति के स्वामी और जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का लेन-देन रु. 24,88,979.76/- और उस पर भावी ब्याज, लागतों आदि के लिए सिंडीकेट बैंक, ईस्ट पटेल नगर शाखा के अभियोग का विषय होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सीमाएँ :
खसरा नं. 2748, रेलवे लाइन पार, न्यू पटेल पार्क, बहादुरगढ़, हरियाणा पर 63 वर्ग गज भूमि तथा भवन।

तिथि : 19.12.2019 — अधिकृत प्राधिकारी
स्थान : नई दिल्ली — सिण्डीकेट बैंक

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
India's International Bank
जेड ओ एसएआरबी, 13वां तल, बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

नियम 8(1) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 (2002 का 54) के प्रवर्तन के अधीन **बैंक ऑफ बड़ौदा**, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत ऋण धारक **मैसर्स विपुल इंटरप्राइजेज, पंजी. कार्यालय – प्रकाश वाटिका, 17–ए, चिनार ड्राइव, डीएलएफ फार्म, छतरपुर, नई दिल्ली – 110074 और औद्योगिक भूमि और भवन खसरा नंबर 448/9/3 और केएच नं. 159/4/3, गाँव खेरी, काला अंब, तहसील – नाहन, जिला – सिरमौर (एच.पी), श्री विपुल अरोड़ा गारंटर एंड (पार्टनर), प्रकाश वाटिका, 17–ए, चिनार ड्राइव, डीएलएफ फार्म, छतरपुर, नई दिल्ली – 110074, श्री राम लाल खेतान गारंटर और (पार्टनर), श्री नितीश खेतान गारंटर और (पार्टनर), दोनो निवासी : खेतान भवन, पाटलिपुत्र पथ, राजेंद्र नगर, पटना (बिहार), श्री संजय शर्मा गारंटर और (पार्टनर), सी–65, इंद्रपुरी, दिल्ली और श्री मदन गोपाल अग्रवाल गारंटर (पार्टनर), एम–23, राजेंद्र नगर, पटना (बिहार) और गारंटर – श्री सुनील कु. अरोड़ा, श्री वरुण अरोड़ा, श्रीमती वंदना अरोड़ा, स्वैटेक्स एक्सेल प्रा. लिमिटेड, प्रकाश वाटिका, 17–ए, चिनार ड्राइव, डीएलएफ फार्म, छतरपुर, नई दिल्ली – 110074 को मांग सूचना दिनांक 03.03.2017 को जारी किया था जिसमें सूचना मे उल्लेखित राशि रू 6,80,95,298.18 (रु. छः करोड अस्सी लाख पिचान्वे हजार दो सौ अट्ठान्वे और पैसे अट्ठारह मात्र) दिनांक 28.02.2017 तक और साथ में भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे और अन्य आकस्मिक प्रभार इत्यादि** उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

ऋणधारक/गारंटर राशि का प्रतिभुगतान करने में असफल हो गये हैं, इसलिए एतद्द्वारा ऋणधारक/गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **18.12.2019** को लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारक/गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्तियों के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन **बैंक ऑफ बड़ौदा, जेड ओ एसएआरबी के प्रभार वास्ते रू 6,80,95,298.18 (रु. छः करोड अस्सी लाख पिचान्वे हजार दो सौ अट्ठान्वे और पैसे अट्ठारह मात्र) दिनांक 28.02.2017 तक और साथ में भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे और अन्य आकस्मिक प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।**

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

(क) साम्यिक बंधक सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्री होल्ड औद्योगिक भूमि एवं भवन, खसरा नं. 448/9/3 और केएच 159/4/3, गाँव खेड़ी, कलाँ अंब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि.प्र.) में स्थित, यह सम्पत्ति मैसर्स विपुल इंटरप्राईजेज़ (कर्जदार) के नाम पर है। चौहद्दी : उत्तर में – खुली भूमि, दक्षिण में – रोड, पूरब में – मैसर्स स्वैटेक्स पैकेजिंग इंडस्ट्री, पश्चिम में – खुली भूमि
ख) स्टॉक्स का हाइपोथिकेशन
ग) प्लांट एवं मशीनरी और स्थायी आस्तियों का हाइपोथिकेशन

दिनांक : 18.12.2019, स्थान : नाहन हि.प्र. — प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
India's International Bank
जेड ओ एसएआरबी, 13वां तल, बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

नियम 8(1) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 (2002 का 54) के प्रवर्तन के अधीन **बैंक ऑफ बड़ौदा**, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत ऋण धारक **मैसर्स स्वैटेक्स पैकेजिंग इंडस्ट्री, श्री सुनील कुमार अरोड़ा (प्रोपराइटर) और गारंटर, पंजीकृत कार्यालय – प्रकाश वाटिका, 17–ए, चिनार ड्राइव, डीएलएफ फार्म, छतरपुर, नई दिल्ली – 110074, और फैक्ट्री जोकि खसरा 10/3 में, शामिल खाता खतौनी नं 187 मिन/202 मिन (पुराना नं. 155/166 मिन) मौजाखेड़ी, हाडबस्त नं. 137 गांव खेडी, कलां अंब, तहसील – नाहन, जिला–सिरमौर (हि.प्र.), गारंटर – श्री सुनील कु. अरोड़ा श्री वरुण अरोड़ा, श्री विपुल अरोड़ा, श्रीमती वंदना अरोड़ा, स्वैटेक्स एक्सेल प्रा. लि., मैसर्स स्वैटेक्स पैकेजिंग प्रा. लि. सभी निवासी : प्रकाश वाटिका, 17–ए, चिनार ड्राइव, डीएलएफ फार्म, छतरपुर, नई दिल्ली– 110074 को मांग सूचना दिनांक 03.03.2017 को जारी किया था जिसमें सूचना मे उल्लेखित राशि रू 3,99,81,628.25 (रु. तीन करोड निन्यान्वे लाख इक्यासी हजार छः सौ अट्ठाईस और पैसे पच्चीस मात्र) दिनांक 28.02.2017 तक और साथ में भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे और अन्य आकस्मिक प्रभार इत्यादि** उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

ऋणधारक/गारंटर राशि का प्रतिभुगतान करने में असफल हो गये हैं, इसलिए एतद्द्वारा ऋणधारक/गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **18.12.2019** को लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारक/गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्तियों के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन **बैंक ऑफ बड़ौदा, जेड ओ एसएआरबी, 13वां तल, बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 के प्रभार वास्ते रू 3,99,81,628.25 (रु. तीन करोड निन्यान्वे लाख इक्यासी हजार छः सौ अट्ठाईस और पैसे पच्चीस मात्र) दिनांक 28.02.2017 तक और साथ में भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे और अन्य आकस्मिक प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।**

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

(क) साम्यिक बंधक सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्री होल्ड औद्योगिक भूमि एवं भवन, खसरा नं. 10/3 शामिल खाता / खतौनी 187मिन/202 मिन (पुराना नं. 155/166 मिन) जोकि मौजाखेड़ी हदबस्त नं. 137 गाँव खेड़ी, कलाँ अंब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि.प्र.) में स्थित, यह सम्पत्ति मैसर्स स्वैटेक्स पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ के नाम पर है। (क्षेत्रफल 5बीगा और 13 बिस्वा) चौहद्दी : उत्तर में – खुली भूमि, दक्षिण में – रोड, पूरब में – मैसर्स एस.जी. इंजीनियर्स, पश्चिम में – मैसर्स विपुल इंटरप्राईजेज
ख) स्टॉक्स का हाइपोथिकेशन
ग) प्लांट एवं मशीनरी और स्थायी आस्तियों का हाइपोथिकेशन

दिनांक : 18.12.2019, स्थान : नाहन हि.प्र. — प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

www.readwhere.com

भारत पहुंचा 790 टन आयातित प्याज

प्याज की कुछ खेप को आंध्र प्रदेश व दिल्ली भेजा गया

नई दिल्ली, 23 दिसंबर (भाषा)।

आयातित प्याज की 790 टन की पहली खेप भारत पहुंच गई है। इसमें से कुछ प्याज दिल्ली और आंध्र प्रदेश भेजा गया है। इन राज्यों को प्याज के बंदरगाह पर पहुंचने की लागत 57–60 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत पर भेजा गया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि 12,000 टन और प्याज की खेप दिसंबर के अंत तक आने की उम्मीद है। सार्वजनिक क्षेत्र की एमएमटीसी ने अभी तक 49,500 टन प्याज के आयात का अनुबंध किया है। इस समय देश के प्रमुख शहरों में प्याज के खुदरा दाम 100 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रहे हैं। हालांकि, कुछ हिस्सों में तो प्याज 160 रुपए प्रति किलोग्राम पर है। अधिकारी ने कहा कि 290 टन और 500 टन की दो खेप पहले ही मुंबई पहुंच चुकी हैं। हम राज्य सरकारों को यह प्याज बंदरगाह पर 57 से 60 रुपए किलोग्राम की लागत के आधार पर दे रहे हैं।

आंध्र प्रदेश और दिल्ली की सरकारों ने प्याज की मांग की थी और उन्होंने आयातित प्याज का उठाव शुरू कर दिया है। प्याज का आयात तुर्की, मिस्र और अफगानिस्तान से किया गया है। अधिकारी ने कहा कि प्याज की और खेप भी रास्ते में हैं। इनसे घरेलू आपूर्ति सुधारने में मदद मिलेगी।

2019–20 के फसल वर्ष (जुलाई से जून) में खरीफ उत्पादन में 25 प्रतिशत की कमी आने का अनुमान है। प्रमुख उत्पादक राज्यों में मानसून में देरी और अत्यधिक बारिश जैसी वजहों से प्याज का उत्पादन नीचे आया है। व्यापारियों और विशेषज्ञों का मानना है कि जनवरी के अंत तक प्याज के दाम ऊंचे बने रहेंगे। उसके बाद बाजार में खरीफ की फसल आनी शुरू होगी। इससे पहले देश ने 2015–16 में 1,987 टन प्याज का आयात किया था। उस समय भी प्याज की कीमतों में भारी उछाल आया था।

खेती जम्मू के बाहरी इलाके में सोमवार को खेत से ताजा सब्जी तोड़कर ले जाती महिलाएं।

रोसलैब्स फाइनेंस पर ढाई करोड़ जुर्माना

नई दिल्ली, 23 दिसंबर। सेबी ने बाजार नियमों का उल्लंघन करने पर रोसलैब्स फाइनेंस लिमिटेड पर ढाई करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। गुजरात अर्थ लिमिटेड के शेयरों में धोखाधड़ी पूर्ण व्यापार करने पर कंपनी पर यह जुर्माना लगाया गया। सेबी ने गुजरात अर्थ के शेयरों में अक्टूबर 2003 से जनवरी 2004 के बीच किये गये सौदों की जांच पड़ताल कर जुर्माना लगाया। **(भाषा)**

ऋण वसूली अधिकरण-I, दिल्ली

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

ओए नं. 1423/2018

यूको बैंक.......................................आवेदक

बनाम

विशाल कुमार श्रीवास्तव एवं अन्य ....प्रतिवादी

सेवा में,

(1) **विशाल कुमार श्रीवास्तव, पुत्र श्री सतीश चन्द्र वर्मा,** निवासी फ्लैट नं.119, सेक्टर–17 एच, वसुन्धरा, गाजियाबाद, उ0प्र0।

(2) **जया श्रीवास्तव पत्नी विशाल कुमार श्रीवास्तव,** निवासी फ्लैट नं.119, सेक्टर–17 एच, वसुन्धरा, गाजियाबाद, उ0प्र0।

(3) **मैसर्स अम्रपाली ड्रीम वैली प्रा. लि. (इसके निदेशकों के माध्यसम से)**

इसका पंजीकृत कार्यालय: 307, तीसरा तल, निपुन टावर्स, प्लॉट नं.15, कम्युनिटी सेंटर, कड़कड़डूमा, दिल्ली–110092,

मुख्य व्यवसायिक कार्यालय: सी–56/40, सेक्टर–62, नोएडा, उ0प्र0।

चूंकि उपरोक्त नामित आवेदक ने **रु.15,50,611/–(पन्द्रह लाख पचास हजार छः सौ ग्यारह रूपये मात्र)** की वसूली के लिए आपके विरूद्ध एक मुकदमा दाखिल किया है और अधिकरण के संज्ञान में आया है कि सामान्य तरीके से आपको जानकारी देना संभव नहीं है इसलिए इस विज्ञापन के माध्यम से सूचना देते हुए आपको **16.01.2020 को प्रातः 10.30 बजे एलडी. रजिस्ट्रार** के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

यह ध्यान रखें कि निर्धारित तिथि को अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर इस मामले पर आपकी अनुपस्थिति में सुनवाई और निर्णय लिया जाएगा।

आज 30 नवम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं अधिकरण की मोहर के साथ जारी किया गया।

कोर्ट की मोहर

अधिकरण के आदेशानुसार

कृते रजिस्ट्रार

प्रपत्र सं. आईएनसी–26

[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]

केन्द्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, की धारा 13 (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30(6)(ए) के मामले में

तथा

नोरेआ एग्रो प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय बी–138, 2रा तल, नवकार बिल्डिंग, मोहम्मदपुर, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, दिल्ली–110066, भारत में है, के मामले में, आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली'' से ''हरियाणा राज्य'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 21 दिसम्बर, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ– पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, पीठ बी–2 विंग, 2रा तल, दीन दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली**–110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

बी–138, 2रा तल, नवकार बिल्डिंग, मोहम्मदपुर, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, दिल्ली–110066

नोएआ एग्रो प्राईवेट लिमिटेड के लिये तथा उसकी ओर से

हस्ता./–

तिथि: 23.12.2019 **चन्द्र मोहन अरोड़ा**

स्थान: नई दिल्ली **निदेशक**

DIN: 00937177

प्रपत्र सं. आईएनसी–26

[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]

केन्द्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013, की धारा 13 (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30(6)(ए) के मामले में

तथा

साई क्राफ्ट प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय बी–138, 2रा तल, नवकार बिल्डिंग, मोहम्मदपुर, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066, भारत में है, के मामले में, आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली'' से ''हरियाणा राज्य'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 21 दिसम्बर, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी–2 विंग, 2रा तल, दीन दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली**–110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

बी–138, 2रा तल, नवकार बिल्डिंग, मोहम्मदपुर, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066, **भारत**

साई क्राफ्ट प्राईवेट लिमिटेड के लिये तथा उसकी ओर से

हस्ता./–

तिथि: 23.12.2019 **चन्द्र मोहन अरोड़ा**

स्थान: नई दिल्ली **निदेशक**

DIN: 00937177

प्रपत्र सं. आईएनसी–26

[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]

केन्द्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 (6) (ए) के मामले में

तथा

अमृत ह्यूमिफ्रेस प्रीजर्वेशन प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालयः 51/78, वेस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली डीएल 110026 आईएन, भारत में है, के मामले में

......................**आवेदक**

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली'' से ''हरियाणा राज्य'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 21 दिसम्बर 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र पीठ बी–2 विंग, 2रा तल, दीन दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली–110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

पंजीकृत कार्यालयः 51/78, वेस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली डीएल 110026 आईएन, भारत

अमृत ह्यूमिफ्रेस प्रीजर्वेशन प्राईवेट लिमिटेड के लिए तथा उसकी ओर से

हस्ता./–

बालकृष्ण गुप्ता

तिथि: 23.12.2019 **निदेशक**

स्थान: नई दिल्ली **DIN: 00247224**

वितरकों और प्रसारणकर्ताओं के बीच नए नियमन के खिलाफ याचिका दायर

नई दिल्ली, 23 दिसंबर (भाषा)।

दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) से सोमवार को याचिका पर जवाब मांगा जिसमें सभी प्रसारणकर्ताओं को वितरण मंच संचालकों (डीपीओ) के साथ उनके प्रत्येक समझौते व व्यवस्था की जानकारी सामने रखने को अनिवार्य बनाने संबंधी नए नियम को चुनौती दी गई है।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर के पीठ ने इंडियन ब्रॉडकास्टर्स फाउंडेशन (आईबीएफ) की याचिका पर ट्राई को रुख स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया। याचिका में तर्क दिया गया है कि इस नियम के जरिए ट्राई प्रसारणकर्ताओं और डीपीओ के बीच उन सभी व्यवस्थाओं तथा करारों की जानकारी जुटाना चाहता है। इसका प्रसारण सेवाओं के अंतः संयोजन से कोई लेना-देना नहीं है। आईबीएफ द्वारा दायर याचिका में चार सितंबर को जारी दूरसंचार (प्रसारण और केबल) अंतःसंयोजन करार सेवा पंजी और इस तरह के अन्य मामला विनियम, 2019 के विभिन्न प्रावधानों को रद्द करने का अनुरोध किया गया है जो जनवरी, 2020 से प्रभावी हो जाएगा। आइबीएफ के मुताबिक ट्राई का संबंध केवल टीवी चैनलों के सिग्नल वितरण के संबंध में प्रसारणकर्ताओं और डीपीओ के बीच तकनीकी व व्यावसायिक प्रबंध से होना चाहिए। याचिका में दलील दी गई है कि नियमन लाकर, ट्राई उस क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर रहा है जो कानून के तहत उसके दायरे में नहीं आता।

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण नई दिल्ली बैंच-5, नई दिल्ली के समक्ष

(मूल क्षेत्राधिकार)

कम्पनी याचिका सं. 2019 का सीपी (सीएए) 141 (एनडी)

के सम्बंधित

कम्पनी आवेदन सं. 2019 का सीए (सीएए) 110 (एनडी)

कम्पनी अधिनियम 2013 (18 ऑफ 2013) के मामले में,

धारा 230, 232 एवं 66 के मामले में

तथा

व्यवस्था की योजना के मामले में

तथा

निम्नलिखित के मामले में

शैम्स प्रोफेशनल प्राईवेट लिमिटेड याचिकाकर्ता सं. 1/अंतरणकर्ता कम्पनी

(यह कम्पनी कम्पनीज अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थापित है तथा इसका पंजीकृत कार्यालय 301, प्रकाश दीप-7, टॉलस्टॉय मार्ग, दिल्ली-110001 में स्थित है।)

तथा

अश्विन एग्री प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड याचिकाकर्ता सं. 2/अंतरिती कम्पनी

(यह कम्पनी कम्पनीज अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थापित है तथा इसका पंजीकृत कार्यालय 301, प्रकाश दीप-7, टॉलस्टॉय मार्ग, दिल्ली-110001 में स्थित है।)

याचिका की सुनवाई की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि 22 अक्टूबर, 2019 को उपरोक्त नाम के याचिकाकर्ता द्वारा अश्विन एग्री प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड और शैम्स प्रोफेशनल प्राईवेट लिमिटेड की व्यवस्था की योजना हेतु मंजूरी प्राप्त करने के लिए कम्पनी अधिनियम 2013 की धाराओं 230, 232 और 66, तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अधिनस्थ एक याचिका प्रस्तुत की गई थी और कथित याचिका 17 जनवरी, 2020 को प्रातः 10:30 बजे माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, नई दिल्ली बैंच, (कोर्ट-5) ब्लॉक नम्बर 3, ग्राउंड, 6वीं, 7वीं और 8वीं मंजिल, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोधी मार्ग, नई दिल्ली-110003 के समक्ष सुनवाई हेतु निर्धारित है।

यदि कोई व्यक्ति याचिका के सहयोग अथवा विरोध हेतु इच्छुक है तो वह अपनी इच्छा स्वंय के द्वारा अथवा अपने बैंच और याचिकाकर्ता अधिवक्ता के द्वारा हस्ताक्षरित अपने नाम तथा पते के साथ सूचना प्रेषित करें। जो कि बैंच और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के पास याचिका की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि से कम से कम 2 दिन से ज्यादा विलम्ब से नही पहुंचना चाहिए यदि वह याचिका के प्रतिवाद हेतु इच्छुक है तो विरोध के आधारों अथवा शपथपत्र की एक प्रति इस प्रकार की सूचना के साथ प्रस्तुत करनी होगी। याचिका की एक प्रति किसी भी व्यक्ति के द्वारा मांगे जाने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त के लिए निर्धारित राशि का भुगतान करने पर उक्त के लिये आवश्यक किसी व्यक्ति को प्रस्तुत की जाएँगी।

हस्ताक्षर

राजीव के गोयल, अधिवक्ता

कृते राजीव गोयल एंड एसोसिएट्स

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता

दिनांक : 23.12.2019 785, पॉकेट-ई, मयूर विहार-II,

स्थान : नई दिल्ली दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे/एनएच-24, दिल्ली 110091

मोबाइल : 9312409354, **ई-मेल** : rajeev391@gmail.com, **वेबसाइट** : www.rgalegal.in

जनवरी से 850 उत्पादों से आयात शुल्क घटाएगा चीन

बेजिंग, 23 दिसंबर (एएफपी)।

चीन जनवरी से फ्रोजन पोर्क सहित करीब 850 उत्पादों से आयात शुल्क घटाएगा। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। इस कदम से चीन में पोर्क की आपूर्ति में आई गिरावट को दूर करने में मदद मिलेगी।

अफ्रीकी स्वाइन बुखार की वजह से चीन में सुअरों की कमी हो गई है। इसकी वजह से लाखों की संख्या में सुअरों को मारना पड़ा है। इस वजह से पोर्क मीट की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है। फ्रोजन पोर्क पर शुल्क की दर एक जनवरी से 12 फीसद से घटकर आठ फीसद पर आ जाएगी। जिन अन्य उत्पादों पर शुल्क की दर कम होगी – उसमें मछली, चीज के अलावा फार्मास्युटिकल्स और रसायन उत्पाद शामिल हैं। अगले साल एक जुलाई से कुछ प्रौद्योगिकी उत्पादों पर भी शुल्क की दर को कम किया जाएगा।

मोदी ने की निवेश, वृद्धि पर मंत्रिमंडलीय समिति के साथ बैठक

नई दिल्ली, 23 दिसंबर (भाषा)।

मंत्रिमंडल की निवेश और वृद्धि पर नवगठित समिति की पहली बैठक सोमवार को हुई। यह बैठक ऐसे समय हुई है जब सरकार सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए व्यय बढ़ाने पर गौर कर रही है।

सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल की निवेश और वृद्धि पर समिति (सीसीआईजी) की बैठक की अध्यक्षता की। भाजपा के इस साल मई सत्ता में लौटने के बाद इसका गठन जून में किया गया था।

बैठक में लिए गए निर्णयों का ब्योरा तत्काल नहीं मिला। समिति के चार अन्य सदस्य- गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और एमएसएमई (सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यम) मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य एवं रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं। उल्लेखनीय है कि चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 4.5 प्रतिशत रही जो छह साल का न्यूनतम स्तर है। निवेश और निर्यात में नरमी के साथ आर्थिक वृद्धि धीमी हुई है।

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की एनसीएलएटी के आदेश में कुछ संशोधन के लिए अपील

नई दिल्ली, 23 दिसंबर (भाषा)।

टाटा संस मामले में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) से कंपनी को पब्लिक की जगह प्राइवेट बनाने जैसे कुछ मुद्दों पर हाल के अपने आदेश में संशोधन की अपील की है। कंपनी पंजीयक (आरओसी) ने सोमवार को एनसीएलएटी में अपील दायर कर इस आदेश में संशोधन की अपील की। इसमें खासकर टाटा संस को पब्लिक से प्राइवेट कंपनी में बदलने के लिए 'गैरकानूनी' के प्रयोग को हटाने का आग्रह किया है।

आरओसी की इस याचिका के बारे में एनसीएलएटी के समक्ष सोमवार को उल्लेख किया गया। एनसीएलएटी ने इस मामले को 2 जनवरी, 2020 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। अपनी याचिका में आरओसी ने संबंधित अनुच्छेद में जरूरी संशोधन करने का आग्रह किया है। याचिका में कहा गया है कि 18 दिसंबर को आए आदेश में जरूरी संशोधन किया जाए ताकि आरओसी मुंबई का कार्य गैरकानूनी नहीं दिखे। आरओसी ने यह कदम कंपनी कानून के प्रावधानों के साथ नियमों के तहत उठाया था। इसके अलावा आरओसी ने एनसीएलएटी से इस आक्षेप को भी हटाने को कहा है। इसमें कहा गया था कि आरओसी मुंबई ने टाटा संस की जल्दबाजी में मदद की।

आरओसी ने कहा कि उसने उचित तरीके से काम किया और टाटा संस लि. की ओर से जब इसकी सूचना दी गई तो अपीलीय न्यायाधिकरण ने नौ जुलाई, 2018 के आदेश पर किसी तरह का स्थगन नहीं दिया। एनसीएलएटी ने 18 दिसंबर को जारी आदेश में टाटा संस के बर्खास्त चेयरमैन साइरस मिस्त्री को फिर बहाल करने का निर्देश दिया था। साथ ही अपीलीय न्यायाधिकरण ने टाटा संस को पब्लिक से प्राइवेट कंपनी में बदलने के फैसले को 'गैरकानूनी' करार दिया था।

'गार्जियन' सुरक्षा फीचर का विस्तार करेगी ओला

नई दिल्ली, 23 दिसंबर (भाषा)।

ऐप आधारित टैक्सी सेवा देने वाली कंपनी ओला अपने कृत्रिम मेधा (एआइ) आधारित सुरक्षा फीचर 'गार्जियन' का भारत और आस्ट्रेलिया के 17 शहरों में विस्तार करेगी। 'गार्जियन' के जरिये तुरंत राइड्स में होने वाली अनियमित गतिविधियों के बारे में स्वतः जानकारी मिलती है। इसमें अधिक समय तक रुकना या रूट बदलना आदि गतिविधियां शामिल हैं।

ये अलर्ट तत्काल आधार पर ओला की चौबीसों घंटे सक्रिय रहने वाली सुरक्षा प्रतिक्रिया टीम तक पहुंचते हैं। इसके बाद यात्री और चालक से तत्काल संपर्क कर पता लगाया जाता है कि वे सुरक्षित हैं और राइड पूरी होने तक उन्हें मदद की पेशकश की जाती है। ओला ने कहा, 'भारत और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में 'गार्जियन' के सफल पायलट के बाद अब यह फीचर 16 भारतीय शहरों के अलावा आस्ट्रेलिया के पर्थ में भी जोड़ा जा रहा है। कंपनी का इरादा आगामी तिमाही में इसे और शहरों तक ले जाने का है।'

दूरभाषः– 28336541, 28334582

कृषि उपज विपणन समिति

रा. रा. क्षेत्र, दिल्ली सरकार

चौ. चेतराम थोक फल एवं सब्जी मंडी

केशोपुर, नई दिल्ली–110018

ई–निविदा आमंत्रण सूचना

सचिव ए.पी.एम.सी. केशोपुर, की ओर से ई–निविदा के माध्यम से निम्नलिखित मद दर ई–निविदा आमंत्रित की जाती है:–

क्रम सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	पूरा करने की अवधि	ई–प्रोक्योरमेंट समाधान के माध्यम से निविदाओं की प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	निविदा आई.डी. संख्या/ एन.आई.टी
1.	फल और सब्जी मंडी केशोपुर के लिए कंप्यूटर और उसके सलंग्रक/डाटा एंट्री ऑपरेटर, विकास सॉफ्टेवर किराये पर रखना	रु. 10,12,044/–	रु. 20,500/–	1 साल	02/01/2020 14.30 बजे तक	2019_DAMB _185972_1

निविदाएँ सचिव, कृषि उपज विपणन समिति, केशोपुर के कार्यालय में ऑनलाइन खोली जायेंगी:–

(i) तकनीकी बोली दिनांक 02/01/2020

नियम व शर्तें एवं अन्य विवरण वेबसाइटः– **https://govtprocurement.delhi.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।

हस्ता./–

(अरविंद कुमार)

DIP/Shabdarth/1169/19-20 **सचिव**

सूचकांक में मामूली गिरावट

मुंबई, 23 दिसंबर (भाषा)।

शेयर बाजारों का पिछले चार कारोबारी सत्रों से रेकॉर्ड बनाने का सिलसिला सोमवार को थम गया। मुख्य रूप से रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में भारी बिकवाली से सेंसेक्स और निफ्टी नीचे आए। निवेशकों को छुट्टियों से पहले नए संकेतकों का इंतजार है। बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 38.88 अंक या 0.09 फीसद के नुकसान से 41,642.66 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 9.05 अंक या 0.07 फीसद के नुकसान से 12,262.75 अंक पर आ गया।

रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 1.78 फीसद टूट गया। सेंसेक्स की गिरावट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर का सबसे अधिक योगदान रहा। सरकार रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा सऊदी अरामको को हिस्सेदारी बेचने की योजना में 'अड़चन' लगा रही है। पिछले सप्ताह सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रिलायंस की अपने तेल व रसायन कारोबार में 20 फीसद हिस्सेदारी सऊदी अरामको को 15 अरब डॉलर में बेचने की योजना पर रोक की अपील की है। सरकार का कहना था कि रिलायंस पर पन्ना–मुक्ता और ताप्ती तेल व गैस क्षेत्रों का 3.5 अरब डॉलर का बकाया है। हालांकि, फीसद के हिसाब नेस्ले इंडिया का शेयर सबसे अधिक 2.20 फीसद टूटा। यह नेस्ले का सेंसेक्स में कारोबार का पहला दिन था।

इसके अलावा एसबीआइ, टेक महिंद्रा, आइटीसी और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर भी नुकसान में रहे। दूसरी ओर मारुति, हीरो मोटोकॉर्प, कोटक बैंक, बजाज आटो और बजाज फाइनेंस के शेयरों में लाभ रहा जिससे बाजार की गिरावट सीमित रही। कारोबारियों ने कहा कि सेंसेक्स के शेयरों में बदलाव से कीमतों में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिला, क्योंकि कोष प्रबंधक अपने पोर्टफोलियो को समायोजित कर रहे थे। येस बैंक, वेदांता, टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर के शेयर सेंसेक्स से हट गए हैं। इनके स्थान पर टाइटन कंपनी, अल्ट्राटेक सीमेंट और नेस्ले इंडिया के शेयर शामिल किए गए हैं।

बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप में 0.09 फीसद तक का नुकसान रहा। वैश्विक शेयर बाजारों में सुस्त कारोबार तथा झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा के निराशाजनक नतीजों से भी निवेशकों ने सतर्कता का रुख अपनाया। कोटक सिक्योरिटीज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेयर तकनीकी शोध श्रीकांत चौहान ने कहा, 'सेंसेक्स और निफ्टी पिछले बंद स्तर की तुलना में मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। वाहन कंपनियों के शेयर कमजोर धारणा से उबरे। मारुति और हीरो मोटोकॉर्प में लाभ रहा। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के शेयर भी बढ़त में रहे। झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद निवेशकों ने अपने सौदे कम किए।' वाहन कंपनियों के शेयर लाभ में रहे जबकि बैंकिंग शेयरों में मुनाफावसूली का सिलसिला चला। अन्य एशियाई बाजारों में चीन का शंघाई और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी नुकसान में रहे। वहीं हांगकांग का हैंगसेंग और जापान का निक्की लाभ में रहे। शुरुआती कारोबार में यूरोपीय बाजार नुकसान में थे।

दिल्ली जल बोर्डः रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

कार्यालयः कार्यपालक अभियंता (सी) डीआर–III

कन्हैया नगर, दिल्ली–110035, फोनः 011 27394876,

ईमेलः eecdr3@gmail.com

प्रैस एनआईटी सं.– 02 (2019–20)

क्रम सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित अनुबंध मूल्य (ईसीबी)/ निविदा राशि (रु.)	धरोहर राशि (ईएमडी) (रु.)	निविदा प्रॉसेसिंग शुल्क (अप्रतिदेय) (रु.)	निविदा जारी की तिथि/ निविदा आईडी	निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय
1.	ओपन कट तथा ट्रेन्चलेस तकनीक द्वारा सुभद्रा कॉलोनी के आउटफॉल सीवर के 500 एमएम डाया मिसिंग लिंक का प्रावधान/विछाना।	5447640/–	109000/–	1000/–	20.12.2019 2019_DJB_186097_1	13.1.2020 3.00 अप. तक

इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाईट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें।

पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी **हस्ता/–**

विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 2019–20/694 **कार्यपालक अभियंता (सी) डीआर–III**

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

आस्ति वसूली शाखा, डी–26/28, कनाट प्लेस, नई दिल्ली–110001

ई–मेल : arbdelhi@unionbankofindia.com

ई नीलामी बिक्री सूचना के लिए शुद्धिपत्र

जनसत्ता में 10.01.2020 पर होने वाली नीलामी के लिए 22.12.2019 को प्रकाशित बिक्री सूचना के संदर्भ में, आम तौर पर और विशेष रूप से खाता धारक के लिए उधारकर्ता/गारंटरों को नोटिस दिया जाता है। सी–732 की संपत्ति के लिए सीरियल नंबर 4 में विभा ओवरसीज, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी ईएमडी राशि को 20.75 लाख के बजाय 207.5 लाख के रूप में पढ़ा जाये।

असुविधा के लिये खेद है।

तिथि : 23.12.2019 **अधिकृत अधिकारी,**

स्थान : नई दिल्ली **आस्ति वसूली शाखा**

डॉलर के मुकाबले रुपया छह पैसे टूट कर 71.18 पर बंद

मुंबई, 23 दिसंबर (भाषा)।

कच्चे तेल में तेजी और घरेलू शेयरों में सुस्त कारोबार के बीच सोमवार को रुपया, अमेरिकी डालर के मुकाबले छह पैसे टूटकर 71.18 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ। बाजार सूत्रों ने कहा कि वैश्विक बाजारों से किसी ठोस संकेत के अभाव में रुपए में सीमित दायरे में घट बढ़ हुई। अंतरबैंक विदेशीमुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 71.15 रुपए प्रति डॉलर पर कमजोर खुला।

हैदराबाद : चारों मृत आरोपियों का फिर से हुआ पोस्टमार्टम

सभी आरोपी छह दिसंबर को पुलिस के साथ एक कथित मुठभेड़ में मारे गए थे

हैदराबाद, 23 दिसंबर (भाषा)।

पशु चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या के आरोपियों के शवों का सोमवार को यहां के एक अस्पताल में एम्स, दिल्ली के चिकित्सकों ने फिर से पोस्टमार्टम किया। एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद शवों को उनके परिवार के सदस्यों को सौंप दिया गया।

सरकारी गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉ. पी श्रवण कुमार ने बताया कि अस्पताल में एक अलग कक्ष की व्यवस्था की गई थी ताकि वहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के चिकित्सक पोस्टमार्टम कर सकें। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई। तेलंगाना हाई कोर्ट ने शनिवार को चारों आरोपियों के शवों का फिर से पोस्टमार्टम कराए जाने का आदेश दिया था। ये चारों आरोपी छह दिसंबर को पुलिस के साथ एक कथित मुठभेड़ में मारे गए थे।

आरोपियों के शवों का पहला पोस्टमार्टम छह दिसंबर को ही महबूबनगर के सरकारी अस्पताल में किया गया था, जहां से बाद में इन शवों को गांधी अस्पताल में लाया गया था। कुमार ने कहा कि पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है। फोरेंसिक विशेषज्ञ अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में हाई कोर्ट को देंगे।

दूसरी बार पोस्टमार्टम शुरू करने से पहले एम्स के चिकित्सकों के दल ने मृतकों के परिजन से बातचीत की और उनके बयान दर्ज किए। उन्होंने कहा कि दल के सदस्य पहले मृतकों के परिजन से बात करना चाहते थे। इसी के अनुरूप हमने दल के साथ परिजन की मुलाकात की व्यवस्था की। दल ने उनका बयान दर्ज किया। आरोपियों के परिजन ने बताया कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद वे शव स्वीकार कर लेंगे। कुमार ने कहा कि एम्स से आए दल के अनुरोध पर उन्हें एक हैंडीकैम (छोटा वीडियो कैमरा) और एक कंप्यूटर भी उपलब्ध कराया गया है।

इन चारों आरोपियों को 29 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। इन पर पशुचिकित्सक से कथित तौर पर बलात्कार कर उसे जलाने का आरोप था। इस वारदात के बाद देश भर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे। पुलिस ने एक कथित मुठभेड़ में चारों आरोपियों को मार गिराया था।

43 शिक्षकों को राष्ट्रीय आइसीटी पुरस्कार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 दिसंबर।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास (एचआरडी) राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने देश भर के 43 शिक्षकों को राष्ट्रीय सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आइसीटी) पुरस्कार दिए। इस मौके पर एचआरडी के सचिव अमित खरे, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के निदेशक ऋषिकेश सेनापति व अन्य अधिकारी मौजूद थे।

इस मौके पर संजय धोत्रे ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि यह पुरस्कार ऐसे शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए है जो आगे बढ़कर आइसीटी के माध्यम से अपने विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा और वातावरण दे रहे हैं। उन्होंने सम्मानित शिक्षकों से कहा कि अब आपके कंधों पर अधिक जिम्मेदारी आ गई है। यह जिम्मेदारी अन्य शिक्षकों को भी इसी तरह प्रोत्साहित करेगी।

उन्होंने एनसीईआरटी से कहा कि इन शिक्षकों के साथ राज्य और उससे नीचे स्तर पर भी कुछ कार्यक्रम आयोजित कराए जाएं ताकि अन्य शिक्षक भी इनसे प्रोत्साहित हो सकें।

कोरेगांव-भीमा हिंसा मामले में एकबोटे, भिडे समेत 160 को नोटिस

पुणे, 23 दिसंबर (भाषा)।

पुणे पुलिस ने एक जनवरी को कोरेगांव-भीमा युद्ध की 202वीं सालगिरह से पहले दक्षिणपंथी नेताओं मिलिंद एकबोटे और संभाजी भिडे समेत करीब 160 लोगों को नोटिस जारी किया है। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

एकबोटे को पिछले साल एक जनवरी को कोरेगांव भीमा युद्ध के 200 साल पूरे होने के अवसर पर एक कार्यक्रम में कोरेगांव भीमा गांव में लोगों को उकसाने और हिंसा भड़काने के सिलसिले में मार्च 2018 में गिरफ्तार किया गया था। भिडे के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया और प्राथमिकी में उनका नाम दर्ज है। पुलिस अधीक्षक संदीप पाटील ने कहा, 'अब तक, हमने भिडे और एकबोटे समेत 160 लोगों को नोटिस जारी किए हैं और जिले में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है।' एहतियात के तौर पर ये नोटिस हर उस व्यक्ति को जारी किए गए हैं जिनके खिलाफ हिंसा के संबंध में मामला दर्ज है।

जिला प्रशासन पेरणे गांव के पास 'जय स्तंभ' के इर्दगिर्द व्यापक बंदोबस्त कर रही है जहां लाखों लोग कोरेगांव-भीमा युद्ध की बरसी पर श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल जुटते हैं। एक जनवरी, 2018 को कोरेगांव भीमा युद्ध के 200 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इसमें एक व्यक्ति की जान चली गई थी। हिंसा के संबंध में मार्च 2018 में गिरफ्तार किए गए एकबोटे फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। भिडे के खिलाफ इस संबंध में मामला दर्ज किया गया था लेकिन गिरफ्तारी कभी नहीं हुई। कई दलित समूह कोरेगांव भीमा युद्ध की सालगिरह मनाते हैं जिसमें अंग्रेजों ने महाराष्ट्र के पेशवाओं को हराया था।

पुणे-अहमदनगर मार्ग पर पेरणे गांव में स्थित स्मारक, अंग्रेजों ने युद्ध में मारे गए सैनिकों की याद में बनवाया था। दलित नेता अंग्रेजों की जीत का जश्न मनाते हैं क्योंकि महार समुदाय के सैनिक ईस्ट इंडिया कंपनी के बल का हिस्सा थे।

भारतीय सिनेमा की जिम्मेदारी है भारतीयता कायम रखना : नायडू

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 दिसंबर

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने फिल्मों को सामाजिक बदलाव में अहम भूमिका निभाने वाला एक सशक्त माध्यम बताते हुए सोमवार को 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में कहा कि भारतीयता को कायम रखने की जिम्मेदारी भारतीय सिनेमा की है, इसलिये फिल्म जगत को अश्लीलता और हिंसा को बढ़ावा देने वाली फिल्मों के बजाय परिवार और समाज को सुदृढ़ बनाने वाले भारतीय मूल्यों के प्रति लोगों को जागरुक करने वाली फिल्में बनानी चाहिए।'

नायडू ने कहा कि स्वच्छता अभियान को कारगर बनाने का संदेश देने वाली फिल्म 'टॉयलेट : एक प्रेम कथा' का जिक्र करते हुए कहा कि फिल्मों के माध्यम से सामान्य से विषय पर भी प्रभावी संदेश दिया जा सकता है। इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि फिल्मों के लगातार व्यापक होते फलक को देखते हुए सरकार ने अंतरराष्ट्रीय फिल्मजगत के लिए भारत में फिल्म बनाने के वास्ते 'सिंगल विंडो' सुविधा शुरू की है। इसकी मदद से फिल्मकारों को तमाम प्रकार की मंजूरी लेने की औपचारिकताओं की पूर्ति के लिए किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी।

इस अवसर पर नायडू ने फिल्मजगत में रचनात्मकता का प्रदर्शन करने वाले श्रेष्ठ कलाकारों सहित विभिन्न लोगों को अलग अलग श्रेणियों में 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से नवाज़ा। फिल्मजगत का सर्वोच्च सम्मान 'दादा साहब फाल्के अवार्ड 2018' हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन को फिल्मों में उल्लेखनीय योगदान के लिए देना था लेकिन अस्वस्थता के कारण बच्चन समारोह में आ नहीं सके। उन्होंने ट्वीट किया था, 'बुखार है... ! यात्रा की इजाजत नहीं है...दिल्ली में कल राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में शामिल नहीं हो पाऊंगा...बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है...मुझे अफसोस है... ।'

नायडू ने कहा, 'मैं भारतीय सिनेमा के शिखर पुरुष श्री अमिताभ बच्चन जी को प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के सम्मान से सम्मानित किए जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं।' समारोह के अंत में जावडेकर ने बताया कि बच्चन को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 29 दिसंबर को एक संक्षिप्त समारोह में फाल्के पुरस्कार प्रदान करेंगे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति आज राजधानी से बाहर हैं इसलिए विजेताओं के सम्मान में 29 दिसंबर को राष्ट्रपति भवन में एक समारोह आयोजित किया जा रहा है। जावडेकर ने कहा, 'बच्चन जी भी उस समारोह में शिरकत करेंगे और उसी समय राष्ट्रपति उन्हें दादा साहब फाल्के सम्मान से नवाजेंगे।'

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा हर साल दिए जाने वाले राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तीन वर्गों (फीचर फिल्म, ग़ैर फ़ीचर फिल्म और सर्वश्रेष्ठ सिनेमा लेखन) में विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। नायडू ने गुजराती फिल्म 'हेल्लारो' को सर्वश्रेष्ठ फ़ीचर फिल्म और हिंदी फिल्म 'बधाई हो' को लोकप्रिय एवं स्वस्थ्य मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार आयुष्मान खुराना को 'अंधाधुन' फिल्म के लिए और विकी कौशल को 'उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक' के लिए दिया, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार 'महानटी' फिल्म की अदाकारा कीर्ति सुरेश को प्रदान किया गया। इसके अलावा सामाजिक मुद्दों पर आधारित सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार अक्षय कुमार अभिनीत 'पैडमैन' को और किसी निर्माता निर्देशक द्वारा बनाई पहली सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड 'नाल' फिल्म को दिया गया। पर्यावरण संरक्षण का सशक्त संदेश देने वाली फिल्मों की श्रेणी में आदिनाथ कोठारे द्वारा निर्मित फिल्म 'पानी' को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। फीचर फिल्म वर्ग में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार 'उड़ी : द सर्जिकल स्ट्राइक' के निर्देशक आदित्य धर को, सर्वश्रेष्ठ सहअभिनेता का सम्मान 'चुंबक' फिल्म में किरदार निभाने वाले स्वानंद किरकिरे और 'बधाई हो' फिल्म की अदाकारा सुरेखा सीकरी को सर्वश्रेष्ठ सहअभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया।

सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल का सफल परीक्षण

बालासोर (ओडीशा), 23 दिसंबर (भाषा)।

भारत ने सोमवार को ओडीशा तट के पास एक परीक्षण स्थल से सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल (क्यूआरएसएएम) प्रणाली का सफल परीक्षण किया जिसके 2021 तक सशस्त्र बलों के आयुध भंडार में शामिल होने की संभावना है।

रक्षा विभाग के एक बयान में कहा कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकसित इस मिसाइल का परीक्षण पूर्वाह्न 11:45 बजे चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र (आइटीआर) से किया गया। बयान में कहा गया कि परीक्षण में क्यूआरएसएएम ने लक्ष्य को हवा में ही मार गिराया और मिशन उद्देश्य पूरे कर लिए गए।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, शालीमार बाग शाखा
26/28, डीडीए कॉमर्सियल कॉम्प्लैक्स, बी क्यू ब्लॉक, नई दिल्ली-110088
फोन नं.: 27115362; 27463217

शुद्धिपत्र

यह 19.12.2019 को फाइनांसियल एक्सप्रैस एवं जनसत्ता में प्रकाशित ई-नीलामी सूचना के संदर्भ में है। इस संदर्भ में सूचना में 2 सुधार किये गये हैं जो इस प्रकार है:
1. ई-नीलामी की तिथि 20.1.2020 (सोमवार) 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप. तक पढ़ें।
2. ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि: 18.1.2020 (शनिवार) 5.00 बजे अप. तक है।

शेष विवरण पूर्ववत रहेंगे।

प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

"प्रपत्र सं. आईएनसी-25ए"

सार्वजनिक कम्पनी को प्राईवेट कम्पनी में रुपांतरित करने के लिये समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के लिये विज्ञापन
क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली क्षेत्र के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 41 के मामले में
तथा
मै. बेस्ट इन्टरनेशनल लिमिटेड (CIN: 51909DL2003PLC119293) जिसका पंजीकृत कार्यालय सी-5/21, सफदरजंग विकास क्षेत्र, नई दिल्ली-110016 में है, के मामले में-(आवेदक)

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यह कम्पनी उपरोक्त नियमावली के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास एक आवेदन करने के लिये इच्छुक है तथा ऐसे रूपांतरण को प्रभावी करने के लिये कम्पनी को सक्षम बनाने के लिए 23.12.2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी को एक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी में रूपांतरित करने के लिए इच्छुक है।

कंपनी की स्थिति में इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके नीचे वर्णित पते पर पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, (बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003) में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।

पंजीकृत कार्यालय: सी-5/21, सफदरजंग विकास क्षेत्र, नई दिल्ली-110016

कृते एवं के लिये
बेस्ट इन्टरनेशनल लिमिटेड
हस्ता./-
सुरिन्दर जैन
(निदेशक)
DIN: 00033763

तिथि: 23.12.2019
स्थान: नई दिल्ली

ट्रक-टैक्सी की टक्कर में आठ लोगों की मौत

जलगांव, 23 दिसंबर (भाषा)।

महाराष्ट्र के जलगांव जिले में एक ट्रक और टैक्सी की टक्कर में आठ लोगों की मौत हो गई और आठ घायल हो गए।

पुलिस ने बताया कि यह घटना मुंबई-नागपुर राजमार्ग पर एरनादोल तहसील के निकट पिम्पलकोथा गांव में हुई। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना में आठ लोग घायल हो गए जिन्हें निकट के अस्पताल में भेजा गया है।

पिक अप वैन पलटी, तीन की मौत, 13 अन्य घायल

खरगोन (मप्र), 23 दिसंबर (भाषा)।

जिले के पिपराड और टेमला गांव के बीच सोमवार सुबह को एक पिक अप वैन के पलट जाने से उसमें सवार तीन लोगों की मौत हो गई और 13 अन्य घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को खरगोन के जिला अस्पताल में रेफर किया गया है।

थाना प्रभारी संतोष सिसौदिया ने बताया कि हादसे के बाद स्थानीय लोगों की सहायता से पुलिस ने पीड़ितों को भीकनगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां तीन लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि मृत व्यक्तियों की पहचान गुलसिंह बरेला, कैलाश बरेला और मांगीलाल भील के तौर पर की गई है।

मुंबई में सैप्टिक टैंक की सफाई करते तीन मजदूरों की मौत

मुंबई, 23 दिसंबर (भाषा)।

मुंबई के उपनगर गोवंडी में सोमवार को एक सैप्टिक टैंक में फंस गए तीन मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि घटना गणेशवाड़ी इलाके में दोपहर करीब 1 बजे घटी जब निजी तौर पर बुलाए गए मजदूर सैप्टिक टैंक की सफाई के लिए उसके अंदर गए थे। अधिकारी के अनुसार तीनों अंदर फंस गए और उन्हें शताब्दी अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

गोवंडी थाने के वरिष्ठ निरीक्षक बालासाहब केदारे ने कहा, 'घटना दोपहर की है जब विश्वजीत देबनाथ अपने दो सहयोगियों के साथ टैंक में घुसा और फंस गया।' उन्होंने कहा, 'उन्हें दमकल की मदद से टैंक से बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।'

क्षत्रपों पर भरोसा कर भाजपा का विजय रथ रोकने में कामयाब हो रही है कांग्रेस

अजय पांडेय
नई दिल्ली, 23 दिसंबर।

झारखंड विधानसभा चुनाव में झामुमो-कांग्रेस व राजद गठबंधन की जोरदार जीत के बाद ऐसा माना जा रहा है कि क्षत्रपों और अपने पुराने सहयोगियों पर अपना भरोसा जताकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भाजपा के विजय रथ को रोकने में कामयाब साबित हो रही हैं। शरद पवार सरीखे मराठा क्षत्रप के सहारे महाराष्ट्र में भाजपा के हाथों से सत्ता सरकाने में कामयाब रही सोनिया ने हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र हुड्डा को कमान देकर भाजपा की बड़ी जीत के सपनों पर पानी फेर दिया। इसी प्रकार झारखंड में भी अपनी पुरानी सहयोगी पार्टी झामुमो के नेता हेमंत सोरेन को बाकायदा मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर चुनाव लड़ने की कांग्रेसी रणनीति कारगर साबित हुई है।

> • कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुआई में महाराष्ट्र, हरियाणा के बाद अब झारखंड में भी कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन

लोकसभा चुनाव से पहले तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुआई में पार्टी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनावी जीत तो दर्ज कर ली। लेकिन राहुल इस जीत को लोकसभा चुनाव में भुनाने में नाकाम रहे और आम चुनावों में हार के बाद खुद ही अध्यक्ष पद से हट गए। उसके बाद लंबी माथापच्ची के बाद कांग्रेस की नाव फिर से खेने को तैयार हुई। सोनिया गांधी के नेतृत्व संभालने के बाद पार्टी ने अपने प्रदर्शन को लगातार सुधारा है।

महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस अपनी सीटों की संख्या में बहुत ज्यादा इजाफा भले नहीं कर पाई लेकिन अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराने में कामयाब रही। पार्टी सूत्रों का कहना है कि सोनिया गांधी ने केवल मराठा क्षत्रप शरद पवार की अगुआई वाली राकांपा से सियासी गठजोड़ को हरी झंडी दी, बल्कि चुनाव परिणाम आने के बाद अपनी पार्टी के कुछ नेताओं की राय को दरकिनार कर भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए पवार पर भरोसा भी जताया। यही हाल हरियाणा में भी देखने को मिला। सोनिया गांधी ने तमाम विरोधों के बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री व कद्दावर जाट नेता भूपेन्द्र सिंह हुड्डा को हरियाणा में कमान सौंपी और विधानसभा चुनाव में पार्टी ने न केवल शानदार प्रदर्शन किया, बल्कि बड़ी जीत के भाजपा के हवाई किले को ढहाने में भी कामयाबी हासिल की।

झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के पास एक विकल्प यह था कि वह बाबूलाल मरांडी की अगुआई वाले झारखंड विकास मोर्चा (जेवीएम) और राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन कायम कर ले। बाबूलाल मरांडी हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री का चेहरा मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन कांग्रेस ने अपने पुराने सहयोगी झामुमो पर न केवल भरोसा जताया, बल्कि इस पार्टी के नेता हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित किया। दूसरी ओर पार्टी ने चुनाव से ठीक पहले अजय कुमार की जगह पर अपने पुराने चेहरे रामेश्वर ओरांव को प्रदेश की कमान थमा दी। अब सोमवार को आए चुनाव पणिामों ने क्षत्रपों व पुराने सहयोगियों पर भरोसे की उसकी रणनीति को सही साबित किया है। झारखंड के चुनावी नतीजों से कांग्रेसी किस कदर उत्साहित हैं इसका अंदाजा पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के ट्वीट से लगाया जा सकता है। चिदंबरम ने कहा-भाजपा अजेय नहीं है। अगर सभी राजनीतिक दल साथ मिल जाएं और देश के सामने खड़े खतरे को समझ जाएं तो निश्चित तौर पर भाजपा पराजित हो सकती है।

CMI LIMITED
CIN L74899DL1967PLC018031
Regd. Office: Flat No. 501-503, New Delhi House 27 Barakhamba Road, New Delhi - 110 001 | **Ph.:** 011-49570000 | **Fax No.:** 011-23739902
Email: info@cmilimited.in | **Website:** www.cmilimited.in

Notice is hereby given that the Final Dividend **of Re 1/- per equity share for the Financial Year ended on March 31, 2019** has been declared as on **30th September, 2019** at the 52nd Annual General Meeting of the Company. In this regard the details as are given hereunder:
(i) Date of declaration of Final Dividend was **30th September, 2019.**
(ii) Members holding shares either in physical form or in dematerialized form as on **23rd September, 2019** i.e. cut-off date shall only be entitled for Final Dividend.
(iii) The Final Dividend has paid either ECS/Demand Draft or Equity Dividend Warrant.
(iv) ECS has been made on **3rd December, 2019.**
(v) Dividend Warrants, Demand Drafts and ECS confirmation letters have been sent to all share holders as on **23rd December, 2019.**

The shareholders who have not received the Dividend Warrants, Demand Draft and ECS within a period of fifteen days, are requested to contact the Company as per the following details:
Subodh Kumar
Company Secretary
Cont. No.: 011-49570000
Email: info@cmilimited.in, cmics@cmilimited.in

Date : 23.12.2019
Place: New Delhi

For **CMI Limited**
Subodh Kumar
Company Secretary

FORM G
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST
(Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016

RELEVANT PARTICULARS		
1.	Name of the corporate debtor	M/s GSS PROCON PRIVATE LIMITED
2.	Date of incorporation of corporate debtor	27/09/2010
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies NCT of Delhi Under Companies Act 1956
4.	Corporate identity number / limited liability identification number of corporate debtor	U70100DL2010PTC208777
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	Unit no 102,First Floor Pearls Business Park Netaji Subhash Place Pitampura, New Delhi - 110034
6.	Insolvency commencement date of the corporate debtor	10/10/2019 Vide NCLT Order CP (IB) 1896 (ND)/2019 dated 10/10/2019)
7.	Date of invitation of expression of interest	24/12/2019
8.	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	The eligibility criteria for prospective resolution applicants can be accessed from https://ibbi.gov.in/legal-framework/act or can be obtained by email to irpgssprocon2019@gmail.com
9.	Norms of ineligibility applicable under section 29A are available at:	The ineligibility criteria for prospective resolution applicants can be accessed from https://ibbi.gov.in/legal-framework/act or can be obtained by email to irpgssprocon2019@gmail.com
10.	Last date for receipt of expression of interest	08/01/2020
11.	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	18/01/2020
12.	Last date for submission of objections to provisional list	23/01/2020
13.	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	02/02/2020
14.	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	23/01/2020
15.	Manner of obtaining request for resolution plan, evaluation matrix, information memorandum and further information	The Interim Resolution professional will share the document through Email: irpgssprocon2019@gmail.com In accordance with the provisions of the code and regulations made there under
16.	Last date for submission of resolution plans	22/02/2020
17.	Manner of submitting resolution plans to resolution professional	The Resolution plans will be send on Email: irpgssprocon2019@gmail.com
18.	Estimated date for submission of resolution plan to the Adjudicating Authority for approval	07/04/2020
19.	Name and registration number of the resolution professional	Sunil Kumar Agrawal Reg. No: IBBI/IPA-002/IP-N00081/2017-18/10222
20.	Name, Address and e-email of the resolution professional, as registered with the Board	Sunil Kumar Agrawal E-29, South Extention- II, New Delhi - 110049 Email: aggarwalsk21@yahoo.com
21.	Address and email to be used for correspondence with the resolution professional	904, GF, Sector- 7C, Faridabad-121006 Email: irpgssprocon2019@gmail.com
22.	Further Details are available at or with	Further details can be sought by the Email: irpgssprocon2019@gmail.com
23.	Date of publication of Form G	24/12/2019

Sunil Kumar Agrawal
Interim Resolution Professional
IBBI/IPA-002/IP-N00081/2017-18/10222
E-29, South Extention- II, New Delhi- 110049

Date: 24/12/2019
Place: New Delhi

साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड
(पूर्व में चिरायु ब्रॉडकास्ट नेटवर्क लिमिटेड)
पंजी. कार्यालय: 37 दूसरा तल, रानी झाँसी रोड, मोतिया खान, पहाड़गंज, दिल्ली-110055
ईमेल:cbnl.delhi@gmail.com,
वेबसाईट: www.sadhnabroadcast.com
CIN: L92100DL1994PLC059093, फोन: 91-11-23552627

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की अ-साधारण सभा बुधवार, 15 जनवरी, 2020 को 03.00 बजे अप. में 37, दूसरा तल, झण्डेवालॉन, मध्य दिल्ली-110008 में आयोजित की जायेगी
1. जिसमें ईजीएम की सूचना में वर्णित विशेष व्यवसायों को निष्पादित किये जाएंगे।
2. ईजीएम की सूचना 23 दिसम्बर, 2019 को सदस्यों को भेज दी गई है तथा वह evoting@nsdl.co.in तथा www.sadhnabroadcast.com पर अपलोड कर दी गई है
3. कट-ऑफ तिथि अर्थात् 3 जनवरी, 2020 को शेयर धारित करने वाले सदस्य नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की इलेक्ट्रानिक मतदान प्रणाली के माध्यम से ईजीएम की सूचना में निर्दिष्ट विशेष व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं। ई-वोटिंग अवधि रविवार, 12 जनवरी, 2020 को (9.00 बजे पूर्वा.) से मंगलवार, 14 जनवरी, 2020 (5.00 बजे अप-तक) जारी रहेगी।
4. ई-वोटिंग के लिये उक्त तिथि एवं समय के बाद एनएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग पद्धत्ति निष्क्रिय कर दी जायेगी तथा सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद उन्हें उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी।
5. जिन सदस्यों ने ईजीएम से पूर्व ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिये हों, वे ईजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन फिर से मतदान करने के लिये अधिकृत नहीं होंगे।
6. जिस व्यक्ति का नाम कट ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में शामिल होगा वे रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ मत पत्र द्वारा सभा में मतदान करने के लिये अधिकृत होंगे। यदि कोई व्यक्ति सूचना के प्रेषण के बाद शेयर अर्जित करते हैं तथा कम्पनी का शेयरधारक बनते हैं तथा कट-ऑफ तिथि को शेयर धारित करते हों, वे अपने फोलिओं नं./डीपी आईडी तथा क्लाइन्ट आईडी का उल्लेख कर evoting@nsdl.co.in अथवा www.sadhnabroadcast.com पर ई-मेल भेजकर लॉगिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर सकते हैं। लेकिन, यदि ऐसे शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल में पहले से ही पंजीकृत हैं तो रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान करने के लिये आप अपने वर्तमान यूजर आईडी तथा पास्वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।
7. स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रक्रिया में ई-वोटिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिये कम्पनी ने श्री विवेक कुमार, कार्यरत कम्पनी सचिव, वी कुमार एंड एसोसिएट्स को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।
8. यदि ई-वोटिंग से संबंधित आपकी कोई समस्या हो तो कृपया evoting@nsdl.co.in पर उपलब्ध ई-वोटिंग मैन्युअल/Frequently Asked Questions (FAQs) देखें या श्री विरेन्दर राणा, निदेशक स्काईलाइन फाइनांसियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड, अंतरण एजेन्ट के रजिस्ट्रार, 9, डी-153ए, 1ला तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020 से टेलीफोन नं. 011-64732681 से 88 पर सम्पर्क करें तथा virenr@skylinerta.com पर ई-मेल करें। सदस्यगण उक्त पते पर कम्पनी को भी लिख सकते हैं अथवा cbnl.delhi@gmail.com पर ई-मेल कर सकते हैं।
9. कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 101 (नियमावली सहित) के अनुपालन में एतद्द्वारा पुनः सूचित किया जाता है कि सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें 4 जनवरी, 2020 से 14 जनवरी, 2020 (दोनों दिवस सहित) तक उक्त ईजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगे

बोर्ड के आदेश से
साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
तेजिन्दर कौर
निदेशक
DIN:06799570

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 23.12.2019

शार्पलाइन ब्रॉडकास्ट लिमिटेड
(पूर्व में अर्चित होल्डिंग्स एण्ड क्रेडिट्स लिमिटेड)
पंजी. कार्यालय: 37, दूसरा तल, रानी झाँसी रोड, मोतिया खान, पहाड़गंज, दिल्ली-110055
ईमेल:sharplinebroadcastlimited@gmail.com,
वेबसाईट: www.sharplinebroadcast.in
CIN: L22100DL1990PLC039464, फोन: 91-11 23552627

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की अ-साधारण सभा बुधवार, 15 जनवरी, 2020 को 10.00 बजे पूर्वा. में 37, दूसरा तल, झण्डेवालॉन, मध्य दिल्ली-110008 में आयोजित की जायेगी।
1. जिसमें ईजीएम की सूचना में वर्णित विशेष व्यवसायों को निष्पादित किये जाएंगे।
2. ईजीएम की सूचना 23 दिसम्बर, 2019 को सदस्यों को भेज दी गई है तथा वह evoting@nsdl.co.in तथा www.sharplinebroadcast.in पर अपलोड कर दी गई है।
3. कट-ऑफ तिथि अर्थात् 3 जनवरी, 2020 को शेयर धारित करने वाले सदस्य नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की इलेक्ट्रानिक मतदान प्रणाली के माध्यम से ईजीएम की सूचना में निर्दिष्ट विशेष व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं। ई-वोटिंग अवधि रविवार, 12 जनवरी, 2020 को (9.00 बजे पूर्वा.) से मंगलवार, 14 जनवरी, 2020 (5.00 बजे अप-तक) जारी रहेगी।
4. ई-वोटिंग के लिये उक्त तिथि एवं समय के बाद एनएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग पद्धत्ति निष्क्रिय कर दी जायेगी तथा सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद उन्हें उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी।
5. जिन सदस्यों ने ईजीएम से पूर्व ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिये हों, वे ईजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन फिर से मतदान करने के लिये अधिकृत नहीं होंगे।
6. जिस व्यक्ति का नाम कट ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में शामिल होगा वे रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ मत पत्र द्वारा सभा में मतदान करने के लिये अधिकृत होंगे। यदि कोई व्यक्ति सूचना के प्रेषण के बाद शेयर अर्जित करते हैं तथा कम्पनी का शेयरधारक बनते हैं तथा कट-ऑफ तिथि को शेयर धारित करते हों, वे अपने फोलिओं नं./डीपी आईडी तथा क्लाइन्ट आईडी का उल्लेख कर evoting@nsdl.co.in अथवा www.sharplinebroadcast.in पर ई-मेल भेजकर लॉगिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर सकते हैं। लेकिन, यदि ऐसे शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल में पहले से ही पंजीकृत हैं तो रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान करने के लिये आप अपने वर्तमान यूजर आईडी तथा पास्वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।
7. स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रक्रिया में ई-वोटिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिये कम्पनी ने श्री विवेक कुमार, कार्यरत कम्पनी सचिव, वी कुमार एंड एसोसिएट्स को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।
8. यदि ई-वोटिंग से संबंधित आपकी कोई समस्या हो तो कृपया evoting@nsdl.co.in पर उपलब्ध ई-वोटिंग मैन्युअल/Frequently Asked Questions (FAQs) देखें या श्री विरेन्दर राणा, निदेशक स्काईलाइन फाइनांसियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड, अंतरण एजेन्ट के रजिस्ट्रार, 9, डी-153ए, 1ला तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020 से टेलीफोन नं. 011-64732681 से 88 पर सम्पर्क करें तथा virenr@skylinerta.com पर ई-मेल करें। सदस्यगण उक्त पते पर कम्पनी को भी लिख सकते हैं अथवा sharplinebroadcastlimited@gmail.com पर ई-मेल कर सकते हैं।
9. कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 101 (नियमावली सहित) के अनुपालन में एतद्द्वारा पुनः सूचित किया जाता है कि सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें 4 जनवरी, 2020 से 14 जनवरी, 2020 (दोनों दिवस सहित) तक उक्त ईजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

बोर्ड के आदेश से
शार्पलाइन ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
पारस साहू
निदेशक
DIN:07070206

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 23.12.2019

HDB FINANCIAL SERVICES

एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: राधिका, 2रा तल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009
शाखा कार्यालय: प्लॉट नं. 384, 1ला तल, डीबीएस टावर, आर.के. रोड, चीमा चौक के निकट, लुधियाना-141003

सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सूचना

आप नीचे वर्णित ऋणधारक, सह-ऋणधारक तथा गारंटरों ने अपनी अचल सम्पत्तियों को गिरवी रख कर एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस से ऋण(णों)/वित्तीय सुविधा (एँ) प्राप्त की है तथा उसे वापस लौटाने में चूक की है। आपकी चूक के उपरांत आपके ऋणों को गैर-प्रचालन परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तदुपरांत, कम्पनी ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सूचना जारी की जिसका विषय-वस्तु प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 (1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (2) के अनुसार प्रकाशित किया जा रहा है तथा वैकल्पिक सेवा के माध्यम से आपको सूचित किया जा रहा है। ऋणधारकों, सह-ऋणधारकों, ऋण खाता सं., ऋण राशि, धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सूचना तिथि, सूचना में दावी गई राशि, एनपीए तिथि तथा प्रतिभूतियों का विवरण इस प्रकार है:

1.	ऋणधारक एवं सह-ऋणधारक का नाम: एक्स्लैन्ट कोचिंग, प्लॉट नं. 26, ख. नं. 324/1, न्यू लायर्स कॉलोनी, आगरा-282001, एक्स्लैन्ट मीडियाटेक प्राईवट लिमिटेड 8/153/ई-2, लायर्स कालोनी, आगरा-282001, कृष्णा सिंह, पुत्र एस.पी. तोमर 14 शिव विहार, बोडला बिचपुरी रोड, आगरा-282001, साथ ही: 61/1, लोकेन्द्र पुरी, नई आबादी, गरी बदोरिया, आगरा, कल्पना तोमर 21, पंचम पुरी, बेस्ट शिवाजी नगर, शाहगंज, आगरा-282001, साथ ही: प्लॉट नं. 26, ख. नं. 324/1, न्यू लॉयर्स कॉलोनी, आगरा, उत्तर प्रदेश-282001, आलोक सिंह तोमर, 21, बेस्ट शिवाजी नगर, शाहगंज, आगरा-282001, साथ ही: 8/153/ई-2, बॉयर्स कालोनी, आगरा-282001, रणवीर सिंह मिग बी-109, शास्त्री पुरम आगरा-282001, साथ ही: 8/153/ई-2, बॉयर्स कालोनी, आगरा-282001, ऋण खाता सं. 936767, ऋण राशि: 28 नवम्बर, 2019 को रु. 10200000 (एक करोड़ दो लाख मात्र); मांग सूचना तिथि: 28.11.2019, मांग की गई राशि: रु. 9689142/- (रुपए छियानवे लाख नवासी हजार एक सौ बयालिस मात्र), 28 नवंबर, 2019 को तथा अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के साथ वास्तविक वसूली तक अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज। एनपीए तिथि: 3.10.2019, प्रतिभूति का विवरण: खसरा नं. 324/1 का भाग, नगला पाड़ी, हरि पर्वत वार्ड, आगरा-282001, माप 167.22 वर्ग मी. अर्थात 200 वर्ग यार्ड्स। सम्पत्ति का क्षेत्रफल: 167.22 वर्ग यार्ड्स उत्तर: प्लॉट नं. 27 पर सम्पत्ति, दक्षिण: 12.19 मी. चौड़ा रोड, पूर्व: निर्मला बजाज की सम्पत्ति, पश्चिम: 9.14 मी. चौड़ा रोड

अतएव, आप ऋणधारकों/ सह-ऋणधारकों तथा गारन्टरों को निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना के 60 दिनों के भीतर यहां ऊपर वर्णित आगे के ब्याज के साथ उपरोक्त मांग की गई सम्पूर्ण राशि का भुगतान करें जिसमें विफल होने पर अधोहस्ताक्षरी ऊपर वर्णित प्रतिभूतियों को प्रवर्तित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाई करने के लिए बाध्य होंगे।

(ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है)

कृपया, ध्यान रहे कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के अंतर्गत आप हमारी सहमति के बिना बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से उपरोक्त प्रतिभूतियों को अंतरित करने के अधिकार से वंचित हैं। तथा अधिनियम की धारा 13 (13) का उल्लंघन उक्त अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क करें: श्री कुश कपूर, फोन: 9838076150

स्थान: मुम्बई
तिथि: 23.12.2019

हस्ता/-
(प्राधिकृत अधिकारी)

www.readwhere.com

खबर कोना

स्पेन के मैड्रिड में रीयाल मैड्रिड टीम के खिलाड़ी बिलबाओ से मुकाबले में गेंद पर पकड़ बनाते हुए।

बार्सीलोना से दो अंक पीछे रहा रीयाल मैड्रिड

बार्सीलोना, 23 दिसंबर (एपी)।

जिनेदीन जिदान की रीयाल मैड्रिड टीम शीतकालीन ब्रेक से ठीक पहले बार्सीलोना से दो अंक पीछे रही और उसके आक्रमण को लेकर चिंताएं जस की तस हैं। एटलेटिक बिलबाओ जैसी साधारण टीम द्वारा गोलरहित ड्रा पर रोके जाने के बाद जिदान पर सवालों की बौछार कर दी गई। इससे पहले मैड्रिड ने वालेंशिया और बार्सीलोना से भी ड्रा खेला। जिदान ने कहा, 'गोल करने के कई मौके गंवाने के बाद हम खुद से खफा है लेकिन यही फुटबाल है।' अब लीग जनवरी के पहले सप्ताह में शुरू होगी।

सुरक्षा के मामले में भारत में पाकिस्तान से ज्यादा खतरा : मनि

कराची, 23 दिसंबर (भाषा)।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष एहसान मनि ने श्रीलंका के खिलाफ घरेलू टैस्ट शृंखला के खत्म होने के बाद सोमवार को कहा कि भारत में उनके देश से 'अधिक सुरक्षा खतरा' है। श्रीलंका की क्रिकेट टीम पर 2009 में हुए आतंकवादी हमले के 10 साल बाद पाकिस्तान ने घरेलू सरजमीं पर टैस्ट शृंखला का आयोजन किया। इस दौरान किसी भी बड़ी टीम ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया।

मनि ने 'क्रिकेट पाकिस्तान डाट काम डाट पीके' से कहा, 'हमने यह साबित किया कि पाकिस्तान सुरक्षित है, अगर कोई टीम यहां नहीं आ रही है तो उसे साबित करना होगा कि पाकिस्तान असुरक्षित है। आज के समय में पाकिस्तान की तुलना में भारत में सुरक्षा का ज्यादा खतरा है।' आइसीसी के इस पूर्व अध्यक्ष ने श्रीलंका के पाकिस्तान दौरे को महत्वपूर्ण मोड़ करार दिया। उन्होंने कहा, 'श्रीलंका के खिलाफ टैस्ट शृंखला के सफल आयोजन के बाद अब किसी को भी पाकिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था पर संदेह नहीं करना चाहिए।

नागरिकता कानून को लेकर हो रही हिंसा निंदनीय : ज्वाला

नई दिल्ली, 23 दिसंबर (भाषा)।

भारत की पूर्व युगल बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा ने सोमवार को भारतीय खेल जगत से अपील की कि वे आगे आए और संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध के दौरान हो रही हिंसा की निंदा करें। ज्वाला ने ट्विटर पर पोस्ट वीडियो में कहा, 'हम खबरें देख रहे हैं और काफी लोगों की मौत हो रही है। मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। मैं अपने देश के सभी खिलाड़ियों से अपील करती हूं कि हमें आगे आकर हिंसा की निंदा करनी चाहिए।'

बुमराह की वापसी, रोहित और शमी को आराम

नई दिल्ली, 23 दिसंबर (भाषा)।

फिट हो चुके तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अगले साल श्रीलंका के खिलाफ घरेलू सरजमीं पर होने वाली टी20 शृंखला और आस्ट्रेलिया के खिलाफ एकदिवसीय शृंखला के लिए सोमवार को भारतीय टीम में वापसी की जबकि उप कप्तान रोहित शर्मा को टी20 शृंखला के लिए आराम दिया गया है। बुमराह स्ट्रेस फ्रेक्चर के कारण टीम से बाहर थे लेकिन उन्हें सूरत में गुजरात के अगले रणजी ट्राफी मैच में खेलने के लिए भारतीय टीम के फिजियो नितिन पटेल की स्वीकृति मिल गई है। सीनियर सलामी बल्लेबाज शिखर धवन की भी भारत की टी20 और वनडे टीम में वापसी हुई है जबकि तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को टी20 शृंखला से ब्रेक दिया गया है।

यहां टीम के चयन के बाद चयन समिति के अध्यक्ष एमएमके प्रसाद ने अनौपचारिक रूप से जुटे संवाददाताओं से कहा, 'जसप्रीत बुमराह की श्रीलंका और आस्ट्रेलिया के खिलाफ शृंखला के लिए दोनों टीमों में वापसी हुई है। हमने रोहित शर्मा और मोहम्मद शमी को श्रीलंका के खिलाफ टी20 शृंखला के लिए आराम दिया है। शिखर धवन की भी वापसी हुई है और संजू सैमसन टी20 में बैकअप सलामी बल्लेबाज होंगे।' भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ पांच जनवरी से तीन टी 20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की शृंखला खेलेगी जबकि आस्ट्रेलिया के खिलाफ 14 जनवरी से तीन एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों की शृंखला खेली जाएगी।

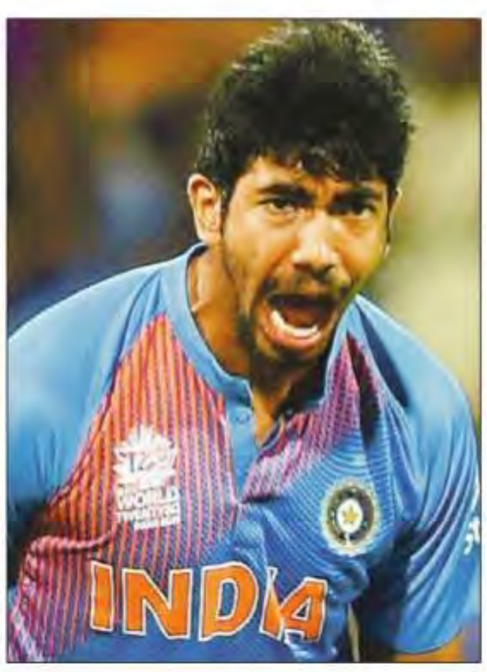

बुमराह स्ट्रेस फ्रेक्चर के कारण टीम से बाहर थे लेकिन उन्हें सूरत में गुजरात के अगले रणजी ट्राफी मैच में खेलने के लिए भारतीय टीम के फिजियो नितिन पटेल की स्वीकृति मिल गई है। जसप्रीत बुमराह की श्रीलंका और आस्ट्रेलिया के खिलाफ शृंखला के लिए दोनों टीमों में वापसी हुई है। सीनियर सलामी बल्लेबाज शिखर धवन की भी भारत की टी20 और वनडे टीम में वापसी हुई है जबकि तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को टी20 शृंखला से ब्रेक दिया गया है।

अच्छी फार्म में चल रहे तेज गेंदबाज दीपक चाहर के लिए बुरी खबर है। उनकी पीठ की चोट उभर आई है और वह अगले साल होने वाले आइपीएल की शुरुआत तक बाहर हो गए हैं। उनके चोटिल होने के कारण नवदीप सैनी भारतीय टीम में बने रहेंगे। प्रसाद ने कहा, 'आस्ट्रेलिया के खिलाफ तीनों सलामी बल्लेबाज-शिखर, रोहित और लोकेश राहुल उपलब्ध रहेंगे।' रोहित ने इस साल सभी प्रारूपों में 47 मैच खेले जो भारतीय कप्तान विराट कोहली से तीन अधिक हैं और उन्हें ब्रेक दिए जाने की पूरी उम्मीद थी।

आठ महीने के डोपिंग प्रतिबंध के बाद प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी करने वाले प्रतिभावान सलामी बल्लेबाज पृथ्वी साव भारत ए टीम के साथ न्यूजीलैंड जाएंगे जबकि हार्दिक पंड्या पीठ के आपरेशन से अब तक पूरी तरह से नहीं उबर पाए हैं। प्रसाद ने संकेत दिए कि आलराउंडर पंड्या न्यूजीलैंड दौरे के दूसरे हाफ में ही उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा, 'हार्दिक के बारे में हम जनवरी के तीसरे हफ्ते में विचार करेंगे।' भारत को न्यूजीलैंड दौरे पर पांच टी 20 अंतरराष्ट्रीय, तीन एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय और दो टैस्ट मैच खेलने हैं। यह दौरा 24 जनवरी से शुरू होगा।

प्रसाद से हालांकि जब यह पूछा गया कि क्या महेंद्र सिह धोनी किसी आगामी शृंखला के लिए उलब्ध होंगे तो उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। प्रसाद ने कहा, 'मैं इस पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। चयन के लिए उपलब्ध होने के लिए माही (धोनी) को पहले खेलना होगा।' तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार 'स्पोर्ट्स हर्निया' के कारण बाहर हैं जबकि चाहर अप्रैल तक प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से दूर हैं लेकिन प्रसाद ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा, 'दीपक अच्छा कर रहा था। वह विजय हजारे ट्राफी में खेल रहा था और अचानक विशाखापत्तनम में दूसरे वनडे के दौरान उसकी पीठ की चोट बढ़ गई।' यह पूछने पर कि स्विंग गेंदबाज कौन होगा, प्रसाद ने कहा कि चयनकर्ता शारदुल ठाकुर के पक्ष में हैं जो अच्छी गति के साथ गेंद को स्विंग करा सकते हैं। उन्होंने कहा, 'हमने पर्याप्त बैकअप खिलाड़ी तैयार किए हैं और हमारे पास प्रतिभावान गेंदबाजों का अच्छा पूल है। हमारे पास खलील अहमद भी है जो रणजी ट्राफी में खेल रहा है और टी20 में शमी की जगह नवदीप सैनी लेंगे।' टीमें इस प्रकार हैं : भारतीय टीम (श्रीलंका के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय के लिए): विराट कोहली (कप्तान), शिखर धवन, लोकेश राहुल, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, नवदीप सैनी, शारदुल ठाकुर, मनीष पांडे, वाशिंगटन सुंदर और संजू सैमसन।

भारतीय टीम (आस्ट्रेलिया के खिलाफ एकदिवसीय शृंखला के लिए) : विराट कोहली (कप्तान), शिखर धवन, रोहित शर्मा, लोकेश राहुल, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, ऋषभ पंत, केदार जाधव, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, नवदीप सैनी, शारदुल ठाकुर और जसप्रीत बुमराह।

श्रीलंका को हराकर पाकिस्तान ने टैस्ट क्रिकेट में वापसी की

करांची, 23 दिसंबर (एएफपी)।

पाकिस्तान ने दस साल बाद घरेलू सरजमीं पर टैस्ट क्रिकेट में वापसी का जश्न मनाते हुए दूसरे क्रिकेट टैस्ट में श्रीलंका को 263 रन से हराकर शृंखला 1-0 से जीत ली। पाकिस्तान को पांचवें और आखिरी दिन श्रीलंका के आखिरी तीन विकेट लेकर मैच जीतने के लिए 14 मिनट और 16 गेंद लगीं। श्रीलंका की टीम दूसरी पारी में 212 रन पर आउट हो गई।

पाकिस्तान ने रविवार को श्रीलंका के सामने जीत के लिए 476 रन का लक्ष्य रखा था। सुबह उसने सात विकेट पर 212 रन से आगे खेलना शुरू किया। नसीम शाह ने पांच विकेट लिए जो 16 बरस 307 दिन की उम्र में यह कारनामा करने वाले दूसरे सबसे युवा गेंदबाज बने। पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर नसीम उल गनी के टैस्ट क्रिकेट में पांच विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज हैं। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ जार्जटाउन में 16 वर्ष 303 दिन की उम्र में यह कमाल किया था।

नसीम उस समय सिर्फ छह वर्ष के थे जब लाहौर में श्रीलंका टीम की बस पर आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट बंद हो गया था। पाकिस्तान ने अपने सारे घरेलू मैच यूएई में खेले। रावलपिंडी में वर्षाबाधित पहला टैस्ट ड्रा रहा था। इस जीत के साथ ही पाकिस्तान 80 अंकों के साथ विश्व टैस्ट चैंपियनशिप तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गया। पाकिस्तान को इस जीत से 60 और ड्रा हुए पहले टैस्ट से 20 अंक मिले। चैंपियनशिप में नौ टीमें प्रतिस्पर्धा कर रही हैं जिसमें भारत (360) पहले और ऑस्ट्रेलिया (216) दूसरे स्थान पर हैं।

टैस्ट मैच की एक पारी में पांच विकेट लेने वाले युवा तेज गेंदबाज बने नसीम शाह

पाकिस्तान के किशोर खिलाड़ी नसीम शाह टैस्ट मैच की एक पारी में पांच विकेट लेने सबसे युवा तेज गेंदबाज बन गए। नसीम ने सोमवार को श्रीलंका के तीन में से दो विकेट लेकर इस उपलब्धि को अपने नाम किया। दायें हाथ के इस तेज गेंदबाज ने दूसरी पारी में 12.5 ओवर में 31 रन देकर पांच विकेट लिए। वह इस दौरान हैट्रिक पूरा करने से चूक गए। उन्होंने रविवार को दिन की आखिरी गेंद पर दिलरुवान परेरा को आउट किया था जबकि आज दिन की अपनी पहले गेंद पर लसित इम्बुलदेनिया को पवेलियन भेजा। अपना तीसरा टैस्ट खेल रहे नसीम की शानदार गेंदबाजी के दम पर पाकिस्तान ने श्रीलंका की दूसरी पारी को 212 रन पर समेट कर 263 रन से जीत दर्ज की।

कोहली और रोहित आइसीसी रैंकिंग में शीर्ष दो स्थान पर

दुबई, 23 दिसंबर (भाषा)।

भारतीय कप्तान विराट कोहली और सीमित ओवरों के प्रारूप के उप कप्तान रोहित शर्मा वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की एकदिवसीय शृंखला में शानदार प्रदर्शन के बाद आइसीसी एकदिवसीय बल्लेबाजों की सूची में क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर रहते हुए 2019 का अंत करेंगे। रोहित ने रविवार को सभी प्रारूपों में सलामी बल्लेबाज के तौर पर एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा रन बनाने के सनथ जयसूर्या के 22 साल पुराने रिकार्ड को तोड़ दिया जबकि कप्तान विराट कोहली ने 2019 में सबसे ज्यादा रन जुटाए।

कोहली ने सभी प्रारूपों में साल में 2455 रन जुटाए, उनकी 85 रन की पारी से भारत ने रविवार को यहां शृंखला के निर्णायक तीसरे वनडे में चार विकेट से जीत हासिल की। वेस्टइंडीज के खिलाफ यहां तीसरे और अंतिम वनडे में खेलने से पहले रोहित इस पूर्व श्रीलंकाई खिलाड़ी को पछाड़ने से महज नौ रन पीछे थे जिन्होंने 1997 में कैलेंडर वर्ष में 2387 रन जोड़े थे। मुंबई के इस खिलाड़ी ने बाराबती स्टेडियम में 63 रन (इतनी ही गेंद में) की पारी खेलकर इस साल 2442 रन बनाए।

कोहली ने सभी प्रारूपों में साल में 2455 रन जुटाए

रोहित ने इस साल विश्व कप में पांच शतक भी लगाए। इन दोनों के अलावा लोकेश राहुल और श्रेयस अय्यर ने भी बल्लेबाजी रैंकिंग में सुधार किया।

शृंखला में 185 रन बनाने वाले सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल रैंकिंग में 17 स्थान का सुधार करते हुए 71वें पायदान पर पहुंच गए। अय्यर ने इस शृंखला में 130 रन बनाए जिससे वह 104वें से 81वें स्थान पर आ गए। शीर्ष 10 में जगह बनाने वालों में वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज शई होप भी शामिल हैं।

पंत की विकेटकीपिंग में सुधार की जरूरत : प्रसाद

नई दिल्ली, 23 दिसंबर (भाषा)।

अखिल भारतीय सीनियर चयन समिति के अध्यक्ष एमएसके प्रसाद ने सोमवार को यहां कहा कि विकेट के पीछे संघर्ष कर रहे ऋषभ पंत की विकेटकीपिंग में सुधार के लिए एक विशेषज्ञ को नियुक्त किया जाएगा। पंत ने कुछ समय पहले भी विकेटकीपिंग में सुधार के लिए पूर्व भारतीय विकेटकीपर किरन मोरे की देखरेख में काम किया था। वेस्टइंडीज के खिलाफ रविवार को तीसरे एकदिवसीय मैच में पंत ने कई कैच टपकाए जिसके बाद वह प्रशंसकों के निशाने पर आ गए।

श्रीलंका और आस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी सीमित ओवरों की शृंखला के लिए टीम चयन के मौके पर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा, 'पंत को अपनी विकेटकीपिंग में सुधार करना होगा। हम उसके लिए विशेषज्ञ विकेटकीपिंग कोच रखेंगे।' बाईस साल के इस विकेटकीपर को टीम प्रबंधन का पूरा साथ मिल रहा है लेकिन उन्हें लगता है कि पंत को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पंत के

खराब प्रदर्शन के कारण बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू शृंखला के दौरान मैदान में मौजूद दर्शक बार बार धोनी का नाम ले रहे थे। कप्तान विराट कोहली ने हालांकि कहा कि पंत की जगह धोनी का नाम लेना इस युवा खिलाड़ी के लिए अपमानजनक होगा। बीसीसीआइ के अध्यक्ष और पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने भी पंत का समर्थन करते हुए कहा था कि यह विकेटकीपर बल्लेबाज शानदार खिलाड़ी है जिसे परिपक्व होने में समय लगेगा।

साव न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारत ए टीम में

नई दिल्ली, 23 दिसंबर (भाषा)।

फार्म में चल रहे पृथ्वी साव ने भारत की सीनियर टीम में वापसी की तरफ एक कदम और बढ़ाया जब इस सलामी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारत ए टीम में शामिल किया गया। इस 20 वर्षीय बल्लेबाज को तीन एकदिवसीय मैचों और दो चार दिवसीय मैचों के लिए टीम में शामिल किया गया है।

डोपिंग के कारण आठ महीने के प्रतिबंध के बाद पिछले महीने वापसी करने वाले पृथ्वी अच्छी फार्म में हैं। इस सलामी बल्लेबाज ने बड़ौदा के खिलाफ मुंबई के सत्र के पहले रणजी ट्राफी मुकाबले में शानदार दोहरा शतक जड़ा था।

भारतीय टीम में रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल के रूप में स्थापित सलामी जोड़ी है लेकिन पृथ्वी को न्यूजीलैंड दौरे पर टैस्ट शृंखला के लिए रिजर्व सलामी बल्लेबाज के रूप में टीम में जगह दी जा सकती है। न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारत ए टीम चुनने के बाद चयन समिति के अध्यक्ष एमएसके प्रसाद ने स्पष्ट किया कि वे चाहते हैं कि पृथ्वी को अधिक से अधिक मैच खेलने को मिलें।

फिलेंडर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की

जोहानिसबर्ग, 23 दिसंबर (भाषा)।

दक्षिण अफ्रीका के अनुभवी तेज गेंदबाज वर्नोन फिलेंडर ने इंग्लैंड के खिलाफ आगामी टैस्ट शृंखला के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने सोमवार को यह जानकारी दी। फिलेंडर दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाजों की उस तिकड़ी का लंबे समय तक हिस्सा रहे जिसमें डेल स्टेन और मोर्ने मोर्कल भी शामिल थे। स्टेन और मोर्कल पहले ही संन्यास की घोषणा कर चुके हैं।

चौंतीस साल के फिलेंडर ने 60 टैस्ट मैचों के अलावा 30 एकदिवसीय और सात टी20 मैचों में दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व किया है। टैस्ट में उनका रिकार्ड काफी प्रभावी रहा है जहां उन्होंने 22.16 की औसत से 216 विकेट लिए हैं।

उन्होंने 13 बार पारी में पांच या इससे अधिक विकेट लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड की तरफ से किए गए ट्वीट में कहा गया, 'प्रोटियाज हरफनमौला वर्नोन फिलेंडर ने जनवरी 2020 में इंग्लैंड के खिलाफ टैस्ट शृंखला खत्म होने के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है।' फिलेंडर ने कहा, 'मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं कि मुझे 12 वर्षों तक अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला।

चौंतीस साल के फिलेंडर ने 60 टैस्ट मैचों के अलावा 30 एकदिवसीय और सात टी20 मैचों में दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व किया है।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 37, *हवाई शुल्क :* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना- एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

www.readwhere.com